



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का स्थानीय निकाय पर प्रतिवेदन  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन  
2024 का प्रतिवेदन संख्या 9  
(स्थानीय शासन)



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का स्थानीय निकाय पर प्रतिवेदन  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**

**मध्य प्रदेश शासन  
2024 का प्रतिवेदन संख्या 9  
(स्थानीय शासन)**



विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii
<b>भाग - अ: पंचायती राज संस्थाएँ</b>		
<b>अध्याय 1 : पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन</b>		
प्रस्तावना	1.1	1
पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	2
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.4	4
लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर प्रतिक्रिया	1.5	6
सामाजिक लेखापरीक्षा	1.6	7
वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरण	1.7	8
<b>अध्याय 2: अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
मनरेगा एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में निर्मित संपत्तियों की अनुपालन लेखापरीक्षा	2	11
<b>भाग - ब : शहरी स्थानीय निकाय</b>		
<b>अध्याय 3 : नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन</b>		
प्रस्तावना	3.1	42
नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना	3.2	42
नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	3.3	43
स्वीकृत कार्मिक संख्या की तुलना में कार्मिकों की कमी	3.3.1	45
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.4	46
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया	3.5	48
नगरीय स्थानीय निकायों का बजटीय आवंटन एवं व्यय	3.6	49
पन्द्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान	3.7	50
कर राजस्व/गैर-कर राजस्व की वसूली न होना	3.8	50
बैंक मिलान विवरण तैयार नहीं किया गया	3.9	51

अस्थायी अग्रिम का समायोजन	3.10	52
नगरीय विकास उपकर का राज्य हिस्सा नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जमा नहीं किया जाना	3.11	53
शिक्षा उपकर का उपयोग न करना और निधि का विचलन	3.12	54
नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण	3.13	55
<b>अध्याय IV: अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन	4.1	56

परिशिष्ट		
परिशिष्ट	विषय	पेज न.
1.1	11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-छ) में दर्शित कार्यो एवं उनके विभागों की सूची	88
2.1	चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों का विवरण	90
2.2	चयनित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध सामुदायिक संरचनाओं को दर्शाने वाला विवरण	93
2.3	अर्ध गंभीर एवं अति शोषित जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत कुओं की स्वीकृति दर्शाने वाला पत्रक	96
2.4ए	15वें वित्त आयोग से कराये जाने हेतु जिला पंचायत द्वारा चयनित कार्यो का विवरण	97
2.4बी	15वें वित्त आयोग से कराये जाने हेतु जनपद पंचायत द्वारा चयनित कार्यो का विवरण	98
2.5ए	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत सीमेंट कंकरीट सड़कों को दर्शाने वाला विवरण	99
2.5बी	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों द्वारा स्वीकृत पुलिया को दर्शाने वाला विवरण	100
2.6ए	ग्राम पंचायतों के लेबर बजट तैयार करने एवं ग्राम सभा मीटिंग में पास कराने को दर्शाने वाला विवरण	101
2.6बी	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण	105
2.7	सामग्री शीर्ष पर ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण	110
2.8	चयनित ग्राम पंचायतों में अपूर्ण सामुदायिक संपत्तिया दर्शाने वाला विवरण	112

परिशिष्ट		
परिशिष्ट	विषय	पेज न.
2.9	चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की लागत का अधिक अनुमान दर्शाने वाला विवरण	113
2.10	चयनित ग्राम पंचायतों में क्षतिग्रस्त स्थिति में सम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण	116
2.11	चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण दर्शाने वाला विवरण	120
3.1	नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण	124
3.2	नगरीय स्थानीय निकायों को दर्शाने वाला विवरण जिनमें कार्यरत पद स्वीकृत पद से अधिक है	125
3.3	मार्च 2022 तक बकाया अस्थायी अग्रिम दिखाने वाला विवरण	128
3.4	नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जमा नहीं किए गए नगरीय विकास उपकर का राज्यांश दर्शाने वाला विवरण	129
3.5	नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा शिक्षा उपकर का उपयोग न किए जाने को दर्शाने वाला विवरण	132
4.1	जल आपूर्ति व्याप्ति का एसएलबी हासिल नहीं किया गया	134
4.2	बैंकवॉश के लिए प्रति वर्ष आवश्यक पानी दर्शाने वाला विवरण	135
4.3	जल आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क	137
4.4	जल शुल्क की कम वसूली दक्षता	138
संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली		139

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च-2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा कि शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के साथ संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये प्रकरणों के साथ- साथ उन प्रकरणों को जो पूर्व वर्षों में प्रकाश में आये थे लेकिन विगत प्रतिवेदनो में सम्मिलित नहीं किये जा सके आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गयी है।



विहंगावलोकन



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। पहला और तीसरा अध्याय क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। दूसरे और चौथे अध्याय में दो अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रत्येक क्रमशः पीआरआई और यूएलबी पर है। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत है।

### अध्याय 1: पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन

- स्थानीय निधि संपरीक्षा (एलएफए) के वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा योजना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश को तीन महीने तक की देरी से अग्रेषित की गयी। साथ ही, 2021-22 के मध्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश के कार्यालय में डीएलएफए द्वारा भेजे गए और जांचे गए 46 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में से केवल 34 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) पर डीएलएफए द्वारा कार्रवाई की गयी।

(कंडिका 1.4.1)

- जिला पंचायतों (जि.पं.)/जनपद पंचायतों (जं.पं.) को जारी लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से निस्तारण हेतु शेष कंडिकाओं के अनुपालन /उपचारात्मक कार्यवाही करने के संबंध में पत्रों को जारी करने के पश्चात् भी, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) के 1,337 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 5,482 कंडिकाएं 31 मार्च, 2022 तक निस्तारण हेतु शेष थी।

(कंडिका 1.5)

- 2019-22 के दौरान ग्राम पंचायतों में आवश्यक संख्या में सामाजिक संपरीक्षा (आवश्यक 1,36,790 में से केवल 59,742) नहीं की गयी। साथ ही, 2021-22 के दौरान 689 सामाजिक संपरीक्षा प्रकरण (₹ 1.31 करोड़) निस्तारण के लिए शेष थे।

(कंडिका 1.6)

- तीसरे राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसा के अनुसार, वित्त विभाग ने 2021-22 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) के अनुदान के रूप में 82 प्रतिशत (₹ 1364.41 करोड़) हस्तांतरित नहीं किए।

(कंडिका 1.7.2)

- पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) राज्य शासन द्वारा आवंटित निधि का उपयोग नहीं कर सकीं और 2021-22 के दौरान बचत 16 प्रतिशत थी।

(कंडिका 1.7.3)

## अध्याय 2: अनुपालन लेखापरीक्षा

### मनरेगा और केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में संपत्ति निर्माण

- मनरेगा पोर्टल डेटा के अनुसार, 2019-22 के दौरान मनरेगा निधि की अनुपलब्धता के कारण चयनित जनपद पंचायतों में मजदूरी और सामग्री के भुगतान के लिए रु 30.24 करोड़ की देनदारी लंबित थी। इसके अलावा, 2019-22 के दौरान चयनित जनपद पंचायतों में एनआरएम और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में से क्रमशः 45 प्रतिशत और 54 प्रतिशत पूरे नहीं किए जा सके।

(कंडिका 2.6.1.1)

- हमने पाया कि अन्य योजनाओं की निधि के अभिसरण के साथ, चयनित 7 से 52 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं थी ।

(कंडिका 2.6.1.2)

- वर्ष 2019-22 के दौरान चयनित जनपद पंचायतों की अर्ध-गंभीर और अति-शोषित 10 ग्राम पंचायतों में ₹ 1.51 करोड़ मूल्य के 62 व्यक्तिगत कुएं (कपिल धारा कूप) अनियमित रूप से स्वीकृत किए गए थे। परिणामस्वरूप, ₹ 87.21 लाख व्यय करके स्वीकृत कपिल धारा कूप का 74 प्रतिशत (62 में से 46) अपूर्ण रह गए ।

(कंडिका 2.6.1.3)

- वर्ष 2020-22 के दौरान 15वें वित्त अनुदान से निष्पादन के लिए, मध्य प्रदेश शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए, 55 प्रतिशत (कुल राशि ₹ 19.16 करोड़) कार्य, जिनका मूल्य ₹ 15 लाख से कम था और 41 प्रतिशत (कुल राशि ₹ 8.90 करोड़) कार्य, जिनका मूल्य ₹ 10 लाख से कम था, क्रमशः जिला पंचायत विकास योजना और जनपद पंचायत विकास योजना में शामिल किए गए थे।

(कंडिका 2.6.1.4)

• मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चार जिला पंचायतों और छह जनपद पंचायतों ने 15वें वित्त आयोग अनुदान से ₹ 3.04 करोड़ की 52 सीमेंट कंकरीट सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही, 15वें वित्त आयोग की शर्तमुक्त निधि से 9 चयनित जिला पंचायतों और 14 जनपद पंचायतों द्वारा पुलिया और भूमिगत नाली (कुल राशि ₹ 15.55 करोड़) के निर्माण के लिए दी गई मंजूरी स्वीकार्य नहीं थी।

(कंडिका 2.6.1.5)

• सात ग्राम पंचायतों की मजदूरी भुगतान सूची की जांच और 476 जॉब कार्डों के बैंक खातों के सत्यापन में पाया गया कि जिन बैंक खातों में ₹ 87.65 लाख का मजदूरी भुगतान जमा किया गया था, वे संबंधित जॉब कार्ड धारकों के नहीं थे। साथ ही, बैंक खाता धारक संबंधित श्रमिक/जॉब कार्ड धारक के परिवार का सदस्य भी नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 87.65 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण मजदूरी भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.6.2.2)

• चौंसठ चयनित ग्राम पंचायतों ने सामग्री मद्द पर अनुज्ञेय सीमा से अधिक ₹ 5.07 करोड़ का व्यय किया, जिसके फलस्वरूप 2019-22 के दौरान 2.72 लाख मानव दिवस का सृजन नहीं हो सका।

(कंडिका 2.6.2.6)

• तकनीकी मंजूरी में सामग्री परीक्षण के प्रावधान के बावजूद, चयनित ग्राम पंचायतों ने केवल आठ संरचनाओं (निर्मित 215 संरचनाओं में से) के लिए सामग्री परीक्षण किया। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन में 66 स्टॉप डेम में से 10 स्टॉप डेम में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग देखा गया।

(कंडिका 2.6.2.8)

• छह जिला पंचायतों में सामुदायिक संपत्तियों (2013-19 के दौरान स्वीकृत) के 15 बुनियादी ढांचे के कार्यों के अनुमान में संशोधन नहीं किया गया, जिससे अपूर्ण संरचनाओं पर किया गया ₹ 1.38 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.6.2.10)

- ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ सहित कार्य अनुमान की कुल लागत के आधार पर 230 निर्माण कार्यों (कुल मंजूरी राशि ₹ 21.51 करोड़) की तकनीकी मंजूरी जारी की गई, जिसके कारण कार्यों की लागत अनुमान से ₹ 1.96 करोड़ अधिक हो गई।

(कंडिका 2.6.2.11)

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में पानी के रिसाव को रोकने के लिए तालाब के पोखर को काली कपास मिट्टी से भरने के प्रावधानों को शामिल न करने से लेखापरीक्षा के दौरान भौतिक सत्यापन में 58 खेत तालाबों के निर्माण पर किए गए ₹ 1.23 करोड़ के निष्फल व्यय का पता चला।

(कंडिका 2.6.3.1)

- कार्यों एवं सृजित परिसंपत्तियों के गुणवत्ता प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता निगरानी कक्ष एवं जिला स्तरीय गुणवत्ता निगरानी कक्ष की स्थापना राज्य स्तर एवं चयनित जिला स्तर पर नहीं की गयी।

(कंडिका 2.6.5.1)

### अध्याय 3: नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

- पिछले वर्षों के बकाया के रूप में ₹ 264.06 करोड़ सहित ₹ 427.64 करोड़ का कर राजस्व (संपत्ति कर, सम्मिश्र कर, शिक्षा और विकास उपकर, आदि) 46 नगरीय स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक वसूली योग्य था। 2021-22 के दौरान, कुल मांग के मुकाबले केवल ₹ 178 करोड़ (41.62 प्रतिशत) की राशि ही वसूल की जा सकी। इसी प्रकार, पिछले वर्षों के बकाया के रूप में ₹ 207.70 करोड़ सहित गैर-कर राजस्व (जल शुल्क, लाइसेंस शुल्क, भूमि और भवन किराया, आदि) के तहत ₹ 303.98 करोड़ की कुल मांग के विरुद्ध, केवल ₹ 88.34 करोड़ (29.06 प्रतिशत) की राशि इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वसूल की जा सकी।

(कंडिका 3.8)

- 1961-62 और 2021-22 के बीच अलग-अलग अवधि में व्यक्तियों को प्रदान किए गए ₹ 7.05 करोड़ के अस्थायी अग्रिम 12 नगरीय स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक वसूली के लिए बकाया थे, जो दर्शाता है कि अग्रिम की वसूली के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए थे।

(कंडिका 3.10)

• 2014-15 और 2021-22 के बीच, 35 नगरीय स्थानीय निकायों ने अलग-अलग अवधि के दौरान शहरी विकास उपकर के रूप में ₹ 51.07 करोड़ एकत्र किए थे। लेकिन मध्य प्रदेश शहरी विकास उपकर (संग्रहण) नियम, 2007 के प्रावधानों के विरुद्ध ₹ 20.43 करोड़ (40 प्रतिशत) शासकीय खातों में जमा नहीं किए गए।

(कंडिका 3.11)

• 2014-15 से 2021-22 की अवधि के दौरान, 33 नगरीय स्थानीय निकायों ने ₹ 94.84 करोड़ का शिक्षा उपकर एकत्र किया, तथापि, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा केवल ₹ 69.79 करोड़ का उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप बैंक खातों में ₹ 25.05 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई ।

(कंडिका 3.12)

• तीसरे राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की (फरवरी 2010 में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत) कि राज्य शासन के विभाज्य कर राजस्व का एक प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण 2021-22 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 85.02 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ था।

(कंडिका 3.13)

#### अध्याय 4: अनुपालन लेखापरीक्षा

##### नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन

• पानी की आपूर्ति के लक्ष्य/मांग के मुकाबले, चार नगरीय स्थानीय निकायों में बहुत कम या नगण्य कमी थी। एक नगरीय स्थानीय निकाय में कमी का प्रतिशत 19 प्रतिशत तक था, चार नगरीय स्थानीय निकायों में कमी का प्रतिशत 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच था जबकि पांच नगरीय स्थानीय निकायों में कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी। एक शहरी स्थानीय निकाय में, कमी 90 प्रतिशत थी।

(कंडिका 4.1.6.2)

- पानी की मांग के मुकाबले, नौ नगरीय स्थानीय निकायों में भंडारण क्षमता की कमी थी। एक शहरी स्थानीय निकाय में, यह मामूली थी लेकिन अन्य आठ नगरीय स्थानीय निकायों में 2019-22 के दौरान कमी 0.39 और 4.89 मिलियन लीटर के बीच थी।

(कंडिका 4.1.6.3)

- 14 संपरीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों में से किसी ने भी कोई अनुरक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया, न ही संबंधित कार्यकारी इंजीनियरों ने (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रिसाव का पता लगाने, नियंत्रण करने और कम करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की। लेखापरीक्षा द्वारा रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 4.1.6.5)

- नगरीय स्थानीय निकाय हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के सेवा स्तर के बेंचमार्क हासिल करने में विफल रहे। जल कनेक्शन वाले घरों का वास्तविक प्रतिशत (कुल घरों में से) 23 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के बीच था। पूर्ण संख्या के संदर्भ में, कुल 2,54,182 घरों की तुलना में केवल 1,67,594 घरों (65.93 प्रतिशत) के पास अधिकृत जल कनेक्शन था।

2019-22 की अवधि के दौरान चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकायों में से एक में केवल छह जल मीटर स्थापित किए गए थे। इस प्रकार, नगरीय स्थानीय निकायों घरेलू परिवारों द्वारा पानी के उपयोग के लिए उचित शुल्क लगाने की स्थिति में नहीं थे।

(कंडिका 4.1.6.7)

- आठ चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में, आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण नियमित रूप से आयोजित नहीं किए गए थे। नगरीय स्थानीय निकायों ने निर्धारित नमूना आवृत्ति के अनुसार नियमित परीक्षणों के माध्यम से पानी की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित नहीं कर सके।

(कंडिका 4.1.7.1)

- 2019-22 की अवधि के दौरान, 13 नगरीय स्थानीय निकायों ने कुल 4,341 भवन निर्माण की अनुमति दी और संबंधित आवेदकों से छत जल संचयन के लिए ₹ 1.35 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि प्राप्त की। हालाँकि, संबंधित 13 नगरीय स्थानीय निकायों ने न तो आवेदकों द्वारा किए गए छत जल संचयन के कार्य का सत्यापन किया और न ही आवेदकों की ओर से छत जल संचयन संरचनाएं बनाने का प्रयास किया गया।

(कंडिका 4.1.8.1)

- 2019-22 के दौरान 14 नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में ओ एंड एम व्यय ₹ 207.02 करोड़ था, जिसके विरुद्ध, नगरीय स्थानीय निकायों ने प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष ₹ 480 से ₹ 2,400 के बीच विभिन्न दरों पर उपभोक्ताओं से ₹ 75.95 करोड़ की मांग की। 13 नगरीय स्थानीय निकायों में वास्तविक लागत की तुलना में मांगे गए उपयोगकर्ता शुल्क में घटा 30 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकायों में जल शुल्क के कारण वसूली के लिए बकाया कुल ऐतिहासिक राशि (मार्च 2022 तक) ₹ 62.79 करोड़ थी।

(कंडिका 4.1.9.1)



**भाग-अ**

**अध्याय-1**

**पंचायती राज संस्थाओ की कार्यप्रणाली,  
जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदित  
प्रकरणों पर विहंगावलोकन**



## अध्याय 1: पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन

### राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

#### 1.1 प्रस्तावना

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदत्त करता है और अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन, निर्धारित कार्यकाल, नियमित निर्वाचन, स्थानीय स्वशासन प्रणाली की स्थापना हेतु राज्य विधान मंडल द्वारा पंचायतों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करता है। फलस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा ने त्रि-स्तरीय प्रणाली क्रमशः ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (इसके पश्चात पीआरआई अधिनियम कहा गया) अधिनियमित किया। मार्च 2022 की स्थिति में राज्य में 51 जिला पंचायत (जि.पं.) 313 जनपद पंचायत (ज.पं.) और 22,777 ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) है।

राष्ट्रीय औसत आकड़ों की तुलना में मध्य प्रदेश के जनसांख्यिकी की जानकारी नीचे दी गयी है:


विवरण	इकाई	मध्य प्रदेश	सम्पूर्ण भारत
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.08
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	5.26	83.37
ग्रामीण जनसंख्या का भाग	प्रतिशत	72.45	68.85
ग्रामीण साक्षरता दर	प्रतिशत	63.94	67.80
ग्रामीण लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलायें)	अनुपात	936/1000	949/1000

(स्रोत: जनगणना आंकड़े 2011)

#### 1.2 पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक और नियामक प्राधिकरण है।

### पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना



पीआरआई अधिनियम की धारा 46 और 47 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों से जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों की निम्नलिखित स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है।

<p><b>ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियां</b></p> <p>अ सामान्य प्रशासन समिति</p> <p>ब निर्माण एवं विकास समिति</p> <p>स शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति</p>	<p><b>जिला एवं जनपद पंचायतों की स्थायी समितियां</b></p> <p>अ सामान्य प्रशासन समिति</p> <p>ब कृषि समिति</p> <p>स शिक्षा समिति</p> <p>द संचार एवं संकर्म समिति</p> <p>य सहकारिता एवं उद्योग समिति</p>
---	---

#### 1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-छ के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगी, जैसा कि वे उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

1.3.1 पीआरआई अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। अध्यक्ष, जिला पंचायत के संकल्पों पर कार्रवाई करने एवं अभिलेखों और रजिस्ट्रों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित

करने, भुगतानों को अधिकृत करने, चेक जारी करने और धन वापसी को मंजूरी आदि के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी है। पीआरआई अधिनियम में राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत स्तर पर एक मु.का.अ. और एक या एक से अधिक अतिरिक्त मु.का.अ. की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान है ।

जिला पंचायतें, जिले में पीआरआई के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करने एवं उनके समन्वयित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह ज.पं. द्वारा तैयार की गई योजनाओं का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, समन्वयन और समेकन के साथ साथ केंद्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों को जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटित करना सुनिश्चित करेगी ।

1.3.2 जनपद पंचायतें (ज.पं.) ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। प्रत्येक ज.पं. में निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। ज.पं. के अध्यक्ष की शक्ति एवं उत्तरदायित्व जिला पंचायत के अध्यक्ष के समान होती है। पीआरआई अधिनियम की धारा 69(2) के अनुसार, राज्य शासन ज.पं. के लिए मु.का.अ. और एक या एक से अधिक अतिरिक्त मु.का.अ. नियुक्त करेगी । ज.पं. का मु.का.अ. अपने क्षेत्राधिकार में सामुदायिक विकास ब्लॉक और आदिवासी विकास ब्लॉक के प्रशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में, ऐसे ब्लॉकों को सौंपे गए कृत्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद पंचायत के अधीक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पीआरआई अधिनियम की धारा 50 के तहत, ज.पं. का यह दायित्व है कि वह ग्राम पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संबंध में वार्षिक कार्ययोजना पर विचार करे और उसे समेकित कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करे ।

1.3.3 ग्राम पंचायत, जमीनी स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं का अंतिम स्तर है, जिसमें निर्वाचित पंच और सरपंच शामिल होते हैं, जो ग्राम पंचायत के संकल्पों को लागू करती हैं और राज्य शासन के निर्देशों का पालन करती हैं।

ग्राम पंचायत का यह दायित्व है कि वो किसी भी विधि द्वारा या केंद्र/राज्य शासन अथवा जिला/जनपद पंचायत द्वारा सौंपी गई योजनाओं, संकर्मों, तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें । पीआरआई अधिनियम की धारा 49-क के अनुसार, ग्राम पंचायत का यह दायित्व है कि वह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक कार्ययोजना तैयार

करे और उसे जनपद पंचायत की कार्ययोजना के साथ एकीकृत करने के लिए जनपद पंचायत को प्रस्तुत करे ।

## 1.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

### 1.4.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

राज्य शासन ने संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डीएलएफए) को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में (नवंबर 2001) नियुक्त किया, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के अंतर्गत कार्य करता है । तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के मानक निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखाओं की ऐसी नमूना जाँच करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने और अनुपूरक करने का अधिकार होगा, जैसा वह उचित समझे । इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके प्रतिनिधि, अपने विवेक से लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधान सभा को प्रतिवेदित करने का अधिकार रखते हैं ।

### संचालक स्थानीय निधि को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता

लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन 2007 की धारा 152 और लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन 2020 की धारा 120 में पंचायती राज संस्थानों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के लिये निम्नलिखित व्यवस्थायें की गयी हैं:

- स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार करेगा और इसे राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित करेगा ।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया और लेखापरीक्षा क्रियाविधि, राज्य शासन द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों और परिनियम तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी ।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा चयनित स्थानीय निकायों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझाव के लिए अग्रेषित की जाएगी ।

- स्थानीय निधि संपरीक्षा, सुझाव और निगरानी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा ।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से अपने संगठन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करेगा।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी करेंगे।

स्थानीय निधि संपरीक्षा ने वर्ष 2021-22 की वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश को तीन महीने के विलंब से अग्रेषित की गई।

स्थानीय निधि संपरीक्षा ने वर्ष 2021-22 के दौरान 46 निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश को पुनरीक्षण हेतु भेजे। हालांकि, स्थानीय निधि संपरीक्षा ने 46 पुनरीक्षित निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 34 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की। शेष 12 नि.प्र. पर कार्रवाई की जा रही है ।

स्थानीय निधि संपरीक्षा ने निरीक्षण प्रतिवेदनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आठ<sup>1</sup> कार्यालयों में आंतरिक नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की । आंतरिक नियंत्रण प्रकोष्ठ ने 2021-22 के दौरान 99 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर परमर्शिका जारी की । 2021-22 के दौरान 10 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करके 106 स्थानीय निधि संपरीक्षा कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया गया।

#### **1.4.2 स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लेखित है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे । तदनुसार, पीआरआई अधिनियम की धारा 129 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का पंचायतों पर वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु भेजेंगे ।

---

<sup>1</sup> संचालनालय स्तर पर एक एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सात

मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति (एलबीपीएसी) का गठन (मार्च 2015 में) किया गया, जो संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परीक्षण करने के साथ-साथ स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने और निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान और ऋण के उपयोग की जांच करेगी ।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जुलाई 2017 में राज्य विधान सभा में रखा गया था । आगे, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के सन्दर्भ में, स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन जून 2018 में राज्य विधानसभा में रखी गई । 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन 21 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में रखा गया तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन 11 मार्च 2021 को राज्य विधानसभा में रखा गया । स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई मई 2023 तक अपेक्षित है ।

### 1.5 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर प्रतिक्रिया

तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) कुछ पंचायती राज संस्थानों की नमूना जांच करेंगे । पंचायती राज संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुसरण हेतु नमूना जाँच प्रतिवेदन स्थानीय निधि संपरीक्षक को भेजा जाएगा ।

तथापि, 31 मार्च 2022 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) की 1,337 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 5,482 कंडिकाएँ निराकरण हेतु लंबित थी, जैसा कि तालिका 1.1 में वर्णित है -

तालिका-1.1: 31 मार्च 2022 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष और वर्ष के दौरान शामिल				वर्ष के दौरान निराकृत		अन्तिम शेष	
	नि. प्र का प्रा. शेष	शामिल नि. प्र.	कंडिकाओं का प्रा. शेष	शामिल कंडिका यें	नि. प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	नि. प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
2019-20	2862	121	12610	1218	103	1002	2880	12826
2020-21	2880	02	12826	13	189	1113	2693	11726
2021-22	2693	00	11726	00	1356	6244	1337	5482

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम ) म. प्र. ग्वालियर के अभिलेख)

आगे, वर्ष 2021-22 में लंबित कंडिकाओं के निराकरण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दो बैठकें<sup>2</sup> भी आयोजित की गयी जिसके परिणामस्वरूप 881 लंबित कंडिकाओं का निराकरण किया गया। इसके अलावा लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन/सुधारात्मक कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु संबंधित जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को पत्र जारी किए गए।

### 1.6 सामाजिक लेखापरीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना की संपरीक्षा नियमावली, 2011 में उल्लिखित है कि राज्य शासन छः माह में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत कराये गए कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा करायेगी। फलस्वरूप, मध्य प्रदेश शासन ने ग्राम सभा को सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में दक्ष करने हेतु सामाजिक संपरीक्षा इकाई "म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति" (जनवरी 2013) में स्थापित किया।

वर्ष 2019-22 के दौरान, आयोजित 1,36,790 सामाजिक संपरीक्षा के विरुद्ध मात्र 59,742 (44 प्रतिशत) सामाजिक संपरीक्षा की गई थी, जैसा कि तालिका 1.2 में वर्णित है -

<sup>2</sup> ग्वालियर संभाग (सितम्बर 2021) एवं जबलपुर संभाग (दिसम्बर 2021)

तालिका-1.2: मनरेगा योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति

वर्ष	राज्य में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वर्ष में की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा की कुल संख्या	वर्ष में की गयी सामाजिक लेखापरीक्षा की कुल संख्या	वर्ष में सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	कमी का प्रतिशत
2019-20	22809	45618	14186	31432	69
2020-21	22809	45618	22809	22809	50
2021-22	22777	45554	22747	22807	50
कुल	-	136790	59742	77048	56

(स्रोत: संचालक, म.प्र राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा प्रदाय जानकारी)

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 में ₹ 226.80 लाख की धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित 2105 प्रकरण प्रकाश में आये, इनमें से 1416 प्रकरणों का समाधान ₹ 95.98 लाख की वसूली करके किया गया है और ₹ 130.82 लाख से जुड़े 689 प्रकरण उपरोक्त अवधि के दौरान निराकरण हेतु लंबित थे।

## 1.7 वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरण

### 1.7.1 कार्य, कोष और पदाधिकारियों का हस्तांतरण

73वां संविधान संशोधन राज्य शासन को मध्य प्रदेश में अनुच्छेद 243-छ की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों को हस्तांतरण करने का अधिकार देता है 19 विभागों से संबंधित (परिशिष्ट-1.1)।

मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन ने कार्यक्रम, गतिविधियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए विभागों को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए (जनवरी 1997)। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने संबंधित विभागों को कार्यों के हस्तांतरण के लिए पीआरआई की भूमिका निर्धारित करके निदेश जारी करने का निर्देश दिया (अगस्त 2019 और मई 2020)।

73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-छ में सूचीबद्ध सात<sup>3</sup> कार्य पहले से ही पीआरआई के पास थे। इसके अतिरिक्त, किसी भी विभाग ने अपने कार्यों और पदाधिकारियों को पीआरआई को हस्तांतरित नहीं किया।

<sup>3</sup> (i) ग्रामीण आवास, (ii) सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन, (iii) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, (iv) मत्स्य पालन, (v) बाजार और मेले, (vi) समुदायिक संपत्ति का रखरखाव, (vii) कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

### 1.7.2 राजस्व के स्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के दो स्रोत, यथा शासकीय अनुदान एवं उनके स्वयं के राजस्व हैं। शासकीय अनुदान में (i) 14वें और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आबंटित अनुदान; और (ii) राज्य सरकार द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग (तृतीय रा.वि.आ.) की स्वीकार (फरवरी 2010) की गई अनुशंसाओं के अनुसार राज्य शासन के पूर्व वर्ष के विभाज्य कर राजस्व<sup>4</sup> का चार प्रतिशत का हस्तांतरण शामिल है।

तथापि, वित्त विभाग ने राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अनुशंसित अनुदान हस्तांतरित नहीं किया, जैसा कि तालिका 1.3 में वर्णित है।

तालिका -1.3: 2019-20 से 2021-22 के दौरान के.वि.आ., रा.वि.आ. के अनुदान जारी करने और पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व की स्थिति

(राशि रु करोड़ में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाने वाला रा.वि.आ. अनुदान	वास्तविक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित रा.वि.आ. अनुदान (प्रतिशत)	रा.वि.आ. अनुदानों के हस्तांतरण में कमी (2-3) (प्रतिशत)	के.वि.आ. अनुदान	स्वयं का राजस्व	पंचायती राज संस्थाओं का कुल राजस्व (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	1473.77	381.26 (26)	1092.51 (74)	3655.95	378.55	5127.01
2020-21	1677.84	329.62 (20)	1348.22 (80)	3984.00	292.81	5625.03
2021-22	1660.08	295.67 (18)	1364.41 (82)	1472.00	187.72	3024.13
<b>कुल</b>	<b>4811.69</b>	<b>1006.55 (21)</b>	<b>3805.14 (79)</b>	<b>9111.95</b>	<b>854.08</b>	<b>13771.17</b>

(स्रोत: वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग एवं पंचायत दर्पण पोर्टल)

तालिका-1.3 से यह स्पष्ट है कि 2021-22 के दौरान रा.वि.आ. अनुदान का 82 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

<sup>4</sup> पिछले वर्ष के कुल कर राजस्व में से करों के संग्रहण पर किये गए व्यय का 10 प्रतिशत तथा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए राजस्व में से कटौती।

### 1.7.3 पंचायती राज संस्थाओं को बजटीय आवंटन और व्यय

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों (राज्य के कर राजस्व का अंश एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान) को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है -

तालिका - 1.4: आय और व्यय दर्शाने वाला विवरण

(राशि रु करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान			वास्तविक व्यय			अव्ययित राशि	अव्ययित राशि प्रतिशत में
	राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20	28215.68	4524.30	32739.98	20599.75	4063.63	24663.38	8076.60	25
2020-21	21369.60	4115.28	25484.88	21005.15	3189.18	24194.33	1290.55	5
2021-22	19468.00	4234.00	23702.00	16167.96	3828.96	19996.92	3705.08	16
<b>कुल</b>	<b>69053.28</b>	<b>12873.58</b>	<b>81926.86</b>	<b>57772.86</b>	<b>11081.77</b>	<b>68854.63</b>	<b>13072.23</b>	<b>16</b>

(स्रोत: वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के विनियोजन लेखों की मांग सख्या 30, 53, 59 एवं 62)

तालिका 1.4 से यह स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाएँ संपूर्ण आवंटित निधि का उपयोग नहीं कर सकी और 2021-22 के दौरान 16 प्रतिशत की बचत हुई।

## अध्याय-2

### अनुपालन लेखापरीक्षा

मनरेगा एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के  
अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में  
निर्मित संपत्तियों की अनुपालन  
लेखापरीक्षा



## अध्याय 2 - अनुपालन लेखापरीक्षा

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

#### “मनरेगा एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में निर्मित संपत्तियों की” अनुपालन लेखापरीक्षा

#### कार्यकारी सारांश

मनरेगा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य 'उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण एवं ग्रामीण निर्धनों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना' है। मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (प्रा.सं.प्र.) एवं ग्रामीण अवसंरचना में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संरक्षण एवं जल संचयन (ज.सं. एवं ज.सं.), वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण (मृ.सं.) तथा ग्रामीण अवसंरचना (ग्रा.अ.) में ग्रामीण हाट, भंडारण गोदाम, रसोई शेड, खेल के मैदान, बारहमासी सड़कें आदि के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) ने केन्द्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) अनुदान से सामुदायिक संरचनाओं के निर्माण एवं रखरखाव, पेयजल एवं जल आपूर्ति व्यवस्था, सामुदायिक स्वच्छता, जल संरक्षण एवं जल संचयन आदि के कार्यों को कराए जाने की अनुशंसा की।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिनियमित पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, पंचायत राज संस्थानों को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को लागू करने, विभिन्न योजनाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा रखने और सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव का अधिकार देता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कार्यालय आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, संचालनालय, पंचायत राज, एवं 10 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.), जिला पंचायत (जि.पं.), 20 जनपद पंचायत (ज.पं.) और 80 ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) में की गई, जिसमें निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:-

- मजदूरी और सामग्री के भुगतान के लिए ₹ 30.24 करोड़ की देनदारी तत्पश्चात मनरेगा के तहत काम करने हेतु श्रमिकों में अनिच्छा (केवल छह प्रतिशत परिवारों को 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार प्रदान किया गया) के कारण 2019-22 के दौरान चयनित जनपद पंचायतों में स्वीकृत कार्यों में से रा.ग्रा.मि. के 45 प्रतिशत एवं ग्रामीण अवसंरचना के 54 प्रतिशत कार्य अपूर्ण रहे।

(कंडिका 2.6.1.1)

- हमने देखा की लेखापरीक्षा में चयनित सात से 52 ग्राम पंचायतों में, सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण के लिए अन्य योजनाओं की निधियों के साथ अभिसरण के लिए योजना तैयार नहीं की गई ।

(कंडिका 2.6.1.2)

- 2019-22 के दौरान चयनित जनपद पंचायतों के 10 अर्ध-गंभीर एवं अति-शोषित ग्राम पंचायतों में ₹1.51 करोड़ मूल्य के 62 व्यक्तिगत कुएं (कपिल धारा कूप) अनियमित रूप से स्वीकृत किए गए । परिणामस्वरूप ₹ 87.21 लाख के व्यय से स्वीकृत कपिल धारा कूप के 74 प्रतिशत (62 में से 46) कार्य अपूर्ण रहे ।

(कंडिका 2.6.1.3)

- 2020-22 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए 15 लाख से कम मूल्य के 55 प्रतिशत (कुल राशि ₹ 19.16 करोड़) कार्य और 10 लाख से कम मूल्य के 41 प्रतिशत (कुल राशि ₹ 8.90 करोड़) कार्य क्रमशः जिला पंचायत विकास योजना और ब्लॉक पंचायत विकास योजना में 2020-22 के दौरान 15 वे वित्त अनुदान से निष्पादन के लिए शामिल किए गए थे।

(कंडिका 2.6.1.4)

- मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते चार जिला पंचायतों एवं छः जनपद पंचायतों ने क्रमशः ₹ 3.04 करोड़ की 52 सीमेंट कंक्रीट मार्गों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान से मंजूरी दी। इसके अलावा, चयनित नौ जिला पंचायतों एवं 14 जनपद पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग की शर्तमुक्त निधि से एवं भूमिगत नाली पुलिया (कुल राशि ₹ 15.55 करोड़) के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई, जो अस्वीकार्य थी।

(कंडिका 2.6.1.5)

- सात ग्राम पंचायतों की मजदूरी भुगतान सूची की जांच में एवं 476 जॉब कार्डों के बैंक खातों के सत्यापन से पता चला कि जिन बैंक खातों में ₹ 87.65 लाख का मजदूरी भुगतान जमा किया गया था, वे संबंधित मजदूरों/जॉब कार्ड धारकों के नहीं थे । इसके अलावा, बैंक खाता धारक संबंधित मजदूर/जॉब कार्ड धारक के परिवार का सदस्य भी नहीं पाया गया, जिसके कारण ₹ 87.65 लाख का फर्जी मजदूरी भुगतान परिलक्षित हुआ ।

(कंडिका 2.6.2.2)

- चौसठ चयनित ग्राम पंचायतों ने सामग्री मद पर अनुमत्य सीमा से ₹ 5.07 करोड़ का अधिक व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप अवधि 2019-22 के दौरान 2.72 लाख मानव दिवस का सृजन नहीं हो सका ।

(कंडिका 2.6.2.6)

- चयनित ग्राम पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति में सामग्री परीक्षण का प्रावधान होने के बावजूद, 215 निर्मित संरचनाओं में से केवल आठ संरचनाओं के लिए सामग्री परीक्षण कराया । इसके अलावा, भौतिक रूप से सत्यापित 66 स्टॉप डैम में से 10 में अव-मानक सामग्रियों का उपयोग करना पाया गया ।

(कंडिका 2.6.2.8)

- छः जिला पंचायतों में सामुदायिक परिसंपत्तियों (2013-19 के दौरान स्वीकृत) के 15 आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के अनुमान में संशोधन नहीं किया गया, जिससे अपूर्ण संरचनाओं पर किया गया ₹ 1.38 करोड़ का व्यय निष्फल रहा ।

(कंडिका 2.6.2.10)

- 230 निर्माण कार्यों (कुल स्वीकृति राशि ₹ 21.51 करोड़) की तकनीकी स्वीकृति ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ सहित कुल प्राक्कलन के आधार पर जारी की गई, जिसके कारण कार्यों की प्राक्कलन ₹ 1.96 करोड़ अधिक हो गई ।

(कंडिका 2.6.2.11)

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.) में पानी के रिसाव को रोकने के लिए तालाब की तलहटी को काली मिट्टी से भरने के प्रावधान को शामिल न करने से लेखापरीक्षा के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित किये गए 58 खेत तालाबों के निर्माण पर किया गया ₹ 1.23 करोड़ निष्फल व्यय किया जाना पाया गया ।

(कंडिका 2.6.3.1)

- कार्यों एवं सृजित परिसंपत्तियों के गुणवत्ता प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ एवं जिला स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना राज्य स्तर एवं चयनित जिला स्तर पर नहीं की गयी ।

(कंडिका 2.6.5.1)

## 2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) ने पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (जिसे इसके बाद पंचायत

राज अधिनियम कहा गया) अधिनियमित किया। पंचायत राज अधिनियम जमीनी स्तर पर केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाई जा रही/स्थित परिसंपत्तियों के खातों के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी सौंपता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (म.न.रे.गा.) में परिकल्पित है कि 'उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना' योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत सरकार के मास्टर परिपत्र (2018-19) में मनरेगा कार्यों को मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (प्रा.सं.प्र.) और ग्रामीण अवसंरचना में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, मनरेगा के तहत बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संपत्ति और ग्रामीण अवसंरचना परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संरक्षण एवं जल संचयन (ज.स. एवं ज.सं.)<sup>1</sup>, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण (मृ.सं.)<sup>2</sup> सम्मिलित हैं; और ग्रामीण अवसंरचना में ग्रामीण हाट, भंडारण गोदाम, रसोई शेड, खेल के मैदान, बारहमासी वाली सड़कें आदि सम्मिलित हैं।

आगे, मध्य प्रदेश शासन ने 14 वें वित्त आयोग<sup>3</sup> (वि.आ.) अनुदान के तहत सामुदायिक संरचनाओं, पेयजल और जल आपूर्ति व्यवस्था, सामुदायिक स्वच्छता, जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों की सिफारिश की। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने बुनियादी सेवाओं अर्थात् पेयजल, स्वच्छता और जल संरक्षण कार्यों के लिए मूल अनुदान का 50 प्रतिशत (आबद्व निधि) और अन्य कार्यों<sup>4</sup> के लिए शेष 50 प्रतिशत (अनाबद्व निधि) की अनुशंसा की।

## 2.2 संगठनात्मक ढांचा / संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पं.ग्रा.वि.वि.), पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक और नियामक प्राधिकरण है। संगठनात्मक संरचना को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है।


<sup>1</sup> इसमें समोच्च खाई, समोच्च मेंढ, कंकर बाधा, गेबियन संरचना, भूमिगत तटबंध, खोदे गए खेत तालाब, मिट्टी के बांध, स्टॉप डैम और झरना विकास के कार्य सम्मिलित हैं।

<sup>2</sup> खेत मेड़बंदी एवं भूमि विकास कार्य

<sup>3</sup> अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक

<sup>4</sup> जैसे आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, गौशाला, पुस्तकालय, ग्राम पंचायत भवन, हाट बाजार/दुकानों का समूह, प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय भवन और उप-स्वास्थ्य केंद्र आदि।

**पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा/ संरचना**



राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (म.न.रे.गा.) की निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर) और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मनरेगा के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं ।

**2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य**

हमारा लक्ष्य यह आकलन करना था:

- रोजगार सृजन, परिसंपत्तियों के सृजन, नवीकरण/रखरखाव के लिए योजना पर्याप्त थी;
- परिसंपत्तियों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए पर्याप्त निधि, मानव संसाधन उपलब्ध था और दर्ज किया गया था;
- निगरानी और निरीक्षण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था;
- निर्मित/पुनर्निर्मित परिसंपत्तियों के वांछित परिणाम प्राप्त किए गए ।

## 2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्नलिखित थे:

- मनरेगा-2013;
- मनरेगा प्रचालन दिशा निर्देश;
- भारत सरकार का मनरेगा पर मास्टर परिपत्र;
- केन्द्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) के संबंध में शासन के दिशा निर्देश;
- पंचायत राज संस्थान अधिनियम; एवं,
- विभाग एवं शासन के समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र ।

## 2.5 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

अनुपालन लेखापरीक्षा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक समावेशित करते हुए कार्यालय आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, संचालनालय, पंचायत राज, एवं 10 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.), जिला पंचायत (जि.पं.), 20 जनपद पंचायत (ज.पं.) पंचायत (दो प्रत्येक चयनित जिला पंचायत से) और 80 ग्राम पंचायत (चार ग्राम पंचायत प्रत्येक चयनित जनपद पंचायत से) 10 जिला पंचायतों में आयोजित की गई थी जिन का चयन **परिशिष्ट-2.1** के अनुसार बिना प्रतिस्थापन आकार के संभाव्यता अनुपात (पी.पी.एस.डब्लू.ओ.आर.) विधि का उपयोग करके किया गया एवं नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है:-



लेखापरीक्षा दल ने परिणाम मूल्यांकन के लिए डाटा/रिपोर्ट एकत्र करने के लिए चयनित जिलों के भू राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (लो.स्वा.यां.), केंद्रीय भूजल बोर्ड (के.भू.ज.बो.), कृषि विभाग के कार्यालय का भी दौरा किया ।

अपनाई गई पद्धति मुख्य रूप से लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी कर अभिलेखों की मांग, अभिलेखों की जांच एवं पोर्टल डेटा की जांच करना था। लेखापरीक्षा ने चयनित ग्राम पंचायतों में मनरेगा के 784 कार्यों (₹ 35.47 करोड़) का एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से अवसंरचना के विकास कार्यों के 315 कार्यों ( ₹ 11.45 करोड़) का भौतिक सत्यापन किया । इसके अलावा, 1200 ग्रामीणों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया ।

लेखापरीक्षा ने प्रमुख सचिव, पं.ग्रा.वि.वि., म.प्र., शासन के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, दायरे और कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए 28 अक्टूबर 2022 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया था ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, पं.ग्रा.वि.वि. के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए 19 जून 2023 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया । सरकार के उत्तरों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है ।

## 2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.6.1 योजना प्रबंधन

#### I. मनरेगा

##### 2.6.1.1 मनरेगा के तहत परिसंपत्तियों का निर्माण

हमने पाया कि 2019-22 के दौरान चयनित 20 जनपद पंचायतों में कुल 1,08,846 (82,060 रा.ग्रा.मि. कार्य और 26,786 आरआई कार्य) कार्य स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा, जनवरी 2023 तक 45,538 (55 प्रतिशत) रा. ग्रा.मि. कार्य एवं 12,280 (46 प्रतिशत) ग्रामीण अवसंरचना के कार्य पूर्ण किए गए विवरण नीचे तालिका-2.1 में दिया गया है।

तालिका-2.1: कार्यों के पूर्ण होने/परिसंपत्तियों के निर्माण का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

वर्ष	रा. ग्रा.मि. कार्य					ग्रामीण अवसंरचना कार्य		
	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	पूर्ण कार्य/निर्मित परिसंपत्तियाँ	निर्मित परिसंपत्तियों पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	पूर्ण कार्य/निर्मित परिसंपत्तियाँ	निर्मित परिसंपत्तियों पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)
2019-20	13,474	289.76	9,211	161.32	3,806	174.96	2,840	67.88
2020-21	38,878	873.59	25,203	414.67	12,268	464.12	6,190	135.88
2021-22	29,708	660.88	11,124	172.74	10,712	275.38	3,250	45.27
<b>कुल</b>	<b>82,060</b>	<b>1,824.23</b>	<b>45,538 (55)</b>	<b>748.73</b>	<b>26,786</b>	<b>914.46</b>	<b>12,280 (46)</b>	<b>249.03</b>

(आँकड़ा स्रोत: मनरेगा पोर्टल)

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता कि 2019-22 के दौरान चयनित जनपद पंचायत में रा.ग्रा.मि. एवं ग्रामीण अवसंरचना के तहत स्वीकृत कार्यों में से क्रमशः 45 प्रतिशत और 54 प्रतिशत पूर्ण नहीं किए जा सके। इस संबंध में, पोर्टल आंकड़ों की समीक्षा में पाया गया कि अवधि 2019-22 के दौरान मनरेगा निधि की अनुपलब्धता के कारण चयनित जनपद पंचायतों में मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान के लिए देनादारी के रूप ₹ 30.24 करोड़<sup>5</sup> लंबित थे।

म.प्र. शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान लंबित होने के कारण भौतिक रूप से पूर्ण किये गये अधिकांश कार्यों को अपूर्ण कार्यों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा, केन्द्र सरकार से अनुदान के प्राप्त न होने के कारण कार्यों के पूर्ण होने में धीमी प्रगति हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग केंद्र सरकार से कार्यों की कुल स्वीकृत राशि (₹ 2,738.69 करोड़) के केवल एक प्रतिशत (₹ 30.24 करोड़) के विरुद्ध सामग्री और मजदूरी के भुगतान का दावा कर सका। इसके अलावा, कार्यों की कुल स्वीकृत लागत के 63 प्रतिशत अधूरे कार्यों के लिए कोई कारण नहीं बताया गया।

<sup>5</sup> अवधि 2019-20 में ₹1.23 करोड़ (मजदूरी के 0.87 करोड़ एवं सामग्री के 0.36 करोड़), अवधि 2020-21 में ₹ 7.81 करोड़ (मजदूरी के 1.59 करोड़ एवं सामग्री के 6.22 करोड़) एवं अवधि 2021-22 में ₹ 21.20 करोड़ (मजदूरी के 1.82 करोड़ एवं सामग्री के 19.38 करोड़)।

### 2.6.1.2 अवसंरचना परिसंपत्तियों के सृजन के लिए योजना तैयार न करना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं का अभिसरण कर सामुदायिक ग्रामीण अवसंरचना<sup>6</sup> के कार्यों को शुरू करने के लिए समय-समय पर आदेश जारी किए ।

लेखापरीक्षा में (भौतिक सत्यापन के समय) पाया गया कि 15 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक अवसंरचना कार्य जैसे कि बारहमासी सड़कें (ग्रेन्युलर सब बेस और सीमेंट कंक्रीट), सात ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, 15 ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्र, 52 ग्राम पंचायतों में उप-स्वास्थ्य केंद्र, 21 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान एवं 20 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान उपलब्ध नहीं थे (*परिशिष्ट-2.2*)। इसके बावजूद अन्य योजनाओं के अभिसरण से उक्त परिसंपत्तियों के निर्माण की कोई योजना नहीं बनायी गयी ।

म.प्र. शासन ने टिप्पणी को स्वीकार किया एवं कहा (जून 2023) कि अन्य योजनाओं के अभिसरण के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर संस्थागत भवनों के निर्माण के निर्देश जिला पंचायतों को जारी किए जाएंगे ।

### 2.6.1.3 व्यक्तिगत कुओं की अनियमित स्वीकृति

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों 2013 में उल्लिखित है कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड के आंकलन के अनुसार अर्ध-गंभीर या गंभीर या अति-शोषित क्षेत्रों में निजी कुओं (लाभार्थी उन्मुख कपिल धारा कूप) की खुदाई की अनुमति नहीं है ।

लेखापरीक्षा में पाया कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार की लेखापरीक्षा के लिए चयनित 80 में से 10 ग्राम पंचायतें अर्ध-गंभीर एवं अति-शोषित क्षेत्र में थी, इसके बावजूद, संबंधित जनपद पंचायत के सहायक अभियंता (स.अ.)/उपयंत्री ने मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2019-22 के दौरान इन पंचायतों में ₹ 1.51 करोड़ मूल्य के 62 व्यक्तिगत कुएं (कपिल धारा कूप) की अनियमित रूप से तकनीकी स्वीकृति जारी की (*परिशिष्ट-2.3*) ।

इसके अलावा, प्रगति रिपोर्ट से यह पाया कि उपरोक्त स्वीकृत कपिल धारा कूप के 74 प्रतिशत (62 में से 46) को ₹ 87.21 लाख व्यय करने के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका । संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि ग्राम पंचायत छावनी झोड़िया, जनपद पंचायत बाजना, जिला पंचायत रतलाम में दो कपिल धारा कूप के कार्य भूमिगत जल की

<sup>6</sup> आंतरिक सड़क, आंगनबाड़ी, गोदाम, पंचायत भवन, खेल का मैदान और शांति धाम । बिना भवन वाली ग्राम पंचायत क्रमशः टाइप-I, T-II, T-III और T-IV, 251 से 1,500, 1,501 से 3,000, 3,000 और इससे अधिक आबादी वाले पंचायत भवन, आदिवासी क्षेत्र में 300 से 500 और अन्य 800 की आबादी वाली गैर आदिवासी क्षेत्र की आंगनबाड़ी, आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्र के लिए 3,000 की आबादी और मैदानी क्षेत्र के लिए 5000 की आबादी वाला उप-स्वास्थ्य केंद्र, आदिवासी क्षेत्र में 300 से 500 परिवारों की आबादी वाली उचित मूल्य की दुकान, पशु चिकित्सा संस्थान आठ किलोमीटर के दायरे में पशु चिकित्सा संस्थान ।

अनुपलब्धता के कारण परित्यक्त किए गए । कार्य स्थल निरीक्षण के दौरान ली गई तस्वीरें भी इस बात की पुष्टि करती हैं ।



इस प्रकार, अर्ध-गंभीर क्षेत्र में कुओं की अनियमित स्वीकृति के कारण इन अवसंरचना के कार्यों को ₹ 2.21 लाख का व्यय करने के बाद परित्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ । संबंधित जनपद पंचायत के सहायक अभियंता/उपयंत्री केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पहचाने गए अर्ध- गंभीर और अति-शोषित क्षेत्रों में कपिल धारा कूप की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए जिम्मेदार थे ।

मध्य प्रदेश शासन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2023) कि पानी की कोई संभावना नहीं होने के कारण आगे कुएं की खुदाई संभव नहीं थी । इसके अलावा, अर्ध- गंभीर और अति-शोषित क्षेत्रों में कपिल धारा कूप की खुदाई नहीं करने के निर्देश मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी किए जाएंगे ।

शासन का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुष्टि करता है ।

## II. केन्द्रीय वित्त आयोग

### 2.6.1.4 15वें वित्त आयोग अनुदान से कार्यों का अनियमित चयन

मध्य प्रदेश शासन के फरवरी 2021 आदेश में अवधारित है कि जिला पंचायत/जनपद पंचायत अपने जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) और ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) में शामिल करने के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत क्रमशः ₹ 15 लाख एवं

₹ 10 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों<sup>7</sup> का चयन करेगा। क्योंकि ग्राम पंचायतें धन की कमी के कारण उपरोक्त कार्य नहीं कर पा रही हैं।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी चयनित जिला पंचायतों (जिला पंचायत, गुना एवं श्योपुर को छोड़कर) ने मध्य प्रदेश शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए, ₹ 19.16 करोड़ के 55 प्रतिशत (541 में से 297) कार्यों का चयन किया था, जो उनके डीपीडीपी में लागत राशि ₹ 15 लाख से कम के थे। इसी प्रकार, 20 चयनित जनपद पंचायतों में से 15<sup>8</sup> ने 2020-22 के दौरान ₹ 8.90 करोड़ के 41 प्रतिशत (579 में से 237) कार्यों का चयन किया था, जो उनके बीपीडीपी में लागत राशि ₹ 10 लाख से कम के थे। जैसा कि **परिशिष्ट-2.4 ए एवं बी** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, दो<sup>9</sup> जिला पंचायतों और छः<sup>10</sup> जनपद पंचायतों की 13 चयनित ग्राम पंचायतों में कुल ₹ 1.48 करोड़ की राशि के 19 कार्यों<sup>11</sup> को मंजूरी दी। भौतिक सत्यापन के दौरान, यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय, दो ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सात ग्राम पंचायतों में उप-स्वास्थ्य केंद्र, तीन ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्र, पांच ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान एवं 13 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा केंद्र उपलब्ध नहीं थे। लेकिन डीपीडीपी/बीपीडीपी में उपरोक्त संरचनाओं के संबंध में कोई अवसंरचना कार्य प्रस्तावित नहीं थे।

इस प्रकार, जिला पंचायतों के साथ-साथ जनपद पंचायतों ने अवधि 2020-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत उन्हें आवंटित आबद्ध एवं अनाबद्ध राशि से निष्पादन के लिए ₹ 15 लाख/ ₹ 10 लाख से अधिक लागत वाले अवसंरचना के कार्यों की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन नहीं किया।

मध्य प्रदेश शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा कार्यों के चयन में कोई अनियमितता नहीं थी क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अगस्त 2021 के आदेश में पांच कार्यों<sup>12</sup> की लागत को कम कर दिया गया था।

<sup>7</sup> निर्धारित अनुदान से जल जीवन मिशन (ज.जी.मि.) के समर्थन में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य, वर्षा जल पुनर्भरण और नल जल योजनाओं से संबंधित कार्यों का रखरखाव; और अनाबद्ध अनुदान से आंगनवाड़ी, स्कूल भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन आदि का निर्माण।

<sup>8</sup> बैतूल जिले के जनपद पंचायत भीमपुर और घोड़ाडोंगरी, बड़वानी के जनपद पंचायत ठीकरी, राजगढ़ के जनपद पंचायत ब्यावरा एवं रतलाम के जनपद पंचायत बाजना को छोड़कर

<sup>9</sup> जिला पंचायत, अनूपपुर एवं गुना

<sup>10</sup> जनपद पंचायत बालाघाट, जैतहरी, पानसेमल, राधौगढ़, रामपुर नैकिन एवं ठिकरी

<sup>11</sup> पेवर ब्लॉक के तीन, सीमेन्ट कंक्रीट सड़क के दो कार्य, तीन आरसीसी पुलिया, तीन स्टॉप डेम, तीन सामुदायिक शौचालय, एक सामुदायिक भवन, दो पेयजल और तीन नाली के कार्य।

<sup>12</sup> आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र, सामुदायिक भवन तथा जिला/जनपद भवन के कार्य

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों द्वारा क्रमशः 130 एवं 104 कार्य कुल लागत राशि ₹ 8.99 करोड़ एवं ₹ 3.80 करोड़ के कार्यों का चयन कर निष्पादित कराये गए ।

### **2.6.1.5 केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान से सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों एवं पुलियाओं की अनियमित स्वीकृति।**

मध्य प्रदेश शासन के फरवरी 2021 के निर्देश में अवधारित है कि जिला पंचायतें/जनपद पंचायतें उन्हें प्रदान किए गए 15वें वित्त आयोग अनुदान से आंतरिक सीमेन्ट कंक्रीट (सीसी) सड़क के कार्यों को मंजूरी नहीं देगी । यद्यपि, उपरोक्त निर्देशों में सड़क के हिस्से यानी पुल एवं पुलिया की मंजूरी के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार जिला पंचायतों एवं छः जनपद पंचायतों ने, शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, 15वें वित्त आयोग अनुदान से ₹ 3.04 करोड़ (कार्य निष्पादन पर व्यय राशि ₹ 2.41 करोड़) की 52 सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों को मंजूरी दी । इसके अलावा, नौ चयनित जिला पंचायतों (जिला पंचायत श्योपुर को छोड़कर) और 14 जनपद पंचायतों ने अवधि 2020-22 के दौरान पुल एवं पुलिया के 155 कार्यों को ₹ 15.55 करोड़ (कार्य निष्पादन पर व्यय राशि ₹ 11.71 करोड़) की मंजूरी दी । विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2.5 ए एवं बी** में दर्शाया गया है ।

इस प्रकार, 15वें वित्त आयोग की निधि से सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों/पुल एवं पुलिया निर्माण की स्वीकृति न्यायोचित नहीं थी क्योंकि 15वें वित्त आयोग की अनाबद्ध राशि को ग्रामीण अवसंरचना कार्य जैसे पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र आदि के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे ग्राम पंचायतें धन की कमी के कारण नहीं करा सकती थीं ।

मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 15वें वित्त आयोग की निधि से सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों, पुलियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के लिए संबंधित जिला पंचायत/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिम्मेदार थे ।

मध्य प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं कहा (जून 2023) कि जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा आंतरिक सीमेन्ट कंक्रीट सड़क की स्वीकृति पूरी तरह से प्रतिबंधित थी एवं संबंधित जिला पंचायतों के विरुद्ध निर्देश जारी किए जाएंगे । इसके अलावा, पुल एवं पुलिया की अधिक निर्माण लागत एवं ग्राम पंचायत को अनुदान की प्राप्ति कम होने को देखते हुए पुल एवं पुलिया निर्माण कार्य का निष्पादन जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा आमसभा की बैठकों में अनुमोदन के बाद किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अक्टूबर 2020 के आदेश के अनुसार जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को केवल उन कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

## 2.6.2 योजना क्रियान्वयन

### I. मनरेगा

#### 2.6.2.1 अवास्तविक लेबर बजट

भारत सरकार के अगस्त 2016 के आदेश कार्यों की योजना बनाने एवं वास्तविक आधार पर लेबर बजट (ले.ब.) तैयार करने एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में लेबर बजट को ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही का विवरण, जिसमें लेबर बजट को मंजूरी दी गई थी, के साथ अपलोड करने की विस्तृत प्रक्रिया बताते हैं। ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना एवं लेबर बजट को जनपद पंचायत स्तर पर समेकित किया जाएगा एवं जनपद पंचायत के अनुमोदन के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रेषित किया जाएगा। यद्यपि, लेखापरीक्षा हेतु चयनित जिलों में पाया कि:

- 2019-22 के दौरान 61 ग्राम पंचायतों द्वारा लेबर बजट की मंजूरी ग्राम सभा बैठक में नहीं ली गई जैसा कि विवरण **परिशिष्ट-2.6 ए** में दर्शाया गया है परिणामस्वरूप, ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही उनके लेबर बजट के साथ एमआईएस में अपलोड नहीं की गई थी।
- वर्ष 2019-22 के दौरान जनपद पंचायत की सामान्य बैठक में 11 जनपद पंचायत<sup>13</sup> की ब्लॉक स्तरीय समेकित योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई।
- नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों ने वास्तविक आधार पर लेबर बजट तैयार नहीं किया, जैसा कि लेखापरीक्षा ने देखा (जैसा कि पोर्टल डेटा से पता चला है) कि 2019-22 के दौरान लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस की तुलना में वास्तविक सृजित मानव दिवस में 419 प्रतिशत तक का अंतर था। (**परिशिष्ट-2.6 बी**)

राज्य शासन ने कहा (जून 2023) कि कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों के अपने गांवों में लौटने के कारण रोजगार की मांग बढ़ी एवं मानव दिवसों का सृजन लेबर बजट में अनुमानित से अधिक हुआ। इसके अलावा, कोविड अवधि 2020-22 के दौरान ग्राम सभा की बैठक में लेबर बजट की मंजूरी नहीं दी गई तत्पश्चात एमआईएस में अपलोड नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2020-21 की कोविड महामारी अवधि के दौरान 12 ग्राम पंचायतों के लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस की तुलना में सृजित मानव दिवस 28 प्रतिशत तक कम था। इसके अलावा, अवधि 2019-22 के दौरान कोविड महामारी अवधि से पहले एवं बाद में ग्राम सभा की बैठक में सभी 61 ग्राम पंचायतों के लेबर बजट को मंजूरी नहीं दी गई थी।

<sup>13</sup> बालाघाट, ब्यावरा, बिजयपुर, घोड़ा डोंगरी, गुना, जैतहरी, कराहल, कटंगी, पुष्पराजगढ़, राघोगढ़ और राजगढ़।

### **2.6.2.2 ₹ 87.65 लाख का संदिग्ध फर्जी मजदूरी भुगतान जॉब कार्ड धारकों के बजाय अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा किया जाना ।**

मनरेगा 2013 के परिचालन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि श्रमिकों को सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक/डाकघर खातों में जमा किए जाएंगे ।

लेखापरीक्षा में पाया (पोर्टल डेटा से) कि 80 चयनित ग्राम पंचायतों में से सात ग्राम पंचायतों में मजदूरी भुगतान जॉब कार्ड धारकों/श्रमिकों के कई बैंक खातों में जमा किया गया था । इसके अलावा, सात ग्राम पंचायतों की मजदूरी भुगतान सूची की जांच एवं 476 जॉब कार्डों के बैंक खातों के सत्यापन से पता चला कि जिन बैंक खातों में 2019-22 के दौरान ₹ 87.65 लाख<sup>14</sup> का मजदूरी भुगतान जमा किया गया था, वे संबंधित जॉब कार्ड धारकों के नहीं थे । इसके अलावा, बैंक खाता धारक संबंधित श्रमिक/जॉब कार्ड धारक के परिवार का सदस्य भी नहीं पाया गया जो मजदूरी भुगतान में धोखाधड़ी का संकेत देता है ।

इस प्रकार ₹ 87.65 लाख का मजदूरी भुगतान कपटपूर्ण तरीके से उन बैंक खातों में जमा किया गया था जो श्रमिकों/जॉब कार्ड धारकों या उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित नहीं थे ।

ग्राम रोजगार सहायक (ग्रा.रो.स.), ग्राम पंचायत, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रमशः मजदूरी सूची तैयार करने, फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) तैयार करने एवं एफटीओ को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार थे ।

मध्य प्रदेश शासन ने जवाब दिया कि बैंक खातों के अभाव में मजदूरी भुगतान छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत बमनीघाट एवं इमलाहा के संबंधित जॉब कार्ड धारकों द्वारा प्रदान किए गए बैंक खातों में जमा किया गया था । इसके अलावा, संबंधित जॉब कार्ड धारक से बैंक खाते न होने का शपथ पत्र प्राप्त किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को जिन छह जॉब कार्ड धारकों के शपथ पत्र उपलब्ध कराये गये, उनमें से दो जॉब कार्ड धारकों के खाते डाकघर में एवं एक का खाता बैंक में था । इसके अलावा, मध्य प्रदेश शासन ने शेष ग्राम पंचायतों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की ।

### **2.6.2.3 रोजगार की मांग एवं श्रमिकों को काम पर लगाना ।**

मनरेगा, ग्रामीण परिवारों को स्थानीय ग्राम पंचायतों में स्वयं को पंजीकृत करने एवं रोजगार मांगने का अधिकार प्रदान करता है । पंजीकृत परिवारों का प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका

---

<sup>14</sup> गुना जिले की ग्राम पंचायत चुरई में 64.00 लाख रुपए (317 जॉब कार्ड धारक), छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत इमलाहा में 10.63 लाख रुपए (70 जॉब कार्ड धारक), ग्राम पंचायत बमनीघाट में 1.84 लाख रुपए (14 जॉब कार्ड धारक), सीधी जिले की ग्राम पंचायत कोटा में 7.57 लाख रुपए (48 जॉब कार्ड धारक), बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत सकरली बुजुर्ग में 2.26 लाख रुपए (19 जॉब कार्ड धारक), ग्राम पंचायत बघाड़ी में 0.70 लाख रुपए (5 जॉब कार्ड धारक), ग्राम पंचायत जोहर में 0.65 लाख रुपए (03 जॉब कार्ड धारक)।

नाम जॉब कार्ड में है, योजना के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए आवेदन<sup>15</sup> करने का हकदार होगा; ऐसे प्रत्येक आवेदक को अनिवार्य रूप से रोजगार पंजी में दर्ज करके पंजीकृत किया जाएगा एवं दिनांक के साथ रसीद जारी कर कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। जिन आवेदकों को काम प्रदान किया जायेगा उन्हें एक पत्र के माध्यम से एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। यदि किसी मजदूर ने मोबाइल नंबर दिया है, तो ई-मस्टर बनाते समय एक एसएमएस भेजा जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया कि चयनित ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों ने न तो रोजगार पंजी में काम की मांग दर्ज की, न ही रसीद जारी की या कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया।

इसके अलावा, जिन आवेदकों को काम प्रदान किया गया था, उन्हें न तो लिखित रूप में सूचित किया गया, न ही एसएमएस के माध्यम से या ग्राम पंचायत के सार्वजनिक सूचना पटल पर सूचना प्रदर्शित की गई। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि चयनित ग्राम पंचायतों ने मस्टर रोल में मजदूरों के नाम शामिल किए एवं काम की असत्यापित मांग के बावजूद उन्हें रोजगार प्रदान किया। इस प्रकार, उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग एवं वास्तविक रोजगार सृजन को सत्यापित नहीं किया जा सका।

मध्य प्रदेश शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि ग्राम पंचायतों में कार्य मांग/रोजगार पंजी का संधारण किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के तहत कार्य/रोजगार की मांग को रोजगार पंजी में दर्ज नहीं किया गया था जिससे प्रदाय रोजगार एवं की गई मांग का सत्यापन किया जा सके।

#### **2.6.2.4 परिवारों का पंजीयन एवं जॉब कार्ड का जारी करना**

मनरेगा के अनुसार, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य एवं अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक जॉब कार्ड जारी करने के लिए अपने परिवार के पंजीयन के लिए विवरण<sup>16</sup> प्रस्तुत कर सकता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने फरवरी 2013 में ने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद ही जॉब कार्ड पंजी को अद्यतन करने का आदेश जारी किया जिसमें ऐसे परिवारों को, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में रोजगार की मांग नहीं की है, जॉब कार्ड पंजी से विलोपन तथा जो परिवार काम करने के इच्छुक हैं, उनसे आवेदन प्राप्त कर नया जॉब कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गये थे। ग्राम रोजगार सहायक

<sup>15</sup> काम के लिए आवेदन मौखिक या लिखित हो सकता है और ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी को अथवा टेलीफोन या मोबाइल अथवा इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से अथवा कॉल सेंटर के माध्यम से अथवा कियोस्क के माध्यम से अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है।

<sup>16</sup> परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र एवं पता ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को भेजेँ जिसके अधिकार क्षेत्र में वे रहते हैं।

एवं पंचायत सचिव को जॉब कार्ड के पंजीयन/विलोपन के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन लेना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया कि किसी भी चयनित ग्राम पंचायत ने नए जॉब कार्ड बनाने/पुराने जॉब कार्ड विलोपित करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं लिया। इसके अलावा, चयनित ग्राम पंचायतों ने जॉब कार्ड पंजी में परिवारों के पंजीयन एवं विलोपन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया एवं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आवेदन प्राप्त किए बिना 12,568 नए जॉब कार्ड जारी किए।

मध्य प्रदेश शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि ग्राम सभा द्वारा कोविड महामारी अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों को जारी किये गये जॉब कार्डों का अनुमोदन असुविधाजनक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2019-22 के दौरान कोविड महामारी अवधि से पहले तथा बाद में पंजीकृत एवं विलोपित गए जॉब कार्डों के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन नहीं लिया गया।

### **2.6.2.5 मनरेगा मजदूरों को मजदूरी भुगतान में विलंब ।**

मनरेगा मार्गदर्शिका की धारा 3 के अनुसार मजदूरों को मजदूरी भुगतान मस्टर रोल बंद होने के 15 दिवस के भीतर करना है। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के द्वारा (मई 2018) मस्टर रोल बंद होने के 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान की समय सीमा<sup>17</sup> निर्धारित की गई थी। भारत सरकार के आदेशानुसार (जून 2014) श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी के एवज में क्षतिपूर्ति राशि की गणना मस्टर रोल में अप्राप्त मजदूरी राशि के 0.05 प्रतिशत अंश प्रति दिवस के मान से मस्टर रोल के बन्द किये जाने के 16 वें दिवस से की जायेगी। क्षतिपूर्ति राशि भुगतान की गणना परियोजना अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) के द्वारा भुगतान प्राधिकारी स्तर पर पर्याप्त राशि की कमी की स्थिति में नहीं की जायेगी।

चयनित कार्यों की मजदूरी भुगतान के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अनुपालन में लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित ग्राम पंचायतों ने मस्टर रोल के बंद होने की तिथि से एक से 135 दिनों के बीच का समय लेकर मजदूरी सूची तैयार की। इसके अलावा, जनपद पंचायत ने मजदूरी सूची तैयार करने की तिथि और एफटीओ के निर्माण की तिथि से क्रमशः एक से 168 दिनों के बीच और एक से 170 दिनों के बीच का समय लेकर एफटीओ तैयार और अधिकृत किया। परिणामस्वरूप, चयनित जिलों में, जीपी स्तर पर वेतन सूची तैयार करने, ग्राम पंचायत स्तर पर एफटीओ के सृजन और प्राधिकरण में देरी के कारण श्रमिकों को

---

<sup>17</sup> कार्य सत्यापन हेतु पांच दिवस, मूल्यांकित मस्टररोल पर भुगतान आदेश जारी करना एवं एफ टी ओ जारी करने हेतु चार दिवस, प्राप्त वेजलिस्ट का एफ टी ओ तैयार करना एवं एफ टी ओ को डिजिटल हस्ताक्षर सहित बैंक/पोस्ट ऑफिस भेजने हेतु दो दिवस।

0.92 लाख का मुआवजा (पोर्टल में गणना के अनुसार) का भुगतान किया गया था जैसा कि नीचे तालिका-2.2 में दर्शाया गया है: -

तालिका-2.2: मजदूरी भुगतान में देरी का विवरण

विवरण	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	मस्टर रोल की संख्या	विलंब दिनों में
मस्टर रोल तैयार करने में देरी	47	104	239	4 से 138
एफ टी ओ तैयार करने में देरी	32	53	85	2 से 169
एफ टी ओ को अधिकृत करने में देरी	26	43	83	1 से 24
बैंक/पोस्ट ऑफिस के द्वारा मजदूरी भुगतान में देरी	79	484	3599	2 से 529

(आंकड़ा स्रोत: मनरेगा पोर्टल)

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि बैंक/पोस्ट ऑफिस के द्वारा मजदूरों के बैंक खातों में मजदूरी भुगतान में दो से 529 दिनों की देरी हुई। जबकि बैंक स्तर से मजदूरी भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान नहीं था।

मध्यप्रदेश शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2023) एवं कहा कि दो जनपद पंचायतों (बालाघाट एवं कटंगी) जिला बालाघाट द्वारा मजदूरी भुगतान में विलंब के कारण ₹ 0.15 लाख की वसूली संबंधित ग्राम रोजगार सहायक से की गई।

### 2.6.2.6 मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 सुनिश्चित नहीं होना

मनरेगा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार मजदूरी लागत एवं सामग्री लागत का अनुपात अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम मानदंड 60:40 से कम नहीं होना चाहिये। मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए मजदूरी एवं सामग्री लागत अनुपात 60:40 बनाए रखना चाहिये।

मनरेगा योजना के पोर्टल आंकड़ों से परिलक्षित हुआ कि चयनित 64 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-22 के दौरान सामग्री मद पर 51 प्रतिशत (₹ 47.28 करोड़ में से ₹ 23.98 करोड़) किया गया जो मनरेगा में निर्धारित अनुमत्य सीमा से अधिक है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट -2.7 में दर्शाया गया है।

आगे, उपरोक्त अवधि के दौरान सामग्री मद में ₹ 5.07 करोड़<sup>18</sup> अनुमत्य सीमा से अधिक के व्यय के कारण 2.72 लाख मानव दिवस<sup>19</sup> का सृजन नहीं किया जा सका।

<sup>18</sup> ₹ 23.98 करोड़ - 18.91 (₹ 47.28 का 40 प्रतिशत)

<sup>19</sup> 2019-22 की अवधि के दौरान मजदूरी के औसत से मानव दिवस की गणना की गई (2019-20-₹ 176, 2020-21-₹ 190 और 2021-22-₹ 193)

मध्यप्रदेश शासन ने उत्तर (जून 2023) में कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात बनाये नहीं रखा जा सका क्योंकि संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा अधिक पक्के कार्यों को लिया था यद्यपि इसे जिला स्तर पर बनाये रखा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार मजदूरी एवं सामग्री की लागत अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए नहीं रखा गया था।

### **2.6.2.7 मनरेगा के कार्यों के लिए सामग्री का क्रय**

मनरेगा कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी के अनुसार, यदि परिवहन 100 मीटर से अधिक हो तो सामग्री यथा सीमेंट, मिट्टी, मुरम आदि के परिवहन के लिए मशीनों का उपयोग किया जाएगा। । मध्यप्रदेश शासन के आदेश (फरवरी 2013) में उल्लिखित किया गया है कि जनपद पंचायत के सीईओ निविदा प्रक्रिया का उपयोग करके ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के लिए आवश्यक सामग्रियों की लागत की एक सूची को अंतिम रूप देंगे।

चयनित 80 में से 20 ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय संबंधी अभिलेखों की समीक्षा पाया कि इन ग्राम पंचायतों ने जैसे सीमेंट, बजरी, मुरम इत्यादि के परिवहन पर राशि ₹ 1.45 करोड़ का व्यय किया गया जिसमें सामग्री के परिवहन के भुगतान पर ₹ 0.46 करोड़ शामिल है। आगे, लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सामग्री के परिवहन के 202 बिलों की समीक्षा से पता चला कि सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किए गए किसी भी बिल में वाहनों के प्रकार, पंजीकरण संख्या एवं सामग्री का परिवहन कितनी दूरी से किया गया का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि सामग्रियों का परिवहन निर्धारित सीमा से अधिक दूरी से किया गया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि चयनित ग्राम पंचायतों के द्वारा सामग्री क्रय में निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया एवं क्रय सामग्री बिना निविदा प्रक्रिया के किया गया । आगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा अंतिम रूप दी गई सामग्री की दर सूची सभी चयनित जनपद पंचायत के अभिलेखों में नहीं पाई गई।

मध्यप्रदेश शासन ने अवगत (जून 2023) कराया कि भंडार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

### **2.6.2.8 सामग्री का परीक्षण नहीं किया जाना**

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार (दिसम्बर 2014) मनरेगा योजनान्तर्गत तालाबों, चेक डैम एवं स्टॉप डैम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण मनरेगा की जिला स्तर पर गठित प्रयोगशाला से कराया जाना था । सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित प्रयोगशाला से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का परीक्षण कराया गया एवं परीक्षण रिपोर्ट निर्धारित मानक के अनुसार है। नवम्बर 2020 के आदेशानुसार लागत राशि ₹ 5 लाख से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली

सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक रूप से प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जाना है।

यद्यपि तकनीकी स्वीकृति में सामग्री परीक्षण प्रावधान था, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित ग्राम पंचायतों<sup>20</sup> के द्वारा प्रत्येक पांच लाख से अधिक लागत के 215 मामलों में से मात्र आठ संरचनाओं में लगी सामग्री का परीक्षण कराया गया। सामग्री परीक्षण का अभाव दर्शाता है की ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं गया था।

31 ग्राम पंचायतों में स्थित 66 स्टाप डैम के भौतिक सत्यापन में परिलक्षित हुआ कि तीन स्टाप डैम का रोक दीवार टूटी थी, तीन स्टाप डैम में रोक दीवार निर्माण नहीं कराया गया था एवं चार स्टाप डैम में बाहरी दीवार पर प्लास्टर नहीं कराया गया था जो इंगित करता है कि जिला पंचायत श्योपुर में अमानक स्तर की सामग्री से निर्माण कराया गया था। आगे, श्योपुर के जिला स्तरीय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला के प्रयोगशाला सहायक ने अवगत कराया (नवंबर 2022) कि श्योपुर के दो जनपद पंचायत अर्थात बिजयपुर एवं कराहल के द्वारा सामग्री का परीक्षण नहीं कराया गया। नीचे दिये फोटोग्राफ पुष्टि करते हैं कि जिला पंचायत श्योपुर ने अमानक स्तर के कार्य कराये।

**अमानक स्तर का स्टाप डैम संरचनाओं का फोटोग्राफ नीचे है :**

	
<p>ग्राम पंचायत बड़ोदाकलान जनपद पंचायत बिजयपुर जिला पंचायत श्योपुर में निर्मित अमानक स्तर के कार्य</p>	<p>ग्राम पंचायत जमुड़ी जनपद पंचायत बिजयपुर जिला पंचायत श्योपुर में निर्मित अमानक स्तर के कार्य</p>

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, आवश्यक सामग्री का परीक्षण नहीं कराने के जिम्मेदार थे इस प्रकार अमानक स्तर की सामग्री का प्रयोग कर कार्य की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया।

<sup>20</sup> अनूपपुर जिले में ग्राम पंचायतें दुधमनिया, बिजौरा, रौसरखार

मध्यप्रदेश शासन ने कहा कि सामग्री एवं क्यूब परीक्षण हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

### 2.6.2.9 अपूर्ण रोड का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना

चयनित जिला अनूपपूर अन्तर्गत धुराधर ग्राम पंचायत में ₹ 14.10 लाख की लागत वाली ग्रेनुअल सब बेस (जी एस बी) सड़क (अप्रैल 2019) स्वीकृत की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त सड़क को अक्टूबर 2021 में पूर्ण बताया गया था। जबकि उक्त सड़क का नवम्बर 2022 में उप यंत्री पुष्पराजगढ़ के साथ भौतिक सत्यापन किये जाने पर पाया कि प्राक्कलन में ह्यूम पाईप का प्रावधान था फिर भी सड़क का निर्माण उसके बिना किया गया था। आगे देखा कि ₹ 0.96 लाख के ह्यूम पाईप सड़क के किनारे पड़े हुए थे। निर्माण स्थल के भ्रमण के दौरान लिया गया फोटोग्राफ उक्त तथ्यों की पुष्टि करता है।



संबंधित जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, सहायक यंत्री/उप यंत्री उपरोक्त अपूर्ण रोड का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिये जिम्मेदार थे। इस प्रकार, सड़कों के निर्माण में ह्यूम पाइप न लगाए जाने के कारण, निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किया गया, जिससे बारिश के पानी से कटाव के कारण सड़क जल्दी क्षतिग्रस्त हो गई।

मध्यप्रदेश शासन ने (जून 2023) कहा कि संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त सड़क कार्य पूर्ण किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि शासन के द्वारा क्रय किए ह्यूम पाईप का उपयोग करते हुये सड़क कार्य पूर्ण किया गया इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये।

### 2.6.2.10 अपूर्ण सामुदायिक परिसंपत्तियां

लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी) की कार्य नियमावली में निर्धारित है कि स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर कार्य अवश्य प्रारंभ करना है नहीं तो सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्राक्कलन की संशोधित प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। आगे, परिचालन दिशा-निर्देश यह निर्धारित करते हैं कि जिला कार्यक्रम समन्वयक को दरों की अनुसूची

(एस.ओ.आर.) के संशोधन के बाद एक महीने के भीतर कार्य के अधूरे हिस्से का पुनः आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण करना होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (पोर्टल डेटा से) कि परिसंपत्तियों की ₹ 1.38 करोड़ मूल्य की लागत वाली 15 अवसंरचनाओं से संबंधित कार्यों को चयनित छः जनपद<sup>21</sup> के 10 ग्राम पंचायतों के द्वारा वर्ष 2013-14 से 2018-19 के मध्य स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्यों पर ₹ 58.94 लाख व्यय होने के बावजूद जनवरी 2023 तक अपूर्ण रह गए। (परिशिष्ट-2.8)।

दिसम्बर 2022 में भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि अनूपपुर जिले में स्थित ग्राम पंचायत धुराधर के द्वारा ग्राम पंचायत भवन अगस्त 2013 में लागत राशि ₹ 12.85 लाख के दात स्वीकृत करने के नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत भवन अब तक अपूर्ण स्थिति में थे। आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि मनरेगा के अनुसूचित दर में दो बार संशोधन के बाद भी भवन को पूरा करने का अनुमान संशोधित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप व्यय राशि ₹ 6.33 लाख व्यय होने के बावजूद पंचायत भवन का कार्य अपूर्ण था। निर्माण स्थल मुआयने के दौरान लिया गया फोटोग्राफ भी तथ्य की पुष्टि करता है:-



मध्यप्रदेश शासन ने (जून 2023) कहा कि भूमि/स्थल विवाद एवं आवंटन निधि प्राप्त होने में देरी होने के कारण तीन ग्राम पंचायत में कार्य अपूर्ण रहे। आगे धुराधर ग्राम पंचायत को जून 2023 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएंगे और छः ग्राम पंचायतों के द्वारा अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने सत्यापन के लिए भूमि/स्थल विवाद और धन जारी करने में देरी के कारणों के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया। छह पूर्ण कार्यों के लिए लेखापरीक्षा को कोई पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

<sup>21</sup> अनूपपुर, बडवानी, छतरपुर, राजगढ़, रतलाम एवं श्योपुर।

## II केन्द्रीय वित्त आयोग

### 2.6.2.11 निर्माण कार्यों की लागत का ₹ 1.96 करोड़ तक का अधिक अनुमान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुसूचित दर के सामान्य निर्देशों में यह उल्लिखित है कि कार्यों की विभिन्न मदों के लिए इकाई दर, सभी संचालन के लिए पूर्ण मुआवजे सहित विन्देशो की आवश्यकता के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए है और सभी श्रम, सामग्री, रॉयल्टी, लीज किराया, अपव्यय, अस्थायी कार्य संयंत्र, उपकरण, उपरी व्यय एवं लाभ शामिल करता है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। आगे, मानक आंकड़ा पुस्तक (जनवरी 2019) के अनुसार प्रत्येक मद में ठेकेदार का लाभांश एवं सामग्री पर उपरी व्यय 10 प्रतिशत, मजदूरी, छोटी-मोटी वस्तुएं एवं वाटर चार्जज इत्यादि सम्मिलित है।

ग्राम पंचायतें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के ₹ 15 लाख तक के मूल्य वाले कार्यों का क्रियान्वयन स्वयं विभागीय स्तर से करेगी, जिसमें ठेकेदार सम्मिलित नहीं होगा। तदनुसार, कार्यों की कुल प्राक्कलित लागत में ठेकेदारों के लाभ आदि का 10 प्रतिशत छोड़कर निर्धारित की जानी चाहिए।

हालांकि, हमने पाया कि सहायक यंत्री/उप यंत्री ने चयनित पांच जिला परिषदों में 230 निर्माण कार्यों (कुल स्वीकृत राशि ₹ 21.50 करोड़) के निष्पादन के लिए ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ सहित कार्य अनुमान की कुल लागत के आधार पर तकनीकी स्वीकृति जरी की, जैसा की परिशिष्ट 2.9 में विस्तृत है।

इस प्रकार संबंधित जनपदों के सहायक यंत्री /उप यंत्री 230 निर्माण कार्यों की लागत का ₹ 1.96 करोड़ अधिक आकलन करने के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने निर्माण कार्य के अनुमान से ठेकेदार के लाभ से बहार नहीं रखा गया था।

मध्यप्रदेश शासन ने (जून 2023) उत्तर दिया की जिला पंचायतों /जनपद पंचायतों के द्वारा ठेकेदारों के लाभ में कटौती करके और एस ओ आर की लागू दर के आधार पर जी एस टी जोड़कर तैयार किए गए कार्य प्राक्कलन के अनुसार निर्माण कार्य क्रियान्वित किया जा रहा था।

मध्यप्रदेश शासन ने अप्रैल 2022 से पूर्व तैयार किये गये निर्माण कार्यों के प्राक्कलन पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

### 2.6.2.12 14 वें वित्त आयोग की अनुदान राशि से परिसंपत्तियों का रखरखाव नहीं किया नहीं किया जाना।

मध्यप्रदेश शासन की दिशानिर्देशों<sup>22</sup> के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का 7.5 प्रतिशत निर्माण कार्यों<sup>23</sup> के रख रखाव पर व्यय करना जरूरी था। 15वें वित्त आयोग की

<sup>22</sup> फरवरी 2018 एवं सितम्बर 2019 में जारी।

<sup>23</sup> जैसे सामुदायिक पुराने कूप, स्टॉप डेम, पंचायत भवन एवं अन्य भवन तथा शासकीय भवनों में शौचालय का निर्माण

अनाबद्व निधि से ग्राम पंचायतें पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का नवीकरण कार्य नल से पानी से पानी की सुविधा हेतु पाईप लाईन का विस्तार तथा शासकीय भवनों में जल सुविधा प्रदान करने इत्यादि कार्य सम्मिलित करा सकती हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी चयनित जनपद पंचायतों में से तीन ग्राम पंचायतों<sup>24</sup> जिनके द्वारा व्यय राशि ₹ 0.99 लाख थी, को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत ने 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु प्राप्त अनुदान राशि ₹ 1.86 करोड़<sup>25</sup> में से कोई का व्यय नहीं किया।

जबकि, चयनित 38 ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 40 प्राथमिक स्कूल, नौ माध्यमिक स्कूल, 20 आंगनबाड़ी केन्द्र, सात रसोई शेड एवं 47 अन्य सार्वजनिक भवनों की स्थिति दयनीय थी, जैसा कि परिशिष्ट 2.10 में वर्णित है। निम्न फोटोग्राफ भी तथ्यों की पुष्टि करते हैं :-



मध्यप्रदेश शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि 14वें वित्त आयोग में अधूरे कार्यों को लिए जाने के कारण रखरखाव का कार्य शुरू नहीं किया जा सका तथापि विभागीय परिसंपत्तियों और विभाग को सौंपी गई परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं संचालन को सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी किये जायेंगे।

### 2.6.3 सृजित संपत्तियों का भौतिक सत्यापन एवं प्रभाव मूल्यांकन ।

<sup>24</sup> जनपद पंचायत राघौगढ की ग्राम पंचायत भडोरी एवं जामनेर उपयोग की गई राशि ₹ 0.11 लाख जनपद पंचायत बालाघाट की ग्राम पंचायत मोहगांव में उपयोग की गई राशि ₹ 0.88 लाख

<sup>25</sup> वर्ष 2019-20 के दौरान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 13.25 करोड़ रुपये के मूल अनुदान के 7.5 प्रतिशत की दर से रखरखाव अनुदान तथा ₹ 11.57 करोड़ रुपये का निष्पादन अनुदान दिया जाएगा।

## I. मनरेगा

784 परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन (474 जल संरक्षण एवं संचयन, 30 पौधरोपण, 111 मिट्टी संरक्षण एवं 169 ग्रामीण अवसंरचनाओं) में निम्न परिलक्षित हुआ:-

### 2.6.3.1 व्यक्तिगत खेत तालाबों के निर्माण पर निरर्थक व्यय राशि ₹ 1.23 करोड़

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (नवम्बर 2016) ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि पानी के रिसाव को रोकने के लिये तालाबों के बन्ड को काली मिट्टी<sup>26</sup> से भरना चाहिये। आगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (मई 2019) ने सभी जिला पंचायतों को निर्देशित किया कि चयनित स्थल अपारगम्य हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित ग्राम पंचायतों ने जल संरक्षण एवं संचयन के 474 संरचनाओं, 112 व्यक्तिगत खेत तालाबों को स्वीकृत किया। 112 व्यक्तिगत खेत तालाबों में से पूर्ण 71 खेत तालाबों के निर्माण पर वर्ष 2019-22 के दौरान ₹ 1.57 करोड़ व्यय किया गया। पूर्ण 71 खेत तालाबों के भौतिक सत्यापन में परिलक्षित हुआ:-

- 82 प्रतिशत खेत तालाबों (71 में से 58) में पानी उपलब्ध नहीं था।
- 58 खेत तालाबों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में काली मिट्टी का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे पाया गया कि खेत तालाबों का निर्माण कठोर मिट्टी की परत /मुरम वाले स्थल पर किया गया था जो अपारगम्य नहीं था जो इंगित करता है कि तकनीकी प्राधिकारी के द्वारा पर्याप्त रूप से स्थल का सर्वे किये बिना तालाब की स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रमाण के लिये छायाचित्र नीचे दिये गये हैं :



<sup>26</sup> काली मिट्टी में कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात (सी.बी.आर.) 2 प्रतिशत से कम हो सकता है, जो जल धारण के लिए आवश्यक है।

इस तरह, वर्षा जल रोकने में असफल संरचना के कारण उपरोक्त तालाबों के निर्माण पर किया गया ₹ 1.23 का व्यय निष्फल रहा ।

मध्यप्रदेश शासन ने (जून 2023) अवगत कराया कि खेत तालाब में पानी उपलब्ध नहीं रहने का कारण कृषकों के द्वारा फसलों की सिंचाई में खेत तालाब के पानी का उपयोग और भूमिगत जल का पुनर्भरण न होना हो सकता है।


उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खेत तालाबों का भौतिक निरीक्षण मानसून के बाद नवम्बर 2022 से जनवरी 2023 के मध्य किया गया था । खेत तालाबों में पानी का रिसाव इस कारण रूक नहीं पाया क्योंकि खेत तालाब की तहलटी का निर्माण कड़ी मिट्टी/मुरम पर किया गया था ।

### 2.6.3.2 रोक बाँध में द्वार नहीं लगाना ।

मनरेगा के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार रोक बाँध का निर्माण जल धारा से बड़े जलग्रहण क्षेत्र वाली जलधाराओं पर किया जाता है और उन्हें मानसून के बाद के प्रवाह को रोकने के लिए गेट (1.5 मिमी मोटाई की पूर्व-निर्मित धातु शीट) के साथ डिजाईन किया जाना चाहिए ।

चयनित ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-22 में निर्मित 52 पूर्ण (कुल व्यय राशि ₹ 5.86 करोड़) स्टॉप डैम/चेक डैम के भौतिक सत्यापन में परिलक्षित हुआ कि 29 चेक/स्टॉप डैम में मानसून के बाद के प्रवाह को रोकने के लिए गेट स्थापित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ये स्टॉप डैम/ चेक डैम मानसून के बाद के जल प्रवाह को रोकने में विफल रहा । इस प्रकार, इन बांधों के निर्माण पर किया गया ₹ 3.50 करोड़ का व्यय पानी रोकने में विफलता के कारण निरर्थक रहा।

प्रमाण के रूप में छायाचित्र नीचे दिये गये हैं :



(छायाचित्र 2 : बिजौरा में स्थित चेक डैम)

मध्यप्रदेश शासन ने (जून 2023) अवगत कराया कि वर्षा जल के अधिक प्रवाह के कारण स्टॉप डैम के गेट खुले रह गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्टॉप डैम का भौतिक निरीक्षण मानसून के बाद नवम्बर 2022 से जनवरी 2023 के मध्य किया गया था।

## II. केन्द्रीय वित्त आयोग

चयनित ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-22 के मध्य क्रियान्वित, 315 कार्यों (265-पूर्ण 50-अपूर्ण) के भौतिक निरीक्षण में निम्न परिलक्षित हुआ:-

- I. 32 ग्राम पंचायतों में निर्मित 87 सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों में से तीन ग्राम पंचायतों<sup>27</sup> की पांच सड़कों की उपरी परत क्षतिग्रस्त थी।
- II. 25 ग्राम पंचायतों<sup>28</sup> में निर्मित 50 सीमेन्ट कंक्रीट सड़क जो 3 मीटर चौड़ी सीमेन्ट कंक्रीट सड़क थी में नाली का निर्माण नहीं कराया गया।
- III. केन्द्रीय वित्त अनुदान से जिला पंचायत बैतूल, जनपद पंचायत घोड़ाडोगरी ग्राम पंचायत महेन्द्रवाड़ी के द्वारा क्रय किये गये इन्सीनरेटर ग्राम पंचायत भवन में अनुपयोगी पड़ा था।
- IV. जिला पंचायत बैतूल जनपद पंचायत घोड़ाडोगरी ग्राम पंचायत बंजारीढाल में निर्मित शौचालय पानी के कनेक्शन के आभाव के कारण अनुपयोगी पड़ा था।

### 2.6.4 परिणाम एवं प्रभाव मूल्यांकन

#### 2.6.4.1 मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के परिणाम

भारत सरकार द्वारा जारी मनरेगा योजना के वार्षिक मास्टर परिपत्र के अनुसार, क्रियान्वित किये जा रहे प्रत्येक कार्य के अपेक्षित परिणाम अनिवार्य रूप से प्राक्कलन का हिस्सा होने चाहिए। यद्यपि चयनित जिला/जनपदों/ग्राम पंचायतों एवं साथ ही साथ मध्यप्रदेश राज्य गारंटी परिषद की लेखापरीक्षा के दौरान मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अपेक्षित परिणामों के संबंध में कोई प्रतिवेदन/अभिलेख नहीं पाये गये थे। तदनुसार, परिणामों के विश्लेषण हेतु लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों से कृषि विभाग एवं केन्द्रीय भूगर्भीय जल बोर्ड और भू अभिलेख विभाग के आंकड़े/प्रतिवेदन प्राप्त किये।

चयनित 12 जनपद पंचायतों में वर्ष 2019-22 के दौरान जल संचय एवं जल संरक्षण संबंधी सृजित संरचनाओं तथा भूगर्भीय जल स्तर की स्थिति तालिका 2.3 में दी गई है:-

<sup>27</sup> जिला पंचायत रतलाम में ग्राम पंचायत छावनी जोड़िया ( दो सड़क) खरबरखोरा ( दो सड़क) ।

<sup>28</sup> जिला पंचायत अनूपपुर की ग्राम पंचायत, बिजौरा, दुधमनिया, गोबरी, जमुडी, कछराटोला, पोड़ी-1 और रोसारखार, जिला पंचायत बैतूल की ग्राम पंचायत, चंदू, गदाखार, कामोद और खैरा, जीपी चुरई, गोपालपुर टकटैया, पुरापोसर, सिरसी, बापचा, जिला पंचायत गुना के नसीरपुर और खीरखेड़ा, जिला पंचायत रतलाम के ग्राम पंचायत छावनी झोड़िया, करवलखोरा, खेरदा और राजाखेड़, जिला पंचायत राजगढ़ के ग्राम पंचायत धनवासकलां, हिनोती, अमलिया हाट

तालिका 2.3 : जल संचय एवं जल संरक्षण संरचनाओं तथा भूगर्भीय जल की स्थिति का विस्तृत विवरण

जिलों के नाम	जिले की जनपद पंचायत का नाम	जनपद में जल संचय एवं जल संरक्षण की सृजित संरचनाओं की संख्या	कुल लागत (₹ करोड़ में)	वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2022 में कम हुआ भूमिगत जल स्तर (फीट में)
अनूपपूर	जैतहरी	2,065	59.75	5.48 (मानसून पूर्व)
बालाघाट	बालाघाट	326	9.82	19.09 (मानसून पश्चात)
बैतूल	भीमपुर	556	14.88	0.49 (मानसून पश्चात)
	घोड़ा डोगरी	1,023	29.18	4.92 (मानसून पश्चात)
बड़वानी	पानसेमल	1,026	21.09	8.03 (मानसून पश्चात)
	ठीकरी	524	9.67	3.93 (मानसून पश्चात)
छतरपुर	बड़ा मलेहरा	971	25.14	6.89(मानसून पश्चात)
	राजनगर	2,109	32.28	3.12 (मानसून पश्चात)
रतलाम	बाजना	1,237	24.35	0.98(मानसून पश्चात)
सीधी	कुसुमी	777	22.48	0.66 (मानसून पश्चात)
<b>योग</b>		<b>10,614</b>	<b>248.64</b>	<b>0.49 से 19.09 फीट सीमा के मध्य</b>

(आंकड़ा स्रोत: मनरेगा पोर्टल एवं केन्द्रीय भूगर्भीय जल बोर्ड के आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि चयनित जिलों में 2019 की तुलना में वर्ष 2022 में भूजल में गिरावट 0.49 फीट से 19.09 फीट के बीच रही, जहां 248.64 करोड़ रुपये की लागत से 10,164 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया था। इस प्रकार, चयनित ग्राम पंचायतों में भूमिगत जल स्तर बढ़ने के बजाय कम हो गया। इससे पता चलता है कि इन परिसंपत्तियों के निर्माण के बाद जल संरचनाओं का अपेक्षित परिणाम विभाग द्वारा मूल्यांकन के अनुरूप नहीं था।

मध्यप्रदेश शासन ने (जून 2023) उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा की अनुशंसा अनुसार सृजन के दौरान अनुमानित परिणामों की तुलना में सृजित परिसंम्पत्तियों के परिणामों के मूल्यांकन के प्रयास किए जाएँगे।

#### 2.6.4.2 प्रभाव मूल्यांकन

##### (I) मनरेगा

20 जनपदों के अन्तर्गत चयनित 80 ग्राम पंचायतों में 495 ग्रामीणों से जल संरक्षण एवं संचयन संरचनाओं, 10 से पौधरोपण, 97 से मिट्टी संरक्षण एवं 169 से ग्रामीण अवसंरचनाओं के लाभार्थी सर्वेक्षण में निम्नानुसार स्थिति परिलक्षित हुई:-

- **जल संरक्षण एवं संचयन संरचनाएं** - 495 में से 71 हितग्राहियों ने कहा कि नवम्बर के बाद निर्मित संरचनाओं में पानी उपलब्ध नहीं रहने के कारण फसल चक्र में परिवर्तन नहीं हुआ।
- 495 में से 87 हितग्राहियों ने बताया कि खेत तालाब एवं कपिल धारा कूप के निर्माण से खेती रकबे क्षेत्रफल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई ।
- 495 में से 253 हितग्राहियों ने बताया कि मनरेगा को छोड़कर जीविकोपार्जन का कोई अन्य स्रोत नहीं है।
- **मृदा संरक्षण** - 97 में से 40 मृदा संरक्षण के हितग्राहियों ने बताया कि जीविकोपार्जन के लिये मनरेगा में कार्य में करने के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है।
- **वृक्षारोपण** - 10 में से 9 हितग्राहियों ने बताया कि पौधे जीवित नहीं रहने के कारण उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ।

## (II) केन्द्रीय वित्त आयोग

केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान से निर्मित 315 कार्यों के संबंध में 429 ग्रामीणों के हितग्राही सर्वेक्षण में निम्नानुसार स्थिति परिलक्षित हुई:-

- तीन ग्राम पंचायतों में कुल 28 में से आठ ग्रामीणों ने 14 पेयजल आपूर्ति (तीन मोटर पंप, छः पाईप लाईन का विस्तार, पांच वाटर टैंक) के सर्वे में बताया कि पेयजल आपूर्ति एक दिन छोड़कर की जाती है।
- 28 ग्राम पंचायतों में कुल 82 में से 76 ग्रामीणों ने सर्वे बताया कि क्रमशः सार्वजनिक कूड़ा-कचरा स्थल एवं नाडेप से कचरा तथा गोबर की नियमित सफाई एवं उठान का प्रबंधन नहीं किया गया है।

### 2.6.5 निगरानी एवं मूल्यांकन

#### 2.6.5.1 गुणवत्ता एवं निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया जाना

भारत सरकार के वार्षिक मास्टर परिपत्र के अनुसार राज्य एवं जिले स्तर पर निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता प्रबंधन के लिये गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ<sup>29</sup> का गठन किया जाना था।

हालांकि, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी कांउंसिल ने अवगत कराया कि अक्टूबर 2022 तक राज्य स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया। आगे लेखापरीक्षा में देखा कि चयनित जिलों में जिला स्तरीय गुणवत्ता पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ का भी गठन नहीं किया गया था । इस तरह राज्य और जिला स्तर पर क्रमशः गुणवत्ता निगरानी समिति के गठन के

<sup>29</sup> मनरेगा के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए 10 से 15 तकनीकी अधिकारियों को पैनल में शामिल किया जाएगा।

अभाव में मनरेगा योजना से क्रियान्वित कार्यो/परियोजनाओं की गुणवत्ता को विभाग के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मध्यप्रदेश शासन ने (जून 2023) उत्तर दिया कि जिला स्तरीय गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के द्वारा उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

#### **2.6.5.2 त्रिस्तरीय पंचायत निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाना**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अगस्त 2010 में जारी परिपत्र के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के नियमित निरीक्षण के लिये निरीक्षण कार्यक्रम रोस्टर अग्रिम में तैयार किया गया है जिसे आयुक्त, संचालनालय पंचायती राज सभी जिला एवं जनपद पंचायतों के सीईओ द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में बनाया जाना है। जैसा कि उपरोक्त परिपत्र में कहा गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकार में स्थित प्रत्येक जनपद एवं प्रत्येक जनपद की दो ग्राम पंचायतों का वर्ष के दौरान निरीक्षण करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए की उसके क्षेत्राधिकार में स्थित सभी ग्राम पंचायतों का निरीक्षण चार वर्ष में पूरा हो जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत साथ ही साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी चयनित जनपद पंचायत ने जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों के निरीक्षण के लिये निरीक्षण रोस्टर तैयार नहीं किये थे। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण के लिये प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये।

निरीक्षण कार्यक्रम एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अभाव में लेखापरीक्षा के द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि चयनित जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के द्वारा वर्ष 2019-22 के दौरान ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया जैसा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा वांछित था ।

मध्यप्रदेश शासन ने (जून 2023) बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायतों के द्वारा निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं एवं किये गये निरीक्षण के मासिक प्रतिवेदन जिला अधीक्षक को प्रेषित किये जाते हैं ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के द्वारा उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गया ।

### 2.6.5.3 सृजित परिसम्पतियों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं होना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखापरीक्षा नियम (2011) में उल्लिखित है कि राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत के द्वारा कराये गये कार्यों का छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण करायेगी। इस हेतु एक कैलेन्डर तैयार किये जाना था और जिला समन्वय अधिकारी को आवश्यक व्यवस्था के लिये भेजा जाना था। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना था ताकि परिसंपत्तियों के स्थायित्व और उनकी इच्छित उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-22 के दौरान चयनित 80 ग्राम पंचायतों में 480 सामाजिक अंकेक्षण करना था, परन्तु, मात्र 160 सामाजिक अंकेक्षण किये गये जैसा कि विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.11 में है।

आगे देखा गया कि सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में ग्राम पंचायतों के द्वारा मनरेगा योजना से निर्मित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता एवं उसकी उपयोगिता संबंधी तथ्यों सम्मिलित नहीं किया गया था।

मध्यप्रदेश शासन के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण में कमी के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये।

#### निष्कर्ष

मनरेगा में यह परिकल्पना की गई है कि 'उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा'। वर्ष 2019-22 के दौरान चयनित जनपदों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं ग्रामीण अधोसंरचनाओं संबंधी क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत परिसम्पत्तियां सृजित नहीं की गयी थी। चयनित 20 जनपदों में मनरेगा निधि के अभिसरण के साथ सामुदायिक ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण की कोई योजना नहीं बनाई गई थी। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करते हुए, 15वें वित्त आयोग के तहत क्रमशः जिला एवं जनपद पंचायतों की योजनाओं में ₹ 15 / ₹ 10 लाख से कम लागत वाले 55 प्रतिशत कार्यों (कुल लागत ₹ 59.16 करोड़) और 41 प्रतिशत कार्यों (कुल लागत ₹ 8.90 करोड़) को शामिल किया गया था। ग्राम पंचायतों के द्वारा वास्तविक आधार पर लेबर बजट तैयार नहीं किये गये। मनरेगा में कार्यरत व्यक्ति परिवार के सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते में 87.65 लाख रुपये का मजदूरी भुगतान जमा किया गया। ग्राम पंचायतों के द्वारा असत्यापित रोजगार मांग के विरुद्ध रोजगार की पेशकश की। 230 निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों में ₹ 1.96 करोड़ का अधिक प्राक्कलन किया गया। व्यक्तिगत खेत तालाब एवं पंचायत भवन के निर्माण पर

क्रमशः ₹ 1.23 करोड़ एवं ₹ 6.33 लाख का निष्फल व्यय देखा गया। मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ एवं चयनित जिलों में जिला स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई। मनरेगा योजनान्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता एवं उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने में कमी देखी गई।

### अनुशंसाएं

- (i) विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए था की सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कार्यों की अनुशंसा ग्राम सभा सदस्यों द्वारा की जाए।
- (ii) विभाग को श्रमिकों या उनके परिवार के सदस्यों के जॉब कार्ड में उल्लिखित आधार से जुड़े बैंक/डाकघर खाते में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को धोखाधड़ी से धन निकासी के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए।
- (iii) विभाग को परिसंपत्तियों के रखरखाव कार्यों के संबंध में वित्त आयोग अनुदान के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- (iv) विभाग को विशेष रूप से व्यक्तिगत खेत तालाबों के मामले में जल प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए उचित स्थल सर्वेक्षण करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों को निर्देश देने चाहिए।
- (v) विभाग कार्यों/परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित परिणामों के विरुद्ध वास्तविक परिणामों को सुनिश्चित करके मनरेगा के तहत सृजित की गई परिसंपत्तियों के वार्षिक परिणामों की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।
- (vi) विभाग को मनरेगा के तहत कार्यों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए। योजना की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।



**भाग- ब**

**अध्याय-3**

**नगरीय स्थानीय निकायों की  
कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय  
प्रतिवेदित प्रकरणों पर विहंगावलोकन**



## अध्याय - 3

### नगरीय स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली का विहंगावलोकन

#### 3.1 प्रस्तावना

74वें संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) को संवैधानिक दर्जा दिया और एक समान संरचना, नियमित चुनावों और वित्त आयोग के माध्यम से धन के नियमित प्रवाह आदि की एक प्रणाली स्थापित की। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राज्यों को इन निकायों को शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व सौंपने की आवश्यकता है, जिससे वे स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके।


संविधान के अनुच्छेद 243-थ में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य में बृहत नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिक निगमों; लघुतर नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर परिषद; और एक ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में अवस्थांतर क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 243-ब में कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वशासन- की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और ऐसी विधि में नगर पालिकाओं को शक्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण के प्रावधान किये जा सकते हैं।

मार्च 2022 तक राज्य में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका परिषद और 298 नगर परिषद हैं।

#### 3.2 नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना

सभी नगरीय स्थानीय निकायों को मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है, जो कि राज्य प्राधिकरणों में निहित निगरानी शक्तियों के अधीन है। शासन स्तर पर, नगरीय विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) नगरीय स्थानीय निकायों के लिए प्रशासनिक विभाग है। नगरीय स्थानीय निकायों के अभिशासन का संगठनात्मक ढाँचा निम्न प्रकार है:

**चार्ट 3.1: मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना**



**3.3. नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली**

अनुच्छेद 243-ब में परिकल्पना की गई है कि किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है, जो उन्हें स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं की शक्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण के प्रावधान, जिसमें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्य सम्मिलित हैं। राज्य शासन ने भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में निहित सभी 18 कार्यों को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में बताया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-भ में परिकल्पना की गई है कि राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरीय स्थानीय निकायों को राजस्व संग्रह के लिए विभिन्न कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। यह संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 में सम्मिलित किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों के स्तर पर संपत्ति कर, समग्र कर, जल कर, बाजार शुल्क, आदि सहित विभिन्न प्रकार के कर अधिरोपित किए गए हैं।

नगरीय स्थानीय निकाय तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद जिनका वर्णन नीचे किया गया है:

<sup>1</sup> भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन।

### ➤ नगर पालिक निगम

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, के अनुसार 9 की धारा 1956, एक नगरपालिक निगम में नगरपालिक निगम क्षेत्र से सीधे निर्वाचित एक महापौर और पार्षद सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 37 में प्रावधान है कि महापौर द्वारा मेयर-इन-काउंसिल के कार्यों और क्रियाकलापों जैसा विहित किया जाए, के संचालन के लिए निर्वाचित पार्षदों में से प्रत्येक नगरपालिक निगम के लिए मेयर-इन-काउंसिल का गठन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, के अनुसार 25 की धारा 1956, महापौर का अपने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और वह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर कार्य करेंगे।

निगम के आयुक्त को राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है और उसे निगम या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मतदान करने या किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। आयुक्त के कार्यालय में नियमों के तहत निर्धारित कार्यों और कर्तव्यों के लिए प्रशासनिक कर्मचारी होंगे। आयुक्त इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपे गए या प्रदत्त किये सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सभी नगरपालिका अधिकारियों के कार्यों और कार्यवाहियों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा।

### ➤ नगरपालिका परिषद और नगर परिषद

मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, के अनुसार 19 की धारा 1961, एक लघुतर शहरी क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका परिषद और एक अवस्थांतर शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा संबंधित क्षेत्रों से निर्वाचित एक अध्यक्ष एवं पार्षद होंगे। अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत, प्रत्येक नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद् के लिए एक प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल (पीआईसी) होगा, जिसका गठन अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से पीआईसी के कार्यों और क्रियाकलापों, जैसा कि निर्धारित हो के संचालन के लिए किया जाएगा। नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष, जो पीआईसी के अध्यक्ष हैं, सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन का पर्यवेक्षण करेंगे और ऐसे कार्यकारी कार्यों जो अधिनियम के अंतर्गत आवंटित हो का निष्पादन करेंगे।

अधिनियम की धारा के अनुसार 87, परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी, जो नगरपालिका परिषद नगर परिषद का प्रधान कार्यकारी/अधिकारी होगा और उनके पास ऐसी शक्तियाँ होंगी और वे ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जैसा की अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में वर्णित हैं।

### 3.3.1 स्वीकृत कार्मिक संख्या की तुलना में कार्मिकों की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीनों प्रकार के नगरीय स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी, जिससे संभवतः नगरीय स्थानीय निकायों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँच किये गये 55<sup>2</sup> नगरीय स्थानीय निकायों में देखा कि कुल स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध मार्च 2022 तक जनशक्ति के विभिन्न संवर्गों में बहुत अधिक रिक्तियाँ थीं जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: नमूना-जाँच की गयी नगरीय स्थानीय निकायों में स्वीकृत शक्ति की तुलना में कार्मिकों की कमी

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकायों के प्रकार (संख्या)	स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या	पदस्थापित कर्मचारियों की संख्या	रिक्ति	रिक्ति प्रतिशत में
1	नगरपालिक निगम (8)	17,947	6,971	10,976	61.16
2	नगरपालिका परिषद (22)	5,712	2,145	3,567	62.45
3	नगर परिषद (25)	2,114	667	1,447	68.45
	<b>योग</b>	<b>25,773</b>	<b>9,783</b>	<b>15,990</b>	<b>62.04</b>

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय)

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि नगरीय स्थानीय निकायों में 61.16 से 68.45 प्रतिशत तक की बहुत अधिक रिक्तियाँ थीं, जो स्पष्ट रूप से नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। चार नगरीय स्थानीय निकायों<sup>3</sup> से कार्मिकों की स्थिति के अंकड़ें प्रतीक्षित (2023 जून) थे। इसके अतिरिक्त, नगरीय स्थानीय निकायों में 27, यह भी देखा गया कि स्वीकृत कर्मचारियों की तुलना में अतिरिक्त कर्मचारी विभिन्न 43 पदों पर कार्य कर रहे थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में बताया गया है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया

<sup>2</sup> आगर मालवा, आष्टा, अकोदिया, अंजड़, बालाघाट, बरघाट, बैतूल, भिंड, बिछिया, बिजुरी, बुढार, बुदनी, ब्यौहारी, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, गंजबासौदा, ग्वालियर, इछावर, इंदौर, जबलपुर, जावरा, झाबुआ, करेली, खंडवा, खिरकिया, कुशी, लोहार्दा, महाराजपुर, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, मुलताई, नलखेड़ा, नरसिंहगढ़, नीमच, निवाड़ी, ओंकारेश्वर, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायनवार, पोलायकलां, राजपुर, रामपुर नैकिन, रतलाम, सागर, साँची, सिवनी मालवा, शहडोल, शिवपुरी, तेंदूखेड़ा, उचेहरा और विदिशा।

<sup>3</sup> भोपाल, ओबेदुल्लागंज, सतना और सीहोर ।

कि अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में समान पदों पर कर्मचारियों की कमी थी। पदस्थ व्यक्तियों के इस अतार्किक वितरण से संकेत मिलता है कि विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन पर्याप्त नहीं था।

### 3.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

राज्य शासन ने नवम्बर 2001 में नगरीय स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (डीएलएफए) किया था, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी&एजी) के तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता टीजीएस के मानक नियमों और शर्तों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखों के ऐसी नमूना जाँच करने और वैधानिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने और अनुपूरण करने जैसा वह उचित समझे, का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके प्रतिनिधि को अपने विवेकानुसार लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने का अधिकार है।

मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा ने मार्च-2015 में राज्य में स्थानीय निकायों के विनियोग लेखाओं के परीक्षण के लिए स्थानीय निकाय और पंचायतीराज लेखा समिति (एलबीपीएसी) है। एलबीपीएसी विधान सभा के पटल पर रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच के लिए भी उत्तरदायी है।

#### ➤ भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग द्वारा प्रदान किया गया तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता:

लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमन, 2020 कि धारा 120 में नगरीय स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की परिकल्पना की गई है:

- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डीएलएफए) स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा और इसे राज्य के महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को अग्रेषित करेगा।
- स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रियाएँ राज्य द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों और विधियों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

- चयनित स्थानीय निकायों के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियाँ स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा प्रणाली सुधार पर परामर्श के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जाएंगी।
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा स्टाफ का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी करेंगे।

डीएलएफए द्वारा 2021-22 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई थी, जिसे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए डीएलएफए की लेखापरीक्षा योजना में कुल 372 इकाइयाँ दर्शाई गईं, जिनमें से 49 इकाइयों (16 नगरपालिका निगम, 33 नगर पालिका परिषद) की लेखापरीक्षा आवासीय लेखापरीक्षकों द्वारा की जा रही थी, जबकि 323 इकाइयां लेखापरीक्षा के बाद के चरण में थीं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा समय-समय पर सुझाई गई पद्धति और प्रक्रिया का डीएलएफए द्वारा पालन किया गया। डीएलएफए द्वारा पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षा योजना में लेखापरीक्षा के लिए नियोजित नगरीय स्थानीय निकायों की इकाइयों के साथ-साथ वास्तविक लेखापरीक्षित इकाइयों का विवरण नीचे दर्शाये अनुसार है:

तालिका 3.2: इकाइयों की लेखापरीक्षा की वर्षवार स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	इकाइयों की संख्या		शेष इकाइयाँ (संख्या में)
		लेखापरीक्षा हेतु नियोजित	लेखापरीक्षित	
1	2020-21	154	154	निरंक
2	2021-22	159	130	29

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षाभोपाल-, मप्र..)

यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान 29 नियोजित इकाइयाँ बिना लेखापरीक्षा के रह गईं।

➤ **प्राथमिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का विश्लेषण:**

प्राथमिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा की निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) डीएलएफए से नियमित रूप से प्राप्त हो रही है, इन प्रतिवेदनों की 100 प्रतिशत जाँच की गयी है और डीएलएफए को सुझाव जारी किए गए हैं। उनके निरीक्षण प्रतिवेदनों में बारम्बार देखी जाने वाली आपत्तियाँ नीचे दी गई हैं:

- लेखापरीक्षिती का उत्तर नि.प्र. में शामिल नहीं पाया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवेदन एक पक्षीय हुए।

- नि.प्र. में गंभीर और अन्य अनियमितताओं को पृथक नहीं किया गया।
- लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख के साथ प्रवेश और निर्गम सम्मेलनों का कोई उल्लेख नहीं है।
- समान प्रकरणों की कंडिका को पिछले नि.प्र. से अद्यतन नहीं किया गया था, इन्हें एक नई कंडिका के रूप में शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप समान प्रकृति की कंडिकाओं का संग्रह हो गया।
- निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रमाणक प्रस्तुत न करने, बैंक समाधान विवरण तैयार न करने, ठेकेदारों को सुरक्षा जमा न लौटाने आदि के कारण नहीं मांगे गए/उल्लिखित नहीं किये गये।
- पिछले तीन वर्षों के बजट विवरणों का सारांश नि.प्र. में शामिल नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त नि .प्र.से ज्ञात हुआ कि लंबित कंडिकाओं की गिनती बड़ी संख्या में थी और दिसंबर 2022 तक कुल 2,18,774 कंडिकाएं निस्तारण हेतु लंबित थीं।

#### ➤ डीएलएफए में कर्मचारियों की कमी:

डीएलएफए द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार, यह सामने आया कि कर्मचारियों की भारी कमी (50.80 प्रतिशत) थी । स्वीकृत 1,012 पदों के विरुद्ध केवल 498 कर्मी (49.20 प्रतिशत) कार्यरत था । इस सीधा प्रभाव डीएलएफए द्वारा किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा पर पड़ा। इसके अतिरिक्त, डीएलएफए द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी।

### 3.5 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

टीजीएस व्यवस्था के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, महालेखाकार (लेखा परीक्षा- द्वितीय), मध्य प्रदेश के निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) डीएलएफए को प्रेषित किये गये थे। टीजीएस व्यवस्था के अनुसार, डीएलएफए को नि .प्र.की लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन की अनुवर्ती कार्रवाई करनी थी। यद्यपि, नगरीय विकास एवं आवास विभाग में गैर-पीएसयू के 1,613 नि.प्र. में 9,410 कंडिकाएं, जिसमें 2021-22 के दौरान जारी की गई 551 कंडिकाएं और नगरीय विकास एवं आवास विभाग में वाणिज्यिक क्षेत्र के पीएसयू/निगम/ स्वायत्त निकायों के 19 नि.प्र. में 244 कंडिकाएं शामिल हैं, जिसमें 2021-22 के दौरान जारी 105 कंडिकाएं शामिल हैं, मार्च 2023 तक निपटान के लिए लंबित थीं, जैसा कि तालिका 3.3 (अ एवं ब) में वर्णित है:

तालिका 3.3: निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति (नि.प्र.)

(अ) 31 मार्च 2023 तक नगरीय विकास एवं आवास विभाग में गैर-पीएसयू के बकाया नि.प्र./कंडिकाओ का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष एवं परिवर्धन				समापन शेष	
		नि.प्र.	जोड़े गए नि.प्र.	कंडिकाएँ	जोड़ी गयी कंडिकाए	निप्र..	कंडिकाएँ
1	2018-19	1,332	79	6,553	711	1,411	7,264
2	2019-20	1,411	139	7,264	1,395	1,550	8,659
3	2020-21	1,550	32	8,659	200	1,582	8,859
4	2021-22	1,582	31	8,859	551	1,613	9,410

(ब) 31 मार्च 2023 तक नगरीय विकास एवं आवास विभाग में वाणिज्यिक क्षेत्र के पीएसयू/निगम/एबी के लंबित नि.प्र. और कंडिकाओ का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष एवं परिवर्धन				समापन शेष	
		नि.प्र.	जोड़े गए नि.प्र.	कंडिकाएँ	जोड़ी गयी कंडिकाए	निप्र..	कंडिकाएँ
1	2018-19	3	2	18	14	5	32
2	2019-20	5	5	32	34	10	66
3	2020-21	10	5	66	73	15	139
4	2021-22	15	4	139	105	19	244

(स्रोत : महालेखाकार) लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश द्वारा संकलित नियंत्रण पंजी)

### वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरण

नगरीय स्थानीय निकायों के वित्त में स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियां एवं भारत सरकार और राज्य शासन से अनुदान और सहायता सम्मिलित है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कुल कर राजस्व की शुद्ध आय के हस्तांतरण के माध्यम से राज्य शासन के अनुदान प्राप्त होते हैं। बजट और व्यय, वित्त आयोग अनुदान और निधियों के हस्तांतरण जैसे मामलों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में टिप्पणी की गई है:

### 3.6 नगरीय स्थानीय निकायों का बजटीय आवंटन एवं व्यय

2020-21 के दौरान राज्य बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि (राज्य के कर राजस्व का हिस्सा और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान) इस प्रकार थी:

तालिका 3.4: नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्ति और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या	सहायता अनुदान			वास्तविक व्यय			अव्ययित शेष	बचत का प्रतिशत
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग		
2021-22	22	11,002.48	4,445.5	15,447.98	10,829.78	3,446.61	14,276.39	1,171.59	8

(स्रोत: विनियोग लेखे)

जैसा कि तालिका 3.4 से स्पष्ट है, ₹ 15.447 करोड़ के कुल अनुदान के विरुद्ध, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 14,276.39 करोड़ की राशि खर्च की गयी। इस प्रकार, सम्पूर्ण अनुदान आवंटन में ₹ 1,171.59 करोड़ (आठ प्रतिशत) कि बचत हुई।

### 3.7 पन्द्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान

15वें वित्त आयोग (अवधि 2020-26) की अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य के भीतर विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के बीच आवंटन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाना था। 15वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उनके खातों में जमा किए जाने के दस कार्य दिवसों के भीतर नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करना आवश्यक था। विलम्ब की स्थिति में, राज्य शासन को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के अनुसार देरी की अवधि के लिए ब्याज के साथ किस्त जारी करनी चाहिए।

2021-22 की अवधि के लिए यूएडीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि राज्य शासन को मार्च 2022 तक भारत सरकार से 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹ 1,445.20 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने के संबंध में जानकारी जून 2023 तक प्रतीक्षित थी।

### 3.8 कर राजस्व/गैर-कर राजस्व की वसूली न होना

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 105 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व का स्रोत, कर, किराया, शुल्क, लाइसेंस जारी करना आदि है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 173 से 183 में यथा परिकल्पित कर एवं गैर-कर राजस्व की प्राप्ति न होने की स्थिति में नगर निगमों को वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 46<sup>4</sup> नगरीय स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक ₹ 427.64 करोड़ का कर राजस्व (संपत्ति कर, संम्मिश्र कर, शिक्षा और विकास उपकर, आदि) वसूली योग्य था। इसमें पिछले वर्ष का ₹ 264.06 करोड़ रुपये बकाया शामिल है। हालाँकि, 2021-22 के दौरान, कुल मांग, यानि ₹ 427.64 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 178 करोड़ (41.62 प्रतिशत) की राशि ही वसूल की जा सकी। इसी प्रकार, गैर-कर राजस्व (जल शुल्क, लाइसेंस शुल्क, भूमि और भवन किराया, आदि) के अंतर्गत ₹ 303.98 करोड़ की कुल मांग जिसमें ₹ 207.70 करोड़ पिछले वर्षों के बकाया के रूप में शामिल हैं, के विरुद्ध केवल ₹ 88.34 करोड़ (29.06 प्रतिशत) की राशि इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ही वसूल की जा सकी इस प्रकार, मार्च 2022 तक इन 46 नगरीय स्थानीय निकायों में कुल बकाया कर और राजस्व ₹ 465.49 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर तीन<sup>5</sup> नगरीय स्थानीय निकायों ने बताया कि कोविड 19 महामारी के कारण वसूली प्रभावित हुई, 30<sup>6</sup> नगरीय स्थानीय निकायों ने कहा कि वसूली प्रक्रिया चल रही है, जबकि शेष 13 नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में विशेष टिप्पणी नहीं दी। इससे संकेत मिलता है कि इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बका राशि की वसूली के लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 173 से 183 के तहत की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी, जिसका नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं की निधियों के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वयन पर संभावित प्रभाव पड़ा।

### 3.9 बैंक मिलान विवरण तैयार नहीं किया गया

मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखा नियम में मासिक आधार पर रोकड़ बही और बैंक खातों की शेष राशि के बीच किसी भी अंतर का मिलान किया जाना निर्धारित है।

<sup>4</sup> आगर मालवा, अकूदिया, अंजड़, आस्था, बालाघाट, बरघाट, भिंड, बिछिया, बिजुरी, बुद्धार, बुधनी, ब्यौहारी, छिंदवाड़ा। धार, गंजबासौदा, इछावर, जबलपुर, जावरा, झाबुआ, करेली, खंडवा, खिरकिया, कुक्षी, महाराजपुर, मैहर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, मुलताई, नलखेड़ा, नरसिंगगढ़, नीमच, ओंकारेश्वर, पिछोर, पिपलानारायणवार, राजपुर, रामपुर नैकिन, सागर, सतना, सिवनी मालवा, सीहोर, शहडोल, शिवपुरी, तेंदूखेड़ा, उचेहरा और विदिशा।

<sup>5</sup> खिरकिया, कुक्षी और पिपलानारायणवार।

<sup>6</sup> आगर मालवा, अंजड़, आस्था, बालाघाट, बरघाट, भिंड, बुद्धार, बुधनी, ब्यौहारी, धार, झाबुआ, खंडवा, महाराजपुर, मैहर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, मुलताई, नलखेड़ा, नरसिंगगढ़, ओंकारेश्वर, पिछोर, राजपुर, रामपुर नैकिन, सागर, सिवनी मालवा, शहडोल, शिवपुरी, तेंदूखेड़ा और उचेहरा।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 25<sup>7</sup> नगरीय स्थानीय निकायों में बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किए गए थे, चार<sup>8</sup> नगरीय स्थानीय निकायों ने बताया कि एक वार्षिक विवरण तैयार किया गया है, जबकि छः<sup>9</sup> ने बताया कि मार्च 2022 तक की अवधि के लिए बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार किए गए हैं। शेष 20 नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की। मार्च 2022 तक इन नगरीय स्थानीय निकायों की रोकड़ बही और बैंक पुस्तकों के अन्त शेष में असमयोजित अंतर थे। अंतरों के समाधान में विफलता धन के दुरुपयोग के जोखिम से भरी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बताया गया कि रोकड़ बही और बैंक खातों के शेष के बीच अंतर का मिलान किया जाएगा।

### 3.10 अस्थायी अग्रिम का समायोजन

म.प्र. नगरपालिका निगम (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 का नियम 190, और म.प्र. नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 में प्रावधान है कि कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूली उनके वेतन से ब्याज सहित की जाएगी और वसूल की गई राशि को कर्मचारियों को दिये गए अग्रिम के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। नियम 194 के अनुसार, नियम 190 के अतिरिक्त सामान्य रूप से अग्रिम नहीं दिया जाएगा। हालांकि, आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका निगम/नगर पालिका के कर्तव्यों के किसी भी आकस्मिक उद्देश्य के लिए कोई अग्रिम की मंजूरी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी अग्रिम तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि व्यय एक महीने के भीतर होने की संभावना न हो।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मार्च 2022 तक 12<sup>10</sup> नगरीय स्थानीय निकायों में, 1961-62 और 2021-22 के बीच अलग-अलग अवधि के लिए व्यक्तियों को प्रदान की गई अस्थायी अग्रिम राशि ₹ 7.05 करोड़ बकाया थी। विवरण **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है।

<sup>7</sup> आगर मालवा, आष्टा, ब्यौहारी, बिछिया, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, गंज बासौदा, हरदा, झाबुआ, खंडवा, महाराजपुर, मंडलेश्वर, नलखेड़ा, ओंकारेश्वर, पिछोर, राजपुर, रामपुर नैकिन, सांची, सागर, शहडोल, शिवपुरी, सीहोर, मुरैना, कुक्षी।

<sup>8</sup> सतना, पिपलानारायणवार, पोलायकलां और विदिशा।

<sup>9</sup> अकोदिया, भोपाल, भिंड, बरघाट, मंदसौर और मालनपुर।

<sup>10</sup> भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, जावरा, खंडवा, कुक्षी, महाराजपुर, नरसिंहगढ़, नीमच, रतलाम, सागर और तेंदूखेड़ा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, नौ<sup>11</sup> नगरीय स्थानीय निकायों ने कहा कि समायोजन के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा, जबकि नगरीय स्थानीय निकाय छिंदवाड़ा ने कहा कि, अग्रिम के समायोजन के लिए कर्मचारियों को सूचित किया गया है, यदि वे नहीं करते हैं, तो वेतन से कटौती की जाएगी, नगरीय स्थानीय निकाय जावरा ने कहा कि वसूली के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी और नगरीय स्थानीय निकाय कुक्षी ने कहा कि अग्रिम की राशि कर्मचारियों के वेतन से काट ली जाएगी और पुराने अग्रिम को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अग्रिम राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास नहीं किये गये तथा वसूली लंबी अवधि से लम्बित थी।

### 3.11 नगरीय विकास उपकर का राज्य हिस्सा नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जमा नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1981 के प्रावधान के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकायों को नगरपालिका क्षेत्र के भीतर भूमि/ भवनों पर नगरीय विकास उपकर (यूडीसी) अधिरोपित करने एवं वसूल करने की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश नगरीय विकास उपकर (वसूली) नियम, 2007 के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकाय प्राप्त उपकर की राशि का 60 प्रतिशत अपने पास रखने के हकदार हैं, शेष 40 प्रतिशत आय शासकीय खाते में जमा की जाएगी। आयुक्त, यूएडीडी ने इस संबंध में निर्देश (नवम्बर 2008) भी जारी किये थे। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य संपत्ति कर बोर्ड की बैठक (मई 2014) के दौरान नगरीय विकास उपकर के मद में प्राप्त राशि जमा करने के लिए अलग बैंक खाता रखने का निर्देश दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच में पाया कि 35<sup>12</sup> नगरीय स्थानीय निकायों ने 2014-15 और 2021-22 के बीच अलग-अलग अवधि के दौरान नगरीय विकास उपकर के रूप में ₹ 51.07 करोड़ एकत्र किए थे। हालांकि, ₹ 20.43 करोड़ (40 प्रतिशत) शासकीय खातों में जमा नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, तीन<sup>13</sup> नगरीय स्थानीय निकायों में यह देखा गया कि सभी प्राप्तियाँ एक सामान्य खाते में जमा की गईं और नगरीय

<sup>11</sup> भिंड, छिंदवाड़ा, जावरा, खंडवा, महाराजपुर, नरसिंहगढ़, नीमच, रतलाम और तेंदूखेड़ा।

<sup>12</sup> आगर मालवा, अंजड़, आस्था, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, भिंड, भोपाल, बिजुरी, बुधनी, बुद्धार, छिंदवाड़ा, धार, जावरा, झाबुआ, करेली, खंडवा, कुक्षी, मंडलेश्वर, महाराजपुर, मंदसौर, मुरैना, मुलताई, ओंकारेश्वर, पिछोर, रतलाम, राजपुर, सागर, सांची, सतना, सिवनी मालवा, सीहोर, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा।

<sup>13</sup> निवाड़ी, ओरछा और साँची।

विकास उपकर की गणना के लिए उचित अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे। इसलिए, खाते में जमा नगरीय विकास उपकर की वास्तविक राशि का पता लगाना संभव नहीं था। इस प्रकार, शासकीय खाते में नगरीय विकास उपकर जमा करने में नगरीय स्थानीय निकायों की विफलता के कारण राज्य शासन राजस्व से वंचित रहा। शेष 20 नमूना जाँच की गयी नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर 21<sup>14</sup> नगरीय स्थानीय निकायों ने बताया कि नगरीय विकास उपकर को शासकीय खाते में जमा करने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। नगरीय स्थानीय निकाय छिंदवाड़ा ने बताया कि नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्य नगरीय विकास उपकर की राशि से किए गए थे और राशि शासकीय खाते में जमा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, दो<sup>15</sup> नगरीय स्थानीय निकायों ने कहा कि नगरीय विकास उपकर की राशि जमा करने के लिए अभिलेख एवं पृथक बैंक खाता रखा जाएगा। इस संबंध में, शेष नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कोई विशेष उत्तर नहीं दिया गया।

### 3.12 शिक्षा उपकर का उपयोग न करना और निधि का विचलन

मध्य प्रदेश शासन ने (अक्टूबर 2012 और जुलाई 2016) में आदेश जारी किया कि शिक्षा उपकार का उपयोग नगरपालिका क्षेत्र के भीतर शासकीय/स्थानीय निकाय स्कूलों में रख रखाव, परिसर और शौचालयों की सफाई, पीने योग्य पानी की सुविधा प्रदान करने, आदि के लिए किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 33<sup>16</sup> नगरीय स्थानीय निकायों में, 2014-15 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 94.84 करोड़ का शिक्षा उपकार एकत्र किया गया था। हालाँकि, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा केवल ₹ 69.79 करोड़ का उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप बैंक खाते में ₹ 25.05 करोड़ की राशि अवरुद्ध हो गई जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में बताया गया है। इसके अतिरिक्त, नगरीय स्थानीय निकाय, छिंदवाड़ा में यह देखा गया कि आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 2020-22 के दौरान ₹ 1.99 करोड़ का शिक्षा उपकर अनियमित रूप से

<sup>14</sup> आगर मालवा, अंजड़, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बिजुरी, बुधनी, बुढ़ार, धार, जावरा, झाबुआ, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, मुलताई, ओंकारेश्वर, रतलाम, राजपुर, सागर, सिवनी मालवा और शहडोल।

<sup>15</sup> निवाड़ी और ओरछा।

<sup>16</sup> आगर मालवा, अंजड़, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, भिंड, भोपाल, बिजुरी, बुधनी, बुरहार, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, झाबुआ, करेली, खंडवा, कुक्षी, महाराजपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, मुलताई, ओंकारेश्वर, पिछोर, रतलाम, सागर, सांची, सिवनी मालवा, शहडोल, शिवपुरी, सतना और विदिशा।

उपयोग किया गया था। शेष 22 नमूना जाँच की गयी नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर 19<sup>17</sup> नगरीय स्थानीय निकायों ने कहा कि शिक्षा उपकर की राशि का उपयोग भविष्य में किया जाएगा। हालाँकि, शेष 14 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

### 3.13 नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण

म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा और म.प्र. नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 के प्रावधानों के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, अर्थात् शासकीय अनुदान और स्वयं का राजस्व। शासकीय अनुदान में तीसरे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी ) की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य शासन के विभाज्य कर राजस्व का एक प्रतिशत का हस्तांतरण शामिल है।

तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की (फरवरी 2010 में राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई) कि राज्य शासन के विभाज्य कर राजस्व का एक प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान 22-2021, वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तांतरण नीचे तालिका 3.5 में दिखाया गया है:

तालिका 3.5: नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	राशि जो हस्तांतरित की जानी थी	हस्तांतरित राशि	कमी/(-)अधिकता(+)
1	2021-22	415.02	330	(-) 85.02

(स्रोत: वित्त विभाग और यूएडीडी द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 85.02 करोड़ का कम हस्तान्तरण हुआ था। इस सम्बन्ध में, वित्त विभाग ने कहा (नवंबर 2022) कि कम हस्तांतरण कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और वित्तीय संसाधनों की अनुलब्धता के कारण था।

<sup>17</sup> आगर मालवा, अंजड़, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बुधनी, बुढ़ार, धार, झाबुआ, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, मुलताई, औंकारेश्वर, रतलाम, राजपुर, सागर, सिवनी मालवा और शहडोल।

## अध्याय-4

अनुपालन लेखापरीक्षा

शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति  
प्रबंधन



## अध्याय-4

### अनुपालन लेखापरीक्षा

#### नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन

##### कार्यकारी सारांश

नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मानदंडों के अनुपालन में कमियों के मामले सामने आए। निष्कर्षों से प्राप्त लेखापरीक्षा अनुशंसाओं सहित प्रमुख परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

#### 4.1 नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रबंधन

74वें संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को नगरपालिका सीमा के भीतर जल आपूर्ति के प्रशासन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी बनाया। लेखापरीक्षा द्वारा 14 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी कि क्या उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार आपूर्ति की जाती है; उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता का पेयजल और सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं; और स्रोतों की चिरस्थायित्व के लिए योजना पर्याप्त है। मुख्य निष्कर्षों और अनुशंसाओं का सारांश नीचे दिया गया है:

- तीन नगरीय स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति के लक्ष्य/ मांग के विरुद्ध कमी नगण्य या कोई कमी नहीं थी। दो नगरीय स्थानीय निकाय में कमी का प्रतिशत 19 प्रतिशत तक था, तीन नगरीय स्थानीय निकायों में कमी का प्रतिशत 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य था, जबकि छः नगरीय स्थानीय निकायों में कमी का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक था। दो नगरीय स्थानीय निकाय में, कमी 90 प्रतिशत थी।

(कंडिका 4.1.6.2)

- पानी की मांग के विरुद्ध नौ नगरीय स्थानीय निकायों में भंडारण क्षमता की कमी थी। एक नगरीय स्थानीय निकाय में, यह मामूली थी लेकिन अन्य आठ नगरीय स्थानीय निकायों में 2019-22 के दौरान कमी 0.39 से 4.89 मिलियन लीटर के बीच थी।

(कंडिका 4.1.6.3)

• 14 लेखापरीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों में से किसी ने भी कोई रखरखाव कार्यक्रम तैयार नहीं किया, न ही संबंधित कार्यपालन यंत्रियों ने (दृश्यमान और गैर-दृश्य) रिसाव का पता लगाने, नियंत्रण करने और कम करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की। लेखापरीक्षा द्वारा रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में आश्वासन नहीं दिया जा सका।

(कंडिका 4.1.6.5)

• नगरीय स्थानीय निकाय हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के सेवा स्तर के मानक हासिल करने में विफल रहे। जल कनेक्शन वाले घरों का वास्तविक प्रतिशत (कुल घरों में से) 23 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के बीच था। पूर्ण संख्या के संदर्भ में, कुल 2,54,182 घरों की तुलना में केवल 1,67,594 घरों (65.93 प्रतिशत) के पास अधिकृत जल कनेक्शन था।

(कंडिका 4.1.6.7)

• नगरीय स्थानीय निकायों ने न्यूनतम निर्धारित नमूना आवृत्ति के अनुसार नियमित परीक्षणों के माध्यम से पानी की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से परित्याग कर दिया। आठ चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में, आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण नियमित रूप से नहीं किए गए।

(कंडिका 4.1.7.1)

• 2019-22 की अवधि के दौरान, 13 नगरीय स्थानीय निकायों ने कुल 4,341 भवन निर्माण की अनुमति दी और संबंधित आवेदकों से छत जल संचयन के लिए ₹ 1.35 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि वसूल की। हालाँकि, संबंधित 13 नगरीय स्थानीय निकायों ने न तो आवेदकों द्वारा किए गए छत जल संचयन के कार्य का सत्यापन किया और न ही आवेदकों की ओर से छत जल संचयन संरचनाएँ बनाने के प्रयास किए।

(कंडिका 4.1.8.1)

• 2019-22 के दौरान 14 नगरीय स्थानीय निकायों का ओ एंड एम व्यय ₹ 207.02 करोड़ था, जिसके विरुद्ध, नगरीय स्थानीय निकायों ने प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष ₹ 480 से ₹ 2,400 के बीच विभिन्न दरों पर उपभोक्ताओं से ₹ 75.95 करोड़ की मांग की। 13 नगरीय स्थानीय निकायों में वास्तविक लागत की तुलना में मांगे गए उपयोगकर्ता शुल्क में कमी 30 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के बीच थी। इसके अलावा, 14 नगरीय स्थानीय निकायों में जल शुल्क के वसूली के लिए मार्च 2022 तक कुल ऐतिहासिक बकाया राशि ₹ 62.79 करोड़ थी।

(कंडिका 4.1.9.1)


### 4.1.1 प्रस्तावना

नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) मुख्य रूप से नगरपालिका सीमा के भीतर जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली के प्रशासन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। पहले जल परियोजनाओं/योजनाओं का संचालन और रखरखाव सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा किया जाता था, 74वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के साथ, नगरपालिका क्षेत्रों में जल आपूर्ति का कार्य नगरीय स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया था।

### 4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव के नेतृत्व में नगरीय विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) को शासकीय स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु नामित किया गया है, जबकि आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास (यूएडीडी) विभागाध्यक्ष हैं। नगरीय स्थानीय निकाय स्व-शासित निकाय हैं जो अपने सुचारू संचालन के लिए नियम बनाते हैं। नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर, आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी की सुचारू जल आपूर्ति के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/अभियंता (जल आपूर्ति)/सहायक अभियंता (ए.ई.), उप-अभियंता और अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता की जाती है।

#### नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक चार्ट



### 4.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या;

- निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है;
- उपभोक्ताओं को पीने के पानी और उचित गुणवत्ता की सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है, और;
- सभी चयनित यूएलबी में स्रोतों की चिरस्थायित्व के लिए योजना पर्याप्त है।

### 4.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961; जल आपूर्ति और उपचार डब्ल्यूएसएंडटी पर केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन<sup>1</sup> (सीपीएचईईओ) नियमावली, 1999 और संचालन और रखरखाव नियमावली (ओ एंड एम), 2005;
- राज्य जल नीति, 2003
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा जारी पेयजल के लिए विनिर्देश (आईएस 10500:2012);
- नगरीय स्थानीय निकाय में जलापूर्ति के लिए सेवा स्तर मानदंड (एसएलबी) पर 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा; और
- शहरी विभाग मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा जारी सेवा स्तर मानदंड पर हैंडबुक।

### 4.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

लेखापरीक्षा मई 2022 से जनवरी 2023 के दौरान तीन साल की अवधि यानी 2019-20 से 2021-22 (इसके बाद 2019-22 के रूप में संदर्भित) को सम्मिलित करते हुए किया गया था।

<sup>1</sup> केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीकी शाखा है और देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित मामलों को देखता है।

मध्य प्रदेश की 413 नगरीय स्थानीय निकाय में से लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की जांच के उद्देश्य से 14 नगरीय स्थानीय निकाय का चयन<sup>2</sup> किया जैसा कि नीचे तालिका 4.1 में दिखाया गया है:

तालिका 4.1: चयनित नगरीय स्थानीय निकाय की संख्या

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय के प्रकार	मानदंड	नमूनाकरण प्रक्रिया का उपयोग करके चयनित इकाइयों की संख्या
1	नगर निगम <sup>3</sup> (एनएन)	जनसंख्या	3
2	नगर पालिका परिषद <sup>4</sup> (एनपीपी)	जनसंख्या	6
3	नगर परिषद <sup>5</sup> (एनपी)	जनसंख्या	5
<b>योग</b>			<b>14</b>

लेखापरीक्षा पद्धति में नगरीय स्थानीय निकाय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के साथ-साथ 14 चयनित नगरीय स्थानीय निकाय के अभिलेखों की जांच शामिल है। यूडीएचडी से भी जानकारी एकत्र की गई थी। अपनाई गई नमूना पद्धति में नगरीय स्थानीय निकाय (एनएन, एनपीपी और एनपी) को जनसंख्या के आधार पर संस्तरों में व्यवस्थित करना और सरल यादृच्छिक नमूनों द्वारा इकाइयों का चयन करना था। चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र, जनसंख्या और अन्य संबंधित विवरण तालिका 4.2 में दिखाए गए हैं।

<sup>2</sup> स्तरीकृत नमूनाकरण विधि का उपयोग करते हुए।

<sup>3</sup> खंडवा, रतलाम और सतना।

<sup>4</sup> आष्टा, गंज बासौदा, महाराजपुर, मंदसौर, नीमच, नरसिंहगढ़।

<sup>5</sup> बिछिया, इछावर, लोहारदा, रामपुर नैकिन, तेंदूखेड़ा।

तालिका 4.2: चयनित नगरीय स्थानीय निकाय का क्षेत्रफल, जनसंख्या और अन्य संबंधित विवरण

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय के नाम	स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	अनुमानित जनसंख्या (2021)	वाड़ों की संख्या	फिल्टर प्लांट की क्षमता (एमएलडी) <sup>6</sup>	घरों की संख्या	मार्च 2022 तक जल कनेक्शन	ओवर हेड टैंकों की संख्या	वितरण लाइनों की लंबाई (किमी)
1	खंडवा	एनएन	35.77	2,25,000	50	अ.45.00 ब.13.00	40,755	26,331	9	346
2	सतना	एनएन	79.01	3,27,832	45	अ.40.00 ब.18.00	52,602	30,375	12	710
3	रतलाम	एनएन	39.19	3,27,000	49	अ.24.50 ब.22.50	42,810	36,933	35	20
4	आष्टा	एनपीपी	15.33	64,058	18	अ.3.00 ब.4.00	10,895	8,512	4	46
5	गंज बासौदा	एनपीपी	5.65	91,169	24	18.00	16,772	8,562	6	72
6	मंदसौर	एनपीपी	36.36	1,78,151	40	अ.13.50 ब.15.25	40,049	27,907	24	225
7	नीमच	एनपीपी	19.33	1,41,433	40	27.00	23,430	19,459	25	183
8	नरसिंहगढ़	एनपीपी	12.95	35,562	15	7.00	6,785	3,296	2	49
9	महाराजपुर	एनपीपी	14.00	29,211	15	0	5,353	1,273	1	अनुपलब्ध
10	बिछिया	एनपी	5.00	13,880	15	1.80	3,005	1,100	2	36
11	इछावर	एनपी	1.10	18,685	15	0	3,049	1,761	2	7
12	लोहारदा	एनपी	14.00	10,500	15	0	2,771	854	2	9
13	रामपुर नैकिन	एनपी	24.75	14,068	15	0	2,800	1,167	0	20
14	तैदूखेड़ा	एनपी	33.00	14,388	15	3.30	3,106	1,496	3	45

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय और विभागीय वेबसाइटें)

आयुक्त सह सचिव, यूडीएचडी के साथ, 3 अक्टूबर 2022 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और मानदंड पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई विभिन्न लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, यूडीएचडी के साथ 26 मई 2023 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने टिप्पणियों का बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2024)।

<sup>6</sup> दस लाख लीटर प्रतिदिन

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस लेखापरीक्षा से निकले महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 4.1.6 पानी की आवश्यकता और वितरण

लेखापरीक्षा ने पानी की संस्थागत मांग, प्रति व्यक्ति लक्षित और पानी की वास्तविक उपलब्धता, पानी की मांग की तुलना में भंडारण क्षमता, रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन और ओ एंड एम योजना जैसे मुद्दों की जांच की और आगामी कंडिकाओं में इन पर टिप्पणी की:

#### 4.1.6.1 पानी की संस्थागत मांग का आकलन नहीं किया जाना

नगरीय स्थानीय निकाय में, अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता (जल आपूर्ति), सबसे अधिक लागत-प्रभावी तरीके से तकनीकी मानकों और सामाजिक मांगों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे। एमओयूडी द्वारा तैयार और राज्य शासन द्वारा (1962 में) अपनाए गए, सीपीएचईईओ (डब्ल्यूएसएंडटी) नियमावली में प्रावधान है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली तक पहुंच, के लिए घरेलू जल आपूर्ति 135 लीटर प्रतिदिन (एलपीसीडी) सुनिश्चित की जाए। संस्थागत आपूर्ति के मामले में, निर्धारित मानदंड तालिका 4.3 के अनुसार हैं:

तालिका 4.3: विभिन्न प्रकार के संस्थानों में पानी की आवश्यकता

संस्था का प्रकार	पानी की आवश्यकता (लीटर)
अस्पताल	340 से 450 (प्रति बिस्तर)
छात्रावास और बोर्डिंग स्कूल/कॉलेज	135 (प्रति व्यक्ति)
स्कूल/कॉलेज	45 (प्रति व्यक्ति)
रेस्टोरेंट	70 (प्रति सीट)
सिनेमा और रंगमंच	15 (प्रति सीट)

(स्रोत: सीपीएचईईओ नियमावली)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 14 चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में से किसी ने भी उपरोक्त मानदंडों के आधार पर पानी की संस्थागत आवश्यकताओं का आकलन नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने सीपीएचईईओ नियमावली में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर 11 नगरीय स्थानीय निकाय की संस्थागत मांग का आकलन किया जैसा कि नीचे तालिका-4.4 में दिखाया गया है। शेष तीन<sup>7</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने अनुरोध के बावजूद अप्रैल 2023 तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

<sup>7</sup> मंदसौर, रतलाम और सतना।

तालिका 4.4: पानी की दैनिक और वार्षिक संस्थागत मांग (मिलियन लीटर में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय के नाम	दैनिक मांग	वार्षिक मांग
1	खंडवा	3.99	1,456.35
2	आष्टा	1.07	390.55
3	गंज बासौदा	2.92	1,065.80
4	नीमच	1.25	456.25
5	नरसिंहगढ़	0.71	259.15
6	महाराजपुर	0.20	73.00
7	रामपुर नैकिन	0.36	131.40
8	तेंदूखेड़ा	0.25	91.25
9	बिछिया	0.37	135.05
10	इछावर	0.49	178.85
11	लोहारदा	0.15	54.75
	<b>योग</b>	<b>11.76</b>	<b>4,292.40</b>

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गई संस्थाओं की संख्या और क्षमता से संबंधित जानकारी के आधार पर की गई गणना।)

4292.40 मिलियन लीटर (तालिका-4.4) की संस्थागत मांग को नगरीय स्थानीय निकाय वार्षिक हिसाब में लेने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, वे संस्थागत पानी की मांग को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाने में विफल रहे। इसका जनसंख्या/मांग की तुलना में जल आपूर्ति व्याप्ति पर प्रभाव पड़ा जैसा कि नीचे कंडिका में बताया गया है।

उत्तर में, सभी 11 नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि पानी की संस्थागत मांग को शामिल किया जाएगा।

#### 4.1.6.2 पानी की लक्षित आपूर्ति और वास्तविक उपलब्धता के बीच भारी अंतर

सीपीएचईईओ (डब्ल्यूएसएंडटी) नियमावली और एसएलबी दिशानिर्देश में प्रावधान है कि पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली वाले राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 135 एलपीसीडी घरेलू पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस प्रयोजन के लिए नगरीय क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकता आकलन निर्धारित किया जाना था।

आपूर्ति के लिए उपलब्ध स्वच्छ जल की मात्रा (10 प्रतिशत वितरण लाइन हानि को छोड़कर) के आधार पर लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में लक्षित जलापूर्ति और पानी की प्रति व्यक्ति वास्तविक उपलब्धता में अंतर था। यह नीचे तालिका 4.5 में दिखाया गया है:

तालिका-4.5: 2019-22 के दौरान नगरीय स्थानीय निकाय में लक्षित आवश्यकता के विरुद्ध आपूर्ति के लिए उपलब्ध पानी की कमी (मिलियन लीटर)

क्र.सं.	इकाई	लक्ष्य <sup>8</sup> के अनुसार पानी की आवश्यकता	फिल्टर पानी की उपलब्धता	कमी (-) या अधिकता (+)	कमी (-) का या अधिकता (+) का प्रतिशत
1	खंडवा	37,301	40,279	-2,978	-7
2	सतना	47,843	38,738	9,105	19
3	रतलाम	47,545	30,322	17,223	36
4	आष्टा	10,489	6,757	3,732	35
5	गंज बासौदा	16,483	13,316	3,167	19
6	मंदसौर	25,819	3,469	22,350	86
7	नीमच	22,164	20,633	1,531	06
8	नरसिंहगढ़	5,988	6,895	-907	-15
9	महाराजपुर	4,444	439	4,005	90
10	बिछिया	2,408	240	2,168	90
11	इछावर	3,256	986	2,270	69
12	लोहारदा	1,589	718	871	54
13	रामपुर नैकिन	2,422	949	1,473	60
14	तेंदूखेड़ा	2,383	1,276	1,107	46

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय)

लेखापरीक्षा ने देखा कि लक्ष्यों/ मांग के विरुद्ध:

- तीन नगरीय स्थानीय निकाय (खंडवा, नीमच और नरसिंहगढ़) में, आधिक्य या नगण्य कमी थी ।
- नगरीय स्थानीय निकाय सतना और गंज बासौदा में कमी 19 प्रतिशत थी ।
- तीन नगरीय स्थानीय निकाय (रतलाम, आष्टा और तेंदूखेड़ा) में कमी का प्रतिशत 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच था।
- छह नगरीय स्थानीय निकाय (मंदसौर, महाराजपुर, बिछिया, इछावर, लोहारदा और रामपुर नैकिन) में स्थिति गंभीर थी क्योंकि आवश्यकता की तुलना में उपलब्धता की कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी। नगरीय स्थानीय निकाय, महाराजपुर और बिछिया के मामले में स्थिति सबसे खराब थी, जहां कमी 90 प्रतिशत थी।

<sup>8</sup> लक्ष्य की गणना प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक पानी (135 एलपीसीडी) X 3 वर्ष में दिनों की संख्या X यूएलबी की जनसंख्या + 3 साल की संस्थागत मांग को गुणा करके की गई थी।

लक्ष्य के अनुसार आवश्यकता की तुलना में पानी की उपलब्धता में भारी अंतर/कमी ने नगरीय स्थानीय निकाय के जल आपूर्ति प्रबंधन में गंभीर चूकों को इंगित किया। जिससे जल कवरेज बढ़ाने और/या कम आपूर्ति के कारणों की पहचान करने के लिए निगरानी की पूर्ण कमी और प्रयासों की कमी का भी संकेत प्राप्त होता है।

उत्तर में, पांच<sup>9</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि लक्षित मांग/आवश्यकताओं को, भविष्य की केंद्रीय/राज्य योजनाओं में प्राप्त किया जाएगा, जबकि चार<sup>10</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि लक्ष्यों के अनुसार पानी की आपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय स्थानीय निकाय, महाराजपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया लेकिन कमी के कारण नहीं बताए। नगरीय स्थानीय निकाय, सतना द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

#### 4.1.6.3 पानी की मांग के विरुद्ध भंडारण क्षमता की कमी

सीपीएचईईओ (डब्ल्यूएसएंडटी) नियमावली के अनुसार, भंडारण क्षमता मांग का 40 प्रतिशत होना चाहिए (नियमावली का परिशिष्ट 10.1)। नगरीय स्थानीय निकायों को मांग के विरुद्ध पर्याप्त जल संग्रहण क्षमता सुनिश्चित करनी थी।

चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में उपचारित जल की मांग के विरुद्ध ओवर हेड टैंक (ओएचटीज) की क्षमता का विवरण नीचे तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका-4.6: 2019-22 में ओएचटी की क्षमता के संदर्भ में उपचारित जल की मांग का विवरण (मिलियन लीटर में)

क्र.सं.	इकाई	कुल मांग <sup>11</sup> (घरेलू + संस्थागत मांग)	निर्धारित भंडारण क्षमता (मांग का 40%)	ओएचटी की भंडारण क्षमता	ओएचटी की भंडारण क्षमता में कमी कमी (-), अधिकता (+)
1	खंडवा	102.11	40.84	38.40	2.44
2	सतना	130.96	52.38	49.10	3.28
3	रतलाम	130.14	52.06	109.29	- 57.23
4	आष्टा	28.72	11.49	6.60	4.89
5	गंज बासौदा	45.12	18.05	18.60	- 0.55
6	मंदसौर	70.67	28.27	39.33	- 11.06
7	नीमच	60.49	24.20	45.00	- 20.80
8	नरसिंहगढ़	16.40	6.56	4.80	1.76
9	महाराजपुर	12.17	4.87	1.16	3.71

<sup>9</sup> आष्टा, गंज बासौदा, बिछिया, मंदसौर और रतलाम

<sup>10</sup> इछावर, लोहारदा, रामपुर नैकिन और तेंदूखेड़ा।

<sup>11</sup> मांग की गणना प्रति व्यक्ति की दैनिक पानी आवश्यकता [(135 एलपीसीडी) X यूएलबी की जनसंख्या + दैनिक संस्थागत मांग] को 3 से गुणा कर की गयी थी।

क्र.सं.	इकाई	कुल मांग <sup>11</sup> (घरेलू + संस्थागत मांग)	निर्धारित भंडारण क्षमता (मांग का 40%)	ओएचटी की भंडारण क्षमता	ओएचटी की भंडारण क्षमता में कमी कमी (-), अधिकता (+)
10	बिछिया	5.48	2.19	1.80	0.39
11	इछावर	7.44	2.98	1.50	1.48
12	लोहारदा	3.90	1.56	2.19	- 0.63
13	रामपुर नैकिन	6.62	2.65	ओ एच टी नहीं	2.65
14	तेंदूखेड़ा	6.52	2.61	2.56	0.06

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय)

**तालिका 4.6** से स्पष्ट है कि पानी की मांग के विरुद्ध 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से नौ<sup>12</sup> में भंडारण क्षमता में कमी थी। नगरीय स्थानीय निकाय तेंदूखेड़ा में, यह सीमांत थी लेकिन अन्य आठ नगरीय स्थानीय निकाय में कमी 2019-22 के दौरान 0.39 और 4.89 मिलियन लीटर के बीच थी।

उत्तर में, नगरीय स्थानीय निकाय, खंडवा, आष्टा और नरसिंहगढ़ (मई 2022 से जनवरी 2023) ने कहा कि भविष्य की राज्य/केंद्रीय योजनाओं में अतिरिक्त ओएचटी प्रस्तावित की जाएगी, जबकि नगरीय स्थानीय निकाय, सतना, इच्छावर और रामपुर नैकिन ने बताया कि नई ओएचटी का निर्माण प्रगति पर है। नगरीय स्थानीय निकाय, महाराजपुर ने कहा कि ओएचटी का निर्माण जल स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद किया जाएगा, जबकि नगरीय स्थानीय निकाय, बिछिया द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

इस प्रकार, मांग के अनुसार जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भण्डारण क्षमता की कमी थी जो निर्धारित मात्रा के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने में एक प्रमुख बाधा थी।

#### 4.1.6.4 वितरण प्रणाली के मानचित्र और प्रोफाइल ड्राइंग को अद्यतन न करना

सीपीएचईईओ (ओएंडएम) नियमावली में परिकल्पना की गई है कि जलाशयों, पम्पिंग स्टेशनों, वाल्वों और हाइड्रेंट आदि के स्थान के साथ प्रणाली का समग्र दृश्य प्रदान करने वाली वितरण प्रणाली के व्यापक नक्शे तैयार किए जाने हैं। इसमें यह भी परिकल्पना की गई है कि पाइप की गहराई, पाइप स्थान और स्थान बिंदु से दूरी दिखाते हुए वितरण योजना और प्रोफाइल ड्राइंग भी तैयार किए जाने हैं। इसके अलावा, नक्शों को एक पारंपरिक सर्वेक्षण द्वारा अद्यतन किया जाना था। वितरण प्रणाली योजनाओं/नक्शों को अद्यतन करने की जिम्मेदारी परिचालन प्रबंधन (ईई) की है।

<sup>12</sup> आष्टा, बिछिया, इच्छावर, खंडवा, महाराजपुर, नरसिंहगढ़, रामपुर नैकिन सतना और तेंदूखेड़ा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से 10 नगरीय स्थानीय निकाय में नक्शों और प्रोफाइल ड्राइंग को अद्यतन (सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) मैनुअल में परिकल्पित पारंपरिक सर्वेक्षण करके) नहीं किया गया था। तीन नगरीय स्थानीय निकाय, रतलाम, नीमच और तेंदूखेड़ा ने अद्यतन वितरण नक्शों की प्रतियां प्रदान कीं। हालांकि, नगरीय स्थानीय निकाय खंडवा ने कहा कि नक्शों को अद्यतन किया गया था लेकिन अद्यतन नक्शों की प्रति प्रदान नहीं की गई और इस प्रकार लेखापरीक्षा नक्शों के अद्यतनीकरण के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। सर्वेक्षण नक्शों को अद्यतन न करने की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय, स्थानों, पाइप की गहराई और वितरण नेटवर्क की यथार्थता का पता लगाने की स्थिति में नहीं थे।

उत्तर में, चार<sup>13</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि भविष्य में नक्शों और प्रोफाइल ड्राइंग को अद्यतन किया जायेगा। तीन नगरीय स्थानीय निकाय<sup>14</sup> ने स्वीकार किया कि नक्शे अद्यतित नहीं किए गए थे। मंदसौर एवं इछावर ने कहा कि वितरण लाईन का कार्य प्रगति पर है। नगरीय स्थानीय निकाय लोहरदा द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

#### **4.1.6.5 रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम का अस्तित्व में नहीं होना**

जल आपूर्ति प्रणाली के ओ एंड एम के लिए सीपीएचईईओ नियमावली में परिकल्पना की गई है कि संचरण प्रणाली में पाइप से पानी का रिसाव, जोड़ों और फिटिंग में रिसाव और जलाशयों और हौदों के अतिप्रवाह से होता है। रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य रिसाव की घटना और उसकी मरम्मत के बीच लगने वाले समय को कम से कम करना है। नियमावली आगे निर्धारित करती है कि जल संचरण प्रणाली के रखरखाव के स्तर में सुधार के लिए एक रखरखाव कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है और संबंधित सहायक अभियंता/उप-अभियंता को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था। परिचालन प्रबंधन (यानी, संबंधित ईई) की जिम्मेदारी है कि वह रिसाव को कम करने और नियंत्रित करने के लिए प्रक्रियाओं को शुरू करे /निगरानी करे |

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से किसी ने भी न तो कोई रखरखाव कार्यक्रम तैयार किया था और न ही संबंधित ईई ने पानी के रिसाव (दृश्यमान और अदृश्य) का पता लगाने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी,

---

<sup>13</sup> बिछिया, नरसिंहगढ़, रामपुर नैकिन और सतना।

<sup>14</sup> आष्टा, गंज बासौदा और महाराजपुर।

यद्यपि 2019-22 के दौरान 11<sup>15</sup> नगरीय स्थानीय निकाय में जल कार्य/वितरण लाईनों के रखरखाव पर ₹ 31.32 करोड़ की राशि खर्च की गयी। अन्य तीन<sup>16</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

उचित प्रलेखन के अभाव में, लेखापरीक्षा 2019-22 की अवधि के दौरान हुई रिसाव की घटनाओं की संख्या का पता नहीं लगा सका और न यह पता लगा सका कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा समय पर इन पर ध्यान दिया गया था या नहीं। इस प्रकार, व्यय की उपयोगिता भी लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकी।

उत्तर में, 11<sup>17</sup> नगरीय स्थानीय निकाय के ईई (जलापूर्ति) ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि यद्यपि रिसाव प्रकोष्ठ अलग से स्थापित नहीं किए गए थे, किन्तु जल आपूर्ति विंग के अधिकारी रिसाव के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और आवश्यकतानुसार इसे ठीक करते हैं। नगरीय स्थानीय निकाय तेंदूखेड़ा ने उत्तर दिया कि प्रकोष्ठ मौजूद है। नगरीय स्थानीय निकाय, रामपुर नैकिन और लोहारदा ने उत्तर दिया कि कोई रिसाव का पता लगाने वाला प्रकोष्ठ मौजूद नहीं है।

हालांकि, उत्तरों के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। परिणामस्वरूप, रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा आश्वासन नहीं दिया जा सका।

#### **4.1.6.6 संचालन और रखरखाव योजना (ओ एंड एम) का अस्तित्व में न होना**

सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) नियमावली के अनुसार, सभी सुविधाओं को आच्छादित करने के लिए एक व्यापक ओ एंड एम योजना तैयार की जाएगी। ओ एंड एम योजना में निहित सभी गतिविधियों के पर्यवेक्षण, निगरानी और विश्लेषण की जिम्मेदारी के साथ एक केंद्रीय ओ एंड एम सेल बनाया जाना चाहिए। योजना के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा तैयार की गई जांच सूचियों को अपनाते हुए संचालन और रखरखाव की जांच करने के लिए पर्यवेक्षकों को कर्तव्य सौंपा जाना चाहिए। इसके अलावा, कार्यपालन अभियंता के नेतृत्व में परिचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह ओ एंड एम योजना तैयार करे।

<sup>15</sup> आष्टा, गंज बासोदा, इछावर, खंडवा, मंदसौर, महाराजपुर, नरसिंहगढ़, नीमच, रामपुर नैकिन, रतलाम और सतना।

<sup>16</sup> लोहारदा, रामपुर नैकिन और तेंदूखेड़ा।

<sup>17</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासोदा, इछावर, खंडवा, महाराजपुर, मंदसौर, नरसिंहगढ़, नीमच, रतलाम, और सतना।

नमूना जांच किए गए सभी 14 नगरीय स्थानीय निकाय में, न तो ओ एंड एम योजना तैयार की गई थी और न ही कोई केंद्रीय ओ एंड एम सेल स्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-22 के दौरान चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में ओ एंड एम पर व्यय के रूप में ₹ 207.01 करोड़ की राशि व्यय की गई थी। हालांकि, निरीक्षण व रखरखाव रजिस्ट्रों और ओ एंड एम योजनाओं के आभाव में, पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की गुणवत्ता और नियमितता और मशीनों के रखरखाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में छह<sup>18</sup> नगरीय स्थानीय निकाय के कार्यपालन अभियंताओं (जल आपूर्ति) ने बताया (मई 2022 से जनवरी 2023) कि रखरखाव कार्य आवश्यकता के अनुसार किये जा रहे थे, जबकि तीन<sup>19</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने बताया कि उनके बाहरी एजेंसियों के साथ ओ एंड एम अनुबंध थे। शेष पांच<sup>20</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने उत्तर दिया कि ओ एंड एम योजना तैयार नहीं की गई है (अप्रैल 2023)।

हालांकि, छह नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किए जा रहे रखरखाव कार्यों का कोई दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था।

#### **4.1.6.7 एसएलबी लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता**

एमओयूडी, भारत सरकार के मानकीकृत सेवा स्तर मानदंड (एसएलबी) की हैंडबुक के अनुसार, घरों को पानी के कनेक्शन नेटवर्क में लाने और पानी के कनेक्शन की मीटरिंग के लिए बेंचमार्क 100 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, यूएडीडी संचालनालय ने नगरीय स्थानीय निकाय को निर्देश दिया (मार्च 2017) कि वे बिना कनेक्शन वाली संपत्तियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करें और जल कनेक्शन शिविर आयोजित करके कनेक्शन प्रदान करने की पहल करें। सभी जल कनेक्शनों पर मीटर अनिवार्य रूप से लगाए जाने थे।

#### **➤ जलापूर्ति कवरेज का एसएलबी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ**

यद्यपि, चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जल कनेक्शन वाले घरों का वास्तविक प्रतिशत (कुल घरों में से) 23 से 86 प्रतिशत के बीच था। पूर्ण संख्या के संदर्भ में, कुल 2,54,182 घरों के विरुद्ध केवल 1,67,594 घरों (65.93 प्रतिशत)

---

<sup>18</sup> इछावर, खंडवा, लोहारदा, नीमच, रतलाम और सतना।

<sup>19</sup> बिछिया, नरसिंहगढ़ और तेंदूखेड़ा।

<sup>20</sup> आष्टा, गंज बासौदा, मंदसौर और महाराजपुर।

के पास अधिकृत जल कनेक्शन थे। इस प्रकार, नगरीय स्थानीय निकाय प्रत्येक घर में पाइप द्वारा जलापूर्ति प्रदान करने के एसएलबी को प्राप्त करने में विफल रहे। विवरण (परिशिष्ट 4.1) में दिया गया है।

11<sup>21</sup> नगरीय स्थानीय निकाय के जलापूर्ति कार्यपालन अभियंताओं ने उत्तर में कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि शेष घरों को आपूर्ति नेटवर्क के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य तीन<sup>22</sup> नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। (अप्रैल 2023)।

➤ **घरों में पानी के मीटर उपलब्ध कराने के लिए एसएलबी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ**

सभी घरों में पानी के मीटर लगाने के एसएलबी लक्ष्य के विरुद्ध, यह देखा गया कि 2019-22 की अवधि के दौरान चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से एक नगरीय स्थानीय निकाय रतलाम में केवल छह पानी के मीटर लगाए गए थे।

मीटरिंग के अभाव में, नगरीय स्थानीय निकाय के पास पानी की वास्तविक खपत को पहचानने का कोई संसाधन नहीं है और इस प्रकार वे घरेलू परिवारों द्वारा पानी के उपयोग के लिए उचित शुल्क लगाने की स्थिति में नहीं हैं। इस प्रकार, पानी के कनेक्शनों की मीटरिंग न होने से नगरीय स्थानीय निकाय के राजस्व संग्रह पर सीधा असर पड़ा और साथ ही इसे उपभोक्ताओं द्वारा पानी की बर्बादी के खिलाफ एक निवारक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

उत्तर में, 10<sup>23</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि भविष्य में पानी के मीटर लगाए जाएंगे जबकि तीन<sup>24</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि उनके पास उच्च कार्यालय से कोई आदेश नहीं है और नगरीय स्थानीय निकाय, मंदसौर ने कहा कि मीटर की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पानी के शुल्क नियमित रूप से संशोधित किए जाते थे।

यह कनेक्शन प्रदान करने और सभी जल कनेक्शनों पर अनिवार्य रूप से मीटर लगाने के यूएडीडी संचालनालय के मार्च 2017 के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था।

<sup>21</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासौदा, इछावर, खंडवा, लोहारदा, महाराजपुर, नरसिंहगढ़, रामपुर नैकिन, सतना और तेंदूखेड़ा।

<sup>22</sup> मंदसौर, नीमच और रतलाम।

<sup>23</sup> बिछिया, इछावर, खंडवा, लोहारदा, महाराजपुर, नरसिंहगढ़, नीमच, रामपुर नैकिन, रतलाम और तेंदूखेड़ा।

<sup>24</sup> आष्टा, गंज बासौदा और सतना।

#### 4.1.7 आपूर्ति किए गए पेयजल की गुणवत्ता

भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) 10500 के अनुसार, मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले पीने के पानी को भौतिक, रासायनिक, जैविक और जीवाणुतत्व-संबंधी अर्थात् रंग, गंध, पीएच, मैलापन, कुल घुलित ठोस, कठोरता, क्षारीयता, मौलिक यौगिक जैसे लोहा, मैंगनीज, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, क्रोमियम, तांबा, साइनाइड, सीसा, पारा, जस्ता और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आदि के संबंध में आवश्यक मापदंडों का पालन करना चाहिए।

##### 4.1.7.1 गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई

राज्य जल नीति 2003 में परिकल्पना की गई है कि सतही और भूजल की गुणवत्ता का संबंधित विभाग द्वारा नियमित आधार पर परीक्षण किया जाएगा। सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) नियमावली के अनुसार, जल कार्य प्रबंधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आपूर्ति किया गया पानी अवांछनीय स्वाद और गंध से मुक्त हो। इसके अलावा, सीपीएचईईओ नियमावली, 2005 की कंडिका 15.1 में परिकल्पना की गई है कि पर्याप्त सुविधाओं और योग्य कर्मियों द्वारा संचालित प्रयोगशालाएँ सार्वजनिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति की उपयुक्तता के निरीक्षण और मूल्यांकन के साथ-साथ जल उपचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। प्रयोगशाला परीक्षण यह आश्वासन देता है कि पीने के लिए आपूर्ति किया गया पानी न्यूनतम पेयजल मानकों के अनुरूप है। सीपीएचईईओ नियमावली के प्रावधानों के साथ पठित, पीने के पानी के लिए, बीआईएस 10500:2012 भारतीय मानक के तहत चार प्रकार के परीक्षणों - भौतिक, रासायनिक, जिवानुतत्व-संबंधी और जैविक परीक्षण - के अंतर्गत, न्यूनतम 20 मापदंड निर्धारित करता है जो पानी की आपूर्ति से पहले किए जाने हैं, ताकि इसका नागरिकों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। परीक्षण और नमूने की आवृत्ति का विवरण नीचे तालिका 4.7 और 4.7.1 में दिया गया है:

तालिका 4.7: किए जाने वाले आवश्यक जल परीक्षणों के प्रकार

क्र.सं.	परीक्षण का प्रकार	परीक्षण का संक्षिप्त विवरण	परीक्षण किए जाने वाले मापदंडों की संख्या
1	भौतिक विश्लेषण	यह सौंदर्य गुणवत्ता निर्धारित करता है और उपचार इकाइयों के निष्पादन का आकलन करता है।	02
2	रासायनिक विश्लेषण	यह रासायनिक पदार्थों की सांद्रता निर्धारित करता है जो पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।	14
3	जीवाणुत्व-संबंधी	यह जीवाणु की उपस्थिति, जो प्रदूषण का कारण है और खपत के लिए पानी की सुरक्षा को निर्धारित करता है।	01
4	जैविक विश्लेषण	यह पानी में आपत्तिजनक स्वाद और गंध के कारण या फिल्टर के बंद होने के बारे में जानकारी प्रदान करता है।	03

(स्रोत: सीपीएचईईओ (डब्ल्यूएस तथा टी) नियमावली की कंडिका 15.2)

तालिका 4.7.1: वितरण प्रणाली से न्यूनतम नमूना आवृत्ति और संख्याएँ

क्र.सं.	सेवा प्रदायित जनसंख्या	लगातार नमूने के बीच अधिकतम अंतराल	संपूर्ण वितरण प्रणाली से लिए जाने वाले नमूनों की न्यूनतम संख्या
1	20,000 तक	एक माह	प्रति माह प्रति 5,000 जनसंख्या पर एक नमूना
2	20,001-50,000	दो सप्ताह	
3	50,001 - 1,00,000	चार दिन	
4	1,00,000 से अधिक	एक दिन	प्रति माह प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक नमूना

(स्रोत: सीपीएचईईओ (डब्ल्यूएस तथा टी) नियमावली की तालिका 15.1)

मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के क्रम में जल परीक्षण से संबंधित मुद्दों पर उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

#### ➤ परीक्षण प्रयोगशालाओं की अपर्याप्तता

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 लेखापरीक्षित नगरीय स्थानीय निकाय में से केवल 10 में जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) थे और इनमें से केवल सात नगरीय स्थानीय निकाय में प्रयोगशालाएँ थीं अन्य सात नगरीय स्थानीय निकाय में प्रयोगशाला स्थापित नहीं करने के कारण अभिलेख में नहीं पाए गए। इस प्रकार, किसी भी प्रयोगशाला के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सभी मापदंडों पर जल की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण कैसे किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है कि नगरीय स्थानीय निकाय उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जा रहे

जल का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित कर रहे थे। अन्य चार<sup>25</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने सीधे बोरवेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति की और बोरवेल के परीक्षण पर नीचे इस कंडिका में टिप्पणी की गई है। 10 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किए गए परीक्षणों का विवरण नीचे तालिका 4.8 में दिखाया गया है:

तालिका 4.8: 2019-22 के बीच नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किए गए परीक्षणों का विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	किए गए परीक्षण	सत्यापन के लिए रिपोर्ट प्रदान की गई	परीक्षण कहाँ किये / जांच किए गए मापदंड की संख्या
नगरीय स्थानीय निकाय जिनकी अपनी प्रयोगशालाएं हैं				
1	खंडवा	48*	48	पीएचई प्रयोगशाला (15 मापदंड)
2	सतना	प्रतिदिन	समस्त	स्वयं की प्रयोगशाला (केवल 8 मापदंड)
3	रतलाम	16*	6	पीएचई प्रयोगशाला (केवल 2 मापदंड)
4	मंदसौर	39*	39	पीएचई प्रयोगशाला (18 मापदंड)
5	नीमच	प्रतिदिन	समस्त	स्वयं की प्रयोगशाला (14 मापदंड)
6	बिछिया	01	1	पीएचई प्रयोगशाला (18 मापदंड)
7	तेंदूखेड़ा	146*	1	पीएचई प्रयोगशाला (16 मापदंड)
नगरीय स्थानीय निकाय जिनकी अपनी प्रयोगशालाएं नहीं हैं				
1	आष्टा	02	02	पीएचई प्रयोगशाला (केवल 7 मापदंड)
2	गंज बासौदा	11	11	पीएचई प्रयोगशाला (20 मापदंड)
3	नरसिंहगढ़	00	00	कोई परीक्षण प्रतिवेदन नहीं

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय) (\* नियमित परीक्षण बताया)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2019-22 के दौरान;

- तीन नगरीय स्थानीय निकाय (आष्टा, गंज बासौदा और नरसिंहगढ़) के पास डब्ल्यूटीपी होने के बावजूद अपनी प्रयोगशालाएं नहीं थीं। वर्ष 2019-22 की अवधि में आष्टा एवं गंज बासौदा में क्रमशः दो एवं 11 परीक्षण पीएचई प्रयोगशाला से कराए गए, जबकि नगरीय स्थानीय निकाय नरसिंहगढ़ द्वारा बाह्य प्रयोगशाला से भी कोई परीक्षण कराया जाना नहीं पाया गया।
- केवल दो नगरीय स्थानीय निकाय, (सतना और नीमच) ने जल उपचार संयंत्र पर स्थित अपनी प्रयोगशाला में होने वाले दैनिक परीक्षणों से संबंधित दस्तावेज प्रदान किए लेकिन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा क्रमशः केवल आठ और 14 मापदंडों पर परीक्षण किया गया।

<sup>25</sup> इछावर, लोहारदा, महाराजपुर और रामपुर नैकिन।

- पांच नगरीय स्थानीय निकाय (खंडवा, रतलाम, मंदसौर, बिछिया और तेंदूखेड़ा) ने अपनी प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पीएचई प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण किए, जिससे पता चला कि उनकी प्रयोगशालाएं इन परीक्षणों को करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं थीं।
- नगरीय स्थानीय निकाय, सतना और नीमच को छोड़कर किसी अन्य नगरीय स्थानीय निकाय ने अपनी प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों पर कोई जानकारी नहीं दी। केवल नगरीय स्थानीय निकाय, गंज बासौदा ने न्यूनतम आवश्यक 20 मापदंडों पर परीक्षण किए।
- दो नगरीय स्थानीय निकाय (बिछिया और तेंदूखेड़ा) ने डब्ल्यूटीपी का संचालन और रखरखाव बाहरी एजेंसियों को सौंपा था। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वे नियमित परीक्षण नहीं कर रहे थे और इसलिए ठेकेदारों के कार्य प्रदर्शन की पर्याप्त निगरानी करने में विफल रहे।

इस प्रकार, तालिका से स्पष्ट है कि आठ<sup>26</sup> नगरीय स्थानीय निकाय में नियमित रूप से परीक्षण नहीं किये जा रहे थे। नगरीय स्थानीय निकाय ने सीपीएचईईओ नियमावली में निर्धारित न्यूनतम नमूना आवृत्ति के अनुसार नियमित परीक्षणों के माध्यम से पानी की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया। इसके अतिरिक्त बिना नियमित जांच के पानी की आपूर्ति से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चूँकि जल उपचार संयंत्र वाले 10 नगरीय स्थानीय निकायों में से छह<sup>27</sup> में नियमित आधार पर परीक्षण नहीं किया जा रहा था, इसलिए वर्ष के दौरान इन 22-2019 नगरीय स्थानीय निकाय (फिटकरी) द्वारा रसायनों, ब्लीचिंग और चूना के उपयोग पर (किया गया करोड़ का 6.29 व्यय अनियमित था, चूँकि इनके उपयोग की मात्रा का निर्णय परीक्षण करने के बाद ही किया जाना था और इसलिए आपूर्ति के लिए पानी आपूर्ति करने से पहले नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा रासायनिक उपचार की प्रभावकारिता स्थापित नहीं की जा सकी।

<sup>26</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासौदा, खंडवा, मंदसौर, नरसिंहगढ़, रतलाम और तेंदूखेड़ा।

<sup>27</sup> जैसा कि ऊपर बताया गया है, दो यूएलबी (बिछिया और तेंदूखेड़ा) ने डब्ल्यूटीपी के ओ एंड एम कार्य को बाहरी एजेंसियों को सौंप दिया था।

उत्तर में चार<sup>28</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि अब से वे पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करेंगे। चार<sup>29</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि नियमित परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन प्रदान किए गए पतिवेदानों की संख्या नियमित परीक्षण का संकेत नहीं देती है। नगरीय स्थानीय निकाय नरसिंहगढ़ द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। (अप्रैल 2023)

विभाग को नियमित परीक्षण के माध्यम से पानी की गुणवत्ता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने में विफल रहने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

➤ **ओवर हेड टैंकों (ओएचटी) की सफाई नहीं किया जाना**

सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) नियमावली के अनुसार, ओएचटीज/जलाशयों को नियमित अंतराल पर साफ किया जाना है एवं टैंक में जमा पानी और गाद/मिट्टी का नमूना, जैविक विश्लेषण के द्वारा घोंघे और कीड़े की उपस्थिति को देखने के लिए, एकत्र किया जाना है। सभी टैंकों की समय-समय पर सफाई की निगरानी करना संबंधित सहायक अभियंता और उप-अभियंता की जिम्मेदारी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से 13 नगरीय स्थानीय निकाय में ओएचटीज की नियमित सफाई नहीं की जा रही थी, नगरीय स्थानीय निकाय, रामपुर नैकिन में कोई ओएचटी नहीं है। इस प्रकार, किसी भी नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकाय में सीपीएचईईओ मानदंडों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, ओएचटी को स्वच्छ/उपचारित पानी की आपूर्ति का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अंतिम वितरण चैनल, यानी ओएचटी से उपभोक्ताओं तक पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा रही थी।

12<sup>30</sup> नगरीय स्थानीय निकाय के जलापूर्ति कार्यपालक अभियंता ने बताया (मई 2022 से जनवरी 2023) कि ओएचटीज की नियमित सफाई की जा रही है। नगरीय स्थानीय निकाय नरसिंहगढ़ ने कहा कि काम ठेकेदार के पास है।

हालांकि, ओएचटीज की सफाई के समय जैविक परीक्षण करने के लिए ओएचटी में अवशिष्ट गाद/कीचड़ के नमूने नहीं लिए जा रहे थे और सफाई की तिथि दर्शाने वाली लॉगबुक का

---

<sup>28</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासौदा और सतना।

<sup>29</sup> खंडवा, मंदसौर, रतलाम और तेंदूखेड़ा

<sup>30</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासौदा, इछावर, खंडवा, लोहारदा, महाराजपुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, सतना और तेंदूखेड़ा।

रखरखाव नहीं किया जा रहा था। ऐसे में कार्यपालन अभियंता द्वारा किए गए दावों की तथ्यात्मक पुष्टि नहीं की जा सकी।

➤ **वितरण लाइनों की सफाई नहीं किया जाना**

सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) नियमावली की कंडिका 8.7.3.2 निर्धारित करता है कि अंदर की तरफ पाइप जंग और कटाव के कारण और बाहर की तरफ आक्रामक मृदा और पानी/नमी से जंग के कारण खराब हो जाते हैं। वितरण प्रणाली का निवारक रखरखाव वितरण प्रणाली में पानी की जीवाणुतत्व-संबंधी गुणवत्ता के संरक्षण के साथ-साथ पाइपलाइनों के माध्यम से पर्याप्त प्रवाह के दोहरे उद्देश्यों को सुनिश्चित करता है। पाइप में मौजूद अशुद्धियों या तलछट को हटाकर वितरण लाइनों को साफ करने के लिए फ्लशिंग किया जाता है। उपभोक्ताओं की स्वाद और गंध की शिकायतों से बचने के लिए टर्मिनल पाइपलाइनों की नियमित फ्लशिंग अक्सर आवश्यक होती है। फ्लशिंग के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाना था और उसका पालन किया जाना था ताकि उपभोक्ताओं की शिकायत शुरू होने से पहले ही पानी के मुख्य नल को फ्लश किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में, वितरण पाइपलाइनों की फ्लशिंग/सफाई के लिए कोई अलग कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार, सीपीएचईईओ मानदंडों का अनुपालन नहीं किया गया था और यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपभोक्ताओं को वितरण लाइनों के माध्यम से स्वच्छ जल मिल रहा था।

उत्तर में, चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से सात<sup>31</sup> ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि आवश्यकता के अनुसार सफाई की गई थी, नगरीय स्थानीय निकाय, मंदसौर और तेंदूखेड़ा ने कहा कि फ्लशिंग/सफाई नियमित रूप से की जाती है, नगरीय स्थानीय निकाय, नीमच और बिछिया ने कहा कि पाइपलाइन का ओ एंड एम बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया था। नगरीय स्थानीय निकाय, रामपुर नैकिन ने कहा कि दैनिक जल आपूर्ति के कारण सफाई की आवश्यकता नहीं है जबकि नगरीय स्थानीय निकाय नरसिंहगढ़ और महाराजपुर में सफाई की कोई योजना नहीं थी।

हालांकि, तथ्य यह है कि वितरण लाइनों की सफाई के लिए चयनित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा, सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) नियमावली में परिकल्पित, कोई भी कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया। इसके अलावा, तीन चयनित नगरीय स्थानीय निकाय (रामपुर नैकिन, नरसिंहगढ़

<sup>31</sup> आष्टा, गंज बासौदा, इछावर, खंडवा, लोहारदा, रतलाम और सतना।

और महाराजपुर) द्वारा नियमित सफाई सुनिश्चित नहीं की गई, जैसा कि सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) नियमावली में परिकल्पित है।

➤ **बिना जांच के बोरवेल के पानी की आपूर्ति**

भूजल की गुणवत्ता चट्टानों से घुलनशील और घुलित खनिजों की मात्रा पर निर्भर करती है। सबसे आम घुलित खनिज पदार्थ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट हैं। भूजल में घुले खनिज घटकों की बड़ी मात्रा मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए खतरनाक हो सकती है। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से 11<sup>32</sup> में उनके अधिकार क्षेत्र में 1,204 बोरवेल (मार्च 2022 तक) के माध्यम से / से भी जल की आपूर्ति की गई थी, लेकिन किसी भी बोरवेल के संबंध में नियमित जल परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, नगरीय स्थानीय निकाय, उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये जा रहे भूजल की गुणवत्ता का आकलन करने में विफल रहे।

उत्तर में, नगरीय स्थानीय निकाय, खंडवा ने कहा कि जब कभी शिकायतें प्राप्त हुईं तब परीक्षण किए गए थे। पांच<sup>33</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि कोई परीक्षण नहीं किया गया है। नगरीय स्थानीय निकाय, मंदसौर और नरसिंहगढ़ ने कहा कि परीक्षण किया गया है लेकिन समर्थन में प्रतिवेदन नहीं दिया गया। महाराजपुर व इछावर ने 12 व चार परीक्षण प्रतिवेदन सौंपे। नगरीय स्थानीय निकाय, सतना द्वारा कोई प्रासंगिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। (अप्रैल 2023)।

- यह अनुशंसा की जाती है कि आवश्यक योग्य कर्मियों के साथ प्रत्येक शोधन संयंत्र/नगरीय स्थानीय निकाय में अनिवार्य रूप से प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाए ताकि सभी प्रमुख मापदंडों पर पानी का परीक्षण नियमित रूप से किया जा सके।
- ओएचटी और वितरण लाइनों की सफाई सीपीएचईईओ नियमावली के अनुसार की जानी चाहिए।

➤ **कोआगुलांट (स्कंदक) का अनुचित भंडारण**

सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) नियमावली 2005 की कंडिका 19.9.1, यह निर्धारित करता है कि चूने को ठंडे और सूखे स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सूखे बिना बुझे

---

<sup>32</sup> आष्टा, गंज बासौदा, इछावर, खंडवा, लोहारदा, महाराजपुर, मंदसौर, नरसिंह गढ़, रामपुर नैकिन रतलाम और सतना।

<sup>33</sup> आष्टा, गंज बासौदा, लोहारदा रतलाम और रामपुर नैकिन।

चूने को अन्य रसायनों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए जैसे फिटकरी या अमोनियम सल्फेट जिनमें क्रिस्टलीकरण का पानी होता है। इसके अलावा, जल आपूर्ति प्रणालियों के ओ एंड एम पर सीपीएचईईओ नियमावली 2005 की कंडिका 19.10.1 में कहा गया है कि फिटकरी को भी एक साफ सूखी जगह में संग्रहित किया जाना चाहिए क्योंकि नमी में सामग्री के कड़ा हो जाने की प्रवृत्ति होती है।

10<sup>34</sup> नगरीय स्थानीय निकाय (अन्य चार नगरीय स्थानीय निकाय में जल उपचार संयंत्र नहीं थे) में शोधन संयंत्रों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मई 2022 से जनवरी 2023) के दौरान, यह पाया गया कि फिटकरी, चूना और ब्लीचिंग पाउडर जैसे स्कंदक को निर्धारित नियमों के अनुसार संग्रहित नहीं किया जा रहा था। छह<sup>35</sup> नगरीय स्थानीय निकाय के शोधन संयंत्रों में वस्तुओं को बिना किसी सावधानी के नमी वाले स्थानों पर या बिना दरवाजे और खिड़कियों वाले कमरों में संग्रहित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इसकी गुणवत्ता में गिरावट आई थी। चार<sup>36</sup> नगरीय स्थानीय निकाय में उचित भंडारण पाया गया।

चूँकि इन स्कन्दकों का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जा रहा था, इन रसायनों की गुणवत्ता में गिरावट अंततः जल उपचार की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी।

उत्तर में तीन<sup>37</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि उचित भंडारण के लिए प्रयास किए जाएंगे, नगरीय स्थानीय निकाय, सतना ने उत्तर दिया कि क्षेत्र की धुलाई के कारण स्थान नम था अन्यथा यह सूखा रहता है। नगरीय स्थानीय निकाय, रतलाम और नरसिंहगढ़ द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि शोधन संयंत्रों में कोआगुलेंट/रसायनों के भंडारण के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

#### 4.1.8 जल संरक्षण

जल संरक्षण में, पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करने, अनावश्यक पानी के उपयोग को कम करने के लिए, रिसाव कम करने एवं अनुपयोगी जल के पुनर्ग्रहण का अभ्यास शामिल है, ताकि

<sup>34</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासौदा, खंडवा, मंदसौर, नरसिंहगढ़, नीमच, रतलाम सतना और तेंदूखेड़ा।

<sup>35</sup> आष्टा, गंज बासौदा खंडवा, नरसिंहगढ़ रतलाम, और सतना।

<sup>36</sup> बिछिया मंदसौर, नीमच और तेंदूखेड़ा।

<sup>37</sup> आष्टा, गंज बासौदा और खंडवा।

पहले से ही घटते जल संसाधनों पर दबाव को कम किया जा सके। चयनित नगरीय स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अवलोकन किया गया।

#### 4.1.8.1 जल का पुनर्ग्रहण

मध्य प्रदेश शासन, यूएडीडी (अक्टूबर 2009) ने 140 वर्ग मीटर और उससे अधिक के भूखंड आकार वाले सभी भूखंडों पर बनाए जा रहे भवनों के लिए छत जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने इन आदेशों के सख्त अनुपालन की वकालत की थी और निर्माण की अनुमति मांगने वाले सभी आवेदकों से प्रतिभूति जमा प्राप्त करना भी निर्धारित किया था, जो कि निर्माण क्षेत्र के आधार पर ₹ 7,000 से ₹ 15,000 के बीच था।

छत के पानी के संचयन के लिए प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि को उसी के निर्माण के सत्यापन के बाद आवेदकों को वापस किया जाना था। यदि आवेदक छत जल संचयन संरचना का निर्माण नहीं करता है, तो नगरीय स्थानीय निकाय को आवेदक द्वारा जमा की गई सुरक्षा की राशि से इसका निर्माण करना था। इस उद्देश्य के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक था। इस गतिविधि का उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना था।

चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष 2019-22 के दौरान आरडब्ल्यूएच के लिए प्राप्त भवन अनुमतियों और प्रतिभूति जमा राशि के विवरण से पता चला है कि 14 चयनित नगरीय स्थानीय निकाय में से 13<sup>38</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने 2019-22 की अवधि के दौरान कुल 4,341 भवन निर्माण अनुमतियां प्रदान की थीं और संबंधित आवेदकों से आरडब्ल्यूएच के लिए ₹ 1.35 करोड़ की प्रतिभूति जमा प्राप्त की थी। नगरीय स्थानीय निकाय लोहारदा द्वारा आरडब्ल्यूएच से की आवश्यकता वाली कोई अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि, संबंधित 13<sup>39</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने न तो आवेदकों द्वारा किए गए आरडब्ल्यूएच के काम को सत्यापित किया, न ही उन्होंने आवेदकों की ओर से आरडब्ल्यूएच संरचनाएं बनाने के प्रयास किए (उनके नियंत्रण में सुरक्षा जमा का उपयोग करके)। प्रतिभूति, नगरीय स्थानीय निकाय के पास सुरक्षा जमा अवरुद्ध रहा, यहां तक कि आरडब्ल्यूएच संरचना के माध्यम से

---

<sup>38</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासौदा, इछावर, खंडवा, महाराजपुर, मंदसौर, नरसिंहगढ़, नीमच रामपुर नैकिन ,रतलाम, सतना, और तेंदूखेड़ा।

<sup>39</sup> आष्टा ,गंज बासौदा ,बिछिया ,इछावर, खंडवा ,लोहारदा ,महाराजपुर, मंदसौर नीमच ,रामपुर नैकिन रतलाम , और तेंदूखेड़ा।

जल के पुनर्भरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाए गए थे। नगरीय स्थानीय निकाय, लोहारदा ने आरडब्ल्यूएच के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

उत्तर में, तीन<sup>40</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि आरडब्ल्यूएच संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर था, जबकि 10<sup>41</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि प्रबंधन अनुमोदन और / या सत्यापन के बाद काम किया जाएगा। (अप्रैल 2023)।

#### 4.1.8.2 शोधन संयंत्रों में पुनर्चक्रण व्यवस्था की कमी के कारण बैकवॉश पानी का नुकसान

बैकवॉश वह प्रक्रिया है जो शोधन प्रक्रिया के दौरान रेत फिल्टर बेड में जमा हुई अशुद्धियों को साफ करने के लिए की जाती है। रेत को हिलाने और फंसी अशुद्धियों को हटाने के लिए फिल्टर बेड के नीचे पाइप से दबाव के साथ स्वच्छ जल प्रवाहित किया जाता है। चूंकि बैकवॉश प्रक्रिया नियमित अंतराल पर की जाती है, इस प्रक्रिया में बहुत अधिक स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी शोधन संयंत्र में बैकवॉश के पानी के पुनर्चक्रण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। 2019-22 की अवधि के दौरान, 10 नगरीय स्थानीय निकाय (उपचार संयंत्रों वाले) ने शोधन प्रणाली में रेत फिल्टर बेड से मलबे आदि को साफ करने के लिए 8,214.36 मिलियन लीटर पानी का उपयोग किया। बैकवॉश के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल का विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, पुनर्चक्रण व्यवस्था की कमी के कारण राज्य ने तीन साल की परीक्षण जांच अवधि के दौरान बैकवॉश में कम से कम 8,214.36 मिलियन लीटर पानी बर्बाद कर दिया, जिसे अन्यथा उपचार के बाद उपभोग के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता था।

उत्तर में, आठ<sup>42</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि वर्तमान में पुनर्चक्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। नगरीय स्थानीय निकाय तेंदूखेड़ा ने कहा कि इस पानी का उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है और इस संबंध में नगरीय स्थानीय निकाय, रतलाम द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

<sup>40</sup> आष्टा, इछावर और सतना।

<sup>41</sup> बिछिया, गंज बासौदा, खंडवा, महाराजपुर, मंदसौर, नरसिंहगढ़, नीमचरामपुर नैकिन, रतलाम और तेंदूखेड़ा।

<sup>42</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासौदा, खंडवा, मंदसौर, नरसिंहगढ़ नीमच और सतना,।

#### 4.1.9 वित्तीय प्रबंधन

नगरीय स्थानीय निकाय में जल आपूर्ति के प्रबंधन के तहत देखे गए वित्तीय मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है:

##### 4.1.9.1 पानी की आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क

जीओएमपी राजपत्र अधिसूचना<sup>43</sup> (सितंबर 2020) के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक नगर पालिका मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132-ए और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127-बी के प्रावधानों के तहत जल आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की दरें इस तरह से निर्धारित करेगी कि जल आपूर्ति सेवाओं पर किए गए वार्षिक व्यय की वसूली 100 प्रतिशत की जा सके। आगे, राजपत्र अधिसूचना के नियम 4 में जल आपूर्ति सेवाओं पर किए गए खर्च के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क की गणना के लिए एक विधि निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 2019-22 के दौरान 14 नगरीय स्थानीय निकाय के संबंध में ओ एंड एम व्यय ₹ 207.02 करोड़ था, जिसके विरुद्ध, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपभोक्ताओं से, ₹ 480 से ₹ 2,400 प्रति वर्ष (प्रति कनेक्शन) के बीच विभिन्न दरों पर, ₹ 75.95 करोड़ की मांग की गयी। नगरीय स्थानीय निकाय नरसिंहगढ़ को छोड़कर, जहां घाटा केवल 6.55 प्रतिशत था, नगरीय स्थानीय निकाय में वास्तविक लागत की तुलना में मांग किए गए उपयोगकर्ता शुल्क में कमी 30 से 93 प्रतिशत के बीच थी। इसका विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नगरीय स्थानीय निकाय ने ओ एंड एम लागतों की भरपाई के लिए उपयोगकर्ता शुल्क में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, न ही घाटे को कवर करने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में म.प्र.शासन से अतिरिक्त अनुदान की मांग की। परिणामस्वरूप, नगरीय स्थानीय निकाय उपभोक्ताओं से पर्याप्त उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के बिना ही पानी की आपूर्ति कर रहे थे।

<sup>43</sup> मध्य प्रदेश नगर पालिका (जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क) नियम, 2020।

- चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में (मार्च 2022 तक) जल प्रभारों क्र रूप में वसूली ले लिए बकाया की कुल ऐतिहासिक राशि ₹ 62.79 करोड़ वसूली के लिए लंबित थी। (परिशिष्ट-4.4)
- शेष राशि की वसूली न होने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। इस प्रकार, नगरीय स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप जल प्रभारों के बड़े भाग की वसूली नहीं हुई। परिणामस्वरूप, नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि उनके पास निर्बाध, चिरस्थायी और स्वच्छ जल की आपूर्ति जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
- उत्तर में, सभी 14 नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि बकाया जल प्रभार की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई है। (अप्रैल 2023)।

#### 4.1.10. आनुषंगिक मुद्दे

जल आपूर्ति प्रबंधन से संबंधित आनुषंगिक मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है:

##### 4.1.10.1 सुरक्षा मानदंडों का नहीं अपनाया जाना

सीपीएचईईओ (ओ एंड एम)नियमावली के अनुसार, जल आपूर्ति प्रणाली के लिए एक सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक है। इसके अलावा, प्रत्येक जल शोधन संयंत्र में एक सुरक्षा समिति भी गठित की जा सकती है। सुरक्षा और अग्निशमन उपकरणों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सहायक अभियंता/ उप यंत्री/ अभियंता की है।

लेखापरीक्षा ने चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से 10 जिनमें डब्ल्यूटीपी थे का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया (चार नगरीय स्थानीय निकाय में डब्ल्यूटीपी नहीं है) और पाया कि 7 नगरीय स्थानीय निकाय में अग्निशमन उपकरण स्थापित नहीं किए गए थे और पानी आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 10 नगरीय स्थानीय निकाय में सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था।

उत्तर में, चार<sup>44</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मई 2022 से जनवरी 2023) कि भविष्य में सुरक्षा उपकरण स्थापित किए जाएंगे। छह<sup>45</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि सुरक्षा

<sup>44</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासोदा और नरसिंहगढ़।

<sup>45</sup> खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, सतना और तेंदूखेड़ा।

उपकरण स्थापित किए गए थे। नगरीय स्थानीय निकाय, खंडवा, सतना और रतलाम में, ये उपकरण स्थापित दो डब्ल्यूटीपी में से केवल एक पर उपलब्ध थे।

इस प्रकार पर्याप्त सुरक्षा उपकरण एवं सुरक्षा समिति के गठन के अभाव में विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गयी।

#### **4.1.10.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण**

सीपीएचईईओ (डब्ल्यू एस एंड टी) नियमावली में प्रावधान है कि जल आपूर्ति कार्य में लगे कर्मचारियों को, परिचालन दक्षता के समूह स्तर में सुधार करने, समूह को नए विकास से परिचित कराने और जल कार्य संचालन सम्बन्धित सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में, प्रशिक्षण दिया जाना था।

प्रयोगशाला नियंत्रण परीक्षण, योजना के घटक कार्यों के बनावट और प्रणाली प्रबंधन, लेखांकन, बजट और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों को प्रशिक्षण में शामिल किया जाना था। जलकार्य पर तैनात पर्यवेक्षी और परिचालन अमले में से प्रत्येक को उसकी सेवा अवधि के तीन से पांच वर्षों में कम से कम एक बार उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में पूछताछ करने पर, यह बताया गया कि सभी चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। इस प्रकार, जल कार्यों के संचालन की दक्षता और सामुदायिक जागरूकता में सुधार के लिए सीपीएचईईओ नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

#### **4.1.11 निगरानी तंत्र**

लेखापरीक्षा के दौरान जल लेखापरीक्षा, प्रबंधन सूचना प्रणाली के निर्माण जैसे मुद्दों की जाँच की गई और अवलोकन निम्नानुसार हैं:

##### **4.1.11.1 जल लेखापरीक्षा नहीं की गई**

सीपीएचईईओ (ओ एंड एम) नियमावली, 2005 की कंडिका 2.6.5 में यह भी प्रावधान है कि उत्पादित और वितरित पानी के बीच काफी नुकसान होता है जिससे उपयोगिता की आय में कमी आती है। इनमें से कुछ नुकसान पानी का भौतिक रिसाव और कुछ राजस्व हानि हैं। इसलिए जल उत्पादन, जल मूल्यांकन और नुकसान, भौतिक और राजस्व दोनों के एकदम सटीक आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक जल लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होगी। जल लेखापरीक्षा भौतिक और राजस्व हानि को कम करने के लिए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दे सकती है।

यह देखा गया कि चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से किसी में भी जल लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसलिए, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

यह पूछे जाने पर, नौ<sup>46</sup> नगरीय स्थानीय निकाय (मई 2022 से जनवरी 2023) ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जल लेखापरीक्षा नहीं किया गया है, जबकि पांच<sup>47</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि यह भविष्य में आयोजित किया जाएगा और तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई है। (अप्रैल 2023)।

#### **4.1.11.2 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) नहीं बनाई गई**

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रबंधन को सटीक, समय पर, पर्याप्त और प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने की, औपचारिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है और यह संगठन को संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप विशिष्ट कार्य को प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने में सक्षम बनाने के लिए है। जहां तक जल आपूर्ति प्रणाली का संबंध है, तो प्रणाली का निष्पादन रिसाव को कम करने और नियंत्रित करने, प्रवाह और दबाव का मापन करने और जल आपूर्ति प्रणाली के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है। प्रसंस्करण के लिए अधीनस्थ कार्यालयों से एमआईएस पर आंकड़ों उत्पन्न करना परिचालन प्रबंधन स्तर की जिम्मेदारी है। राज्य जल नीति, 2003 के अनुसार इस संबंध में सूचना प्रणाली विकसित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 14 चयनित नगरीय स्थानीय निकाय में एमआईएस क्रियाशील में नहीं था। परिणामस्वरूप, प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ मानव संसाधन सहित कुशल और प्रभावी जल आपूर्ति प्रणाली के परिणाम, कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रोफाइल, रिसाव का पता लगाने और ध्यान देने से संबंधित आंकड़े, नियमित संचालन और रखरखाव की जानकारी, वाल्वों के डेटा की नियमित जांच और जल परीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित आंकड़ों का आकलन नहीं किया जा सका। एमआईएस के अभाव में किसी भी स्तर पर जलापूर्ति प्रणाली के निष्पादन का पता नहीं लगाया जा सका।

<sup>46</sup> आष्टा, बिछिया, इछावर, खंडवा, लोहारदा मंदसौर, रतलाम, सतना और तेंदूखेड़ा।

<sup>47</sup> गंज बासौदा, महाराजपुर, नरसिंहगढ़, नीमच और रामपुर नैकिन।

ग्यारह<sup>48</sup> नगरीय स्थानीय निकाय (मई 2022 से जनवरी 2023) ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एमआईएस अस्तित्व में नहीं था, जबकि तीन<sup>49</sup> नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा कि इसे भविष्य में विकसित किया जाएगा।

यह अनुशंसा की जाती है कि सभी नगरीय स्थानीय निकाय में प्रबंधन सूचना प्रणाली को चालू किया जाना चाहिए।

#### 4.1.12 निष्कर्ष

- सीएचपीईईओ (डब्ल्यूएस एंड टी) नियमावली ने सभी को 135 एलपीसीडी पानी प्रदान करने का मानदंड निर्धारित किया था, जिसकी तुलना में चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में से केवल तीन में आपूर्ति के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध था। (कंडिका 4.1.6.2)
- सभी परीक्षण जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकाय में रिसाव का पता लगाने और नियंत्रण के लिए कोई रिसाव सेल अस्तित्व में नहीं था, जबकि जल कार्यों के संचालन और रखरखाव पर काफी व्यय किया गया है। (कंडिका 4.1.6.5)
- चयनित 14 नगरीय स्थानीय निकाय में, 34.07 प्रतिशत घर अभी भी जल कनेक्शन नेटवर्क से बाहर थे। उपभोक्ताओं के परिसर में पानी के मीटर नहीं लगाए गए थे। (कंडिका 4.1.6.7)
- आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा न्यूनतम नमूना आवृत्ति के अनुसार नियमित परीक्षण नहीं किए जा रहे थे। नगरीय स्थानीय निकाय बिना परीक्षण के बोरवेल के माध्यम से निवासियों को जल की आपूर्ति भी कर रहे थे। (कंडिका 4.1.7.1)
- परीक्षण जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकाय में कोअगुलेंट के अनुचित भंडारण के मामले भी पाए गए थे। (कंडिका 4.1.7.1)
- फिल्टर बैकवॉश जल के पुनः उपयोग के लिए जल के पुनर्चक्रण की व्यवस्था सभी शोधन संयंत्रों में उपलब्ध नहीं थी, जिससे पहले से ही घटते जल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ा। (कंडिका 4.1.8.2)
- जल करें वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक स्तर से काफी कम थी, इसके अलावा, इन करों की वसूली भी कम की गई। (कंडिका 4.1.9.1)

<sup>48</sup> आष्टा, बिछिया, गंज बासौदा, खंडवा, महाराजपुर, मंदसौर, नरसिंहगढ़, नीमच, रतलाम, सतना और तेंदूखेड़ा।

<sup>49</sup> इछावर, लोहारदा और रामपुर नैकिन।

- जल उत्पादन, जल हानि, भौतिक और राजस्व दोनों के सटीक आंकड़े रखने और भौतिक और राजस्व हानियों को कम कर, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए जल लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। (कंडिका 4.1.11.1)
- नगरीय स्थानीय निकाय एक स्थापित प्रबंधन सूचना प्रणाली के बिना ही जल आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने के निर्णय ले रहे हैं। (कंडिका 4.1.11.2)

#### 4.1.13. अनुशंसाएँ

विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि:

- जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मानदंडों के अनुसार है।
- मांग के अनुसार भंडारण क्षमता बढ़ाई जाए।
- सभी घरों को पानी के मीटर के साथ पानी कनेक्शन नेटवर्क के तहत लाया जाए।
- जल उपयोगकर्ता प्रभार इस प्रकार लगाए जाएँ कि जल आपूर्ति पर व्यय पूरी तरह से वसूल हो जाए।
- प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय में आवश्यक कर्मचारियों के साथ, जल परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाये ताकि सभी स्रोतों से आपूर्ति किए गए जल का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जा सके।

ग्वालियर

दिनांक : 08 दिसम्बर 2024

(प्रिया पारिख)

महालेखाकार

(लेखापरीक्षा-1) मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 24 दिसम्बर 2024

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट



परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.7.1 पृष्ठ क्र. 8)

11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-छ) में दर्शित कार्यों एवं उनके विभागों की सूची

स.क्र.	कार्य	विभाग
1	कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है	कृषि
2	भूमि अभिवृद्धि, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण	राजस्व
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजक विकास	जल संसाधन
4	पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गीपालन	पशुपालन
5	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन
6	सामाजिक वानिकी और कृषि वानिक	वन
7	लघु वानिकी उपज	वन
8	लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित हैं	वाणिज्य एवं उद्योग
9	खादी, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग	ग्रामीण उद्योग
10	ग्रामीण आवास	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
11	पेय जल	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
12	ईंधन और चारा	पशुपालन
13	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
14	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें विद्युत् का वितरण भी सम्मिलित है	ग्रामीण विद्युतीकरण और ऊर्जा
15	गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत	ग्रामीण विद्युतीकरण और ऊर्जा
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
17	शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी सम्मिलित है	स्कूल शिक्षा
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	जनशक्ति नियोजन और तकनीकी शिक्षा
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	स्कूल शिक्षा
20	पुस्तकालय	सामाजिक न्याय
21	सांस्कृति गतिविधियां	सामाजिक न्याय
22	बाज़ार और मेले	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं औषधालय सम्मिलित है	चिकित्सा शिक्षा
24	परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
25	महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास

स.क्र.	कार्य	विभाग
26	सामाज कल्याण जिसमें विकलांगों और मानसिक अशक्तों का कल्याण भी सम्मिलित है	सामाजिक न्याय
27	कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का विकास	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति विकास
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता संरक्षण
29	सामुदायिक संपत्तियों का संधारण	पंचायत एवं ग्रामीण विकास

## परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ कंडिका 2.5 पृष्ठ क्रमांक 16)

## चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों का विवरण

क्र.सं.	संभाग का नाम	चयनित जिले की जिला पंचायत का नाम	चयनित जिला पंचायत की चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित जनपद पंचायत की चयनित ग्राम पंचायतों के नाम
1	भोपाल	राजगढ़	राजगढ़	हिरनखेड़ा
				हिनोती
				समेली
				धनवास कलां
			ब्यावरा	अमरगढ़
				गोरधनपुरा
				सुंदरपुरा
				अमलियाहाट
2	चंबल	शयोपुर	बिजयपुर	जमुड़ी
				बड़ौदाकलां
				गौहर
				हुल्लपुर
			करहल (जनजाति)	डोभ
				बाढ़
				जखड़ा
				कलमी ककरदा
3	ग्वालियर	गुना	गुना	गोपालपुरटकटैयका
				चुराई
				सिरसी
				पुरापोसर
			राघोगढ़	नसीरपुर
				ईमनाखेड़ी
				खैरखेड़ा
				बापचा
4	इंदौर	बड़वानी	पानसेमल (जनजाति)	जहूर
				बलझिरी
				सकराली बुजुर्ग
				टेमला
			ठिकरी (जनजाति)	मदराम्या
				विश्वनाथखेड़ा
				अभाली
				बघाड़ी
5	जबलपुर	बालाघाट	बालाघाट	नाहरवानी

क्र.सं.	संभाग का नाम	चयनित जिले की जिला पंचायत का नाम	चयनित जिला पंचायत की चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित जनपद पंचायत की चयनित ग्राम पंचायतों के नाम
				लमता
				टकबरी
				लोहारा
			कटंगी	उमरी
				कुड़वा
				बरूद
				चाकाहेती
6	नर्मदापुरम	बैतूल	घोड़ा डोंगरी (जनजाति)	महेंद्रवाड़ी
				झाड़कुंड
				सातलदेही
				बंजारीढाल
			भीमपुर (जनजाति)	खैरा
				चंदू
				कामोद
				गढ़ाखार
7	रीवा	सीधी	कुसमी (जनजाति)	धुपखाड़
				दुआरी
				कतरवार
				कोटा
			रामपुर नैकिन	रतवार
				भाल्की 822
				घुघुटा
				ममदार
8	सागर	छतरपुर	बड़ा मलहेरा	कायन
				बमनीघाट
				पनपा
				सेरोरा
			राजनगर	इमलहा
				नयागांव
				नहदोरा
				मझगुवां
9	शहडोल	अनुपपुर	पुष्पराजगढ़ (जनजाति)	रोसरखार
				कछराटोला
				धुराधर
				बिजौरा
			जैतहरी (जनजाति)	गोबरी
				पोडी-1

क्र.सं.	संभाग का नाम	चयनित जिले की जिला पंचायत का नाम	चयनित जिला पंचायत की चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित जनपद पंचायत की चयनित ग्राम पंचायतों के नाम
				दुधमनिया
				जमुड़ी
10	उज्जैन	रतलाम	बाजना (जनजाति)	छावनी झोडिया
				खेरदा
				रानी सिंह
				करवलखोरा
			जावरा	अक्याबेनी
				राजा खेड़
				पिपलियासर
				खजुरिया
योग	10 संभाग	10 जिला	20 जनपद पंचायत	80 ग्राम पंचायतें

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कंडिका 2.6.1.2 पृष्ठ क्रमांक 19)

चयनित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध सामुदायिक संरचनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों के नाम	बारहमासी सड़के	पंचायत भवन	आंगनवाड़ी	उप स्वास्थ्य केन्द्र	उचित मूल्य दुकान	खेल मैदान
1	अनूपपुर	जैतहरी	दुधमनिया	0	0	3	0	0	0
2			गोबरी	0	0	0	0	0	1
3			जमुड़ी	0	0	1	0	0	1
4			पोड़ी-1	0	0	0	1	0	1
5		पुष्पराजगढ़	बिजौरा	0	0	1	1	1	1
6			धुराधर	0	0	0	0	0	1
7			कछराटोला	0	1	3	1	0	0
8			रोसरखार	0	1	1	0	1	0
9	बालाघाट	बालाघाट	लमटा	0	0	0	0	0	0
10			लोहारा	0	0	0	1	0	0
11			नाहरवानी	0	0	0	0	0	0
12			टकबर्ी	0	0	0	1	0	0
13		कटंगी	बरूद	0	0	0	1	0	0
14			चाकाहेती	0	0	0	1	0	0
15			कुड़वा	0	0	0	1	1	0
16			उमरी	0	0	0	1	0	0
17	बड़वानी	पानसेमल	बलझिरी	0	0	0	0	0	1
18			जहूर	0	0	0	0	0	1
19			सकराली बुजुर्ग	0	0	0	0	0	0
20			टेमला	0	0	0	0	1	1
21		ठिकरी	अभाली	0	0	0	0	0	1
22			बघाड़ी	0	0	0	0	0	0
23			मदरान्या	0	0	0	0	0	0
24			विश्वनाथखेड़ा	0	0	0	0	0	1
25	बैतूल	भीमपुर	चंदू	3	0	0	1	0	0
26			गड़ाखार	6	0	0	1	1	0
27			कमोद	3	0	0	1	0	0
28			खैरा	6	0	1	1	0	0
29		घोड़ा डोंगरी	बंजारीढाल	3	0	3	0	0	0
30			झाड़कुंड	4	0	0	1	0	0
31			महेन्दवाड़ी	4	0	0	1	0	0
32			सतलदेही	1	1	0	1	0	0
33	छतरपुर	बड़ा मलहेरा	बमनीघाट	0	0	0	1	0	0
34			कायन	0	0	0	1	0	1
35			पनपा	0	0	0	1	1	0
36			सेरोरा	0	0	0	1	0	0
37		राजनगर	इमलाहा	0	0	0	1	1	0

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों के नाम	बारहमासी सड़के	पंचायत भवन	आंगनवाड़ी	उप स्वास्थ्य केन्द्र	उचित मूल्य दुकान	खेल मैदान	
38			मझगुवां	0	1	0	1	0	0	
39			नहदोरा	0	0	0	0	1	0	
40			नयागांव	0	0	0	1	0	0	
41	गुना	गुना	चुराई	0	0	0	1	1	0	
42			गोपालपुरटकटैया	0	1	1	1	1	0	
43			पुरापोसर	0	0	0	1	1	0	
44			सिरसी	0	0	0	1	0	0	
45		राघौगढ़	बापचा	0	0	1	0	1	0	
46			इमनाखेड़ी	0	0	0	1	1	0	
47			खैरखेड़ा	0	0	0	1	1	0	
48			नसीरपुर	0	0	0	0	0		
49		राजगढ़	राजगढ़	धनवास कलां	0	0	3	1	0	0
50				हिनोती	0	1	0	1	0	0
51	हिरनखेड़ा			0	0	3	1	0	1	
52	समेली			0	0	3	1	1	0	
53	ब्यावरा		अमरगढ़	0	0	0	1	0	0	
54			अमलियाहाट	0	0	0	0	1	1	
55			गोरधानपुरा	0	0	4	1	1	0	
56			सुन्दरपुरा	0	1	0	1	1	1	
57	रतलाम	बाजना	छावनी झोड़िया	0	0	0	0	1	0	
58			करवल खोरा	0	0	0	1	0	1	
59			खेरदा	0	0	0	1	0	1	
60			रानीसिंह	0	0	1	0	0	0	
61		जावरा	आक्याबेनी	0	0	0	1	0	0	
62			खजुरिया	0	0	0	1	0	0	
63			पिपरियासर	0	0	0	0	0	0	
64			राजा खेड़	0	0	0	1	0	0	
65	श्योपुर	बिजयपुर	हुल्लपुर	5	0	0	1	0	0	
66			बड़ोदाकलां	0	0	0	1	0	0	
67			जमुर्डी	2	0	0	1	1	1	
68			गोहर	5	0	0	0	0	0	
69		करहल	जखड़ा	5	0	0	0	1	0	
70			बाढ़	5	0	0	1	0	0	
71			डोभ	3	0	0	1	0	1	
72			कलमी	5	0	0	1	0	0	
73	सीधी	कुसुमी	दुआरी	0	0	0	0	0	1	
74			धुपखाड़	0	0	0	1	0	0	
75			कतरवार	0	0	2	1	0	0	
76			कोटा	0	0	0	1	0	0	
77		रामपुर नैकिन	भेलकी 822	0	0	0	1	0	0	
78			घुघुटा	0	0	0	0	0	0	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

---

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों के नाम	बारहमासी सड़के	पंचायत भवन	आंगनवाड़ी	उप स्वास्थ्य केन्द्र	उचित मूल्य दुकान	खेल मैदान
79			ममदार	0	0	0	0	0	0
80			रतवार	0	0	0	1	0	1
योग				60	7	31	52	21	20

## परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.6.1.3 पृष्ठ क्रमांक 19)

अर्ध गंभीर एवं अति शोषित जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत कुओं की स्वीकृति दर्शाने वाला पत्रक

क्र.सं.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	केन्द्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार जनपद पंचायत की श्रेणी	जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत का नाम	चयनित ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-22 के दौरान स्वीकृत कपिल धारा कूप				
					स्वीकृत संख्या में	कुल लागत (₹ लाख में)	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	कुल व्यय (₹ लाख में)
1	बड़वानी	पानसेमल	अति शोषित	बलझिरी	1	2.30	0	1	1.10
				सकराली बुजुर्ग	3	7.53	0	3	2.09
2	रतलाम	बाजना	अर्ध गंभीर	छावनी झोड़िया	5	11.59	1	4	4.71
				करवल खोरा	10	23.45	0	10	8.79
				खेरदा	8	20.68	1	7	9.64
				रानीसिंह	13	33.21	3	10	19.65
		जावरा	अति शोषित	आक्याबेनी	2	4.56	1	1	4.60
				खजुरिया	1	2.34	1	0	2.31
				पिपल्यासर	18	43.49	8	10	31.99
				राजा खेड़ी	1	2.35	1	0	2.33
				<b>योग</b>	<b>62</b>	<b>151.50</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>87.21</b>

परिशिष्ट-2.4 ए

(संदर्भ कंडिका 2.6.1.4 पृष्ठ क्रमांक 21)

15वें वित्त आयोग से कराये जाने हेतु जिला पंचायत द्वारा चयनित कार्यों का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

जिला पंचायत स्तर पर 15वे केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021 से 22 के दौरान स्वीकृत कार्य										
क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	कुल क्रियान्वित कार्यों की संख्या	कुल संस्वीकृत राशि	कुल व्यय	15 लाख एवं उससे अधिक			15 लाख से कम		
					कार्यों की संख्या	कुल संस्वीकृत राशि	कुल व्यय	कार्यों की संख्या	कुल संस्वीकृत राशि	कुल व्यय
1	अनूपपुर	49	386.58	295.6	1	15	6.25	34	251.18	193.00
2	बालाघाट	132	949.15	543.64	29	531.92	245.53	92	339.78	298.11
3	बड़वानी	32	514.91	327.49	29	482.00	311.02	1	14.91	7.47
4	बैतूल	42	639.02	356.78	37	568.55	326.43	4	55.48	24.35
5	छतरपुर	94	904.94	723.88	17	315.6	268.2	77	577.44	449.73
6	गुना	41	616.99	383.31	41	616.99	383.31	0	0	0
7	राजगढ़	49	287.39	203.36	1	15	7.35	32	139.39	105.84
8	रतलाम	52	632.88	393.78	13	202.57	123.422	18	219.61	140.29
9	श्योपुर	9	170.61	85.29	4	99.42	49.72	0	0	0
10	सीधी	41	357.65	256.23	2	39.81	26.1	39	317.84	230.13
<b>योग</b>		<b>541</b>	<b>5460.12</b>	<b>3569.36</b>	<b>174</b>	<b>2886.86</b>	<b>1747.332</b>	<b>297</b>	<b>1915.63</b>	<b>1448.92</b>

## परिशिष्ट-2.4 बी

(संदर्भ कंडिका 2.6.1.4 पृष्ठ क्रमांक 21)

15वें वित्त आयोग से कराये जाने हेतु जनपद पंचायत द्वारा चयनित कार्यों का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

जनपद पंचायत स्तर पर 15वे केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2021-22 में स्वीकृत कार्य										
जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	कुल कराये गये कार्यों की संख्या	कुल लागत राशि	कुल व्यय	10 लाख एवं उससे अधिक			10 लाख से कम		
					कार्यों की संख्या	कुल लागत राशि	कुल व्यय	कार्यों की संख्या	कुल लागत राशि	कुल व्यय
अनूपपुर	जैतहरी	20	163.39	113.04	9	106.23	78.34	9	46.16	29.20
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	17	172.73	121.15	13	142.94	111.65	4	29.79	15.05
बालाघाट	बालाघाट	26	237.98	151.33	18	197.31	129.72	4	20.67	13.61
बालाघाट	कटंगी	95	212.76	35.61	7	99	10	78	109.66	25.12
बड़वानी	पानसेमल	8	84.57	80.59	3	39.95	39.88	5	44.62	40.71
बड़वानी	ठिकरी	10	100.00	65.81	8	89.00	54.92	0	0	0
बैतूल	भीमपुर	16	162.47	101.59	16	162.47	101.59	0	0	0
बैतूल	घोड़ा झोंगरी	16	171.98	146.84	15	166.3	144.4	0	0	0
राजगढ़	ब्यावरा	24	223.85	139.84	21	21.01	129.91	0	0	0
राजगढ़	राजगढ़	24	226.64	153.29	21	220	148.93	3	6.64	4.36
रतलाम	बाजना	19	176.083	131.62	15	157.38	122.27	0	0	0
रतलाम	जावरा	16	166.59	123.39	10	115	81	1	8.59	8.59
श्योपुर	बिजयपुर	32	360.83	147.67	27	338.38	127.5	5	22.45	20.17
श्योपुर	करहल	20	163.83	96	5	51.88	25	15	111.97	76.50
सीधी	कुसमी	6	76.25	61.7	4	60.78	46.39	2	15.47	15.31
सीधी	रामपुर नैकिन	16	164.87	105.5	12	138.87	82.94	4	26	22.56
गुना	गुना	54	306.7	242.96	6	104.62	63.81	13	69.08	51.52
गुना	राघोगढ़	82	246.5	205.58	8	85.15	59.09	44	79.85	73.95
छतरपुर	बड़ा मलेहरा	31	185.1	180	2	22.85	20.85	29	164.25	159.15
छतरपुर	राजनगर	47	343.12	239.17	17	175	119.92	21	134.63	106.43
<b>योग</b>		<b>579</b>	<b>3,946.243</b>	<b>2,642.68</b>	<b>237</b>	<b>2,494.12</b>	<b>1,698.11</b>	<b>237</b>	<b>889.83</b>	<b>662.23</b>

**परिशिष्ट-2.5 ए**

(संदर्भ : कंडिका 2.6.1.5 पृष्ठ क्रमांक 22)

**केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत सीमेंट कंकरीट सड़कों को दर्शाने वाला विवरण**

क्र.सं.	इकाई	जिला पंचायत का नाम	कार्यों के नाम	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (लाख में )	व्यय (लाख में)
1	जिला पंचायत	बालाघाट	सीमेंट कंकरीट सड़क	5	47.22	24.34
2	जिला पंचायत	अनूपपुर	सीमेंट कंकरीट सड़क	2	15	10.00
3	जिला पंचायत	छतरपुर	सीमेंट कंकरीट सड़क	1	17	16.83
4	जिला पंचायत	सीधी	सीमेंट कंकरीट सड़क	4	39.74	24.87
5	जनपद पंचायत	बड़ा मलेहरा	सीमेंट कंकरीट सड़क	1	3.5	3.00
6	जनपद पंचायत	गुना	सीमेंट कंकरीट सड़क	14	78.78	70.19
7	जनपद पंचायत	राधोगढ़	सीमेंट कंकरीट सड़क	21	67.65	64.58
8	जनपद पंचायत	राजगगर	सीमेंट कंकरीट सड़क	2	16.92	14.92
9	जनपद पंचायत	रामपुर नैकिन	सीमेंट कंकरीट सड़क	1	10	8.40
10	जनपद पंचायत	जैतहरी	सीमेंट कंकरीट सड़क	1	8	4
<b>योग</b>				<b>52</b>	<b>303.81</b>	<b>241.13</b>

## परिशिष्ट-2.5 बी

(संदर्भ कंडिका 2.6.1.5 पृष्ठ क्रमांक 22)

केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों द्वारा स्वीकृत  
पुलिया को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	इकाई	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (लाख में)	व्यय (लाखमें)
1	जिला पंचायत बालाघाट	पुलिया	8	89.31	58.08
2	जिला पंचायत बैतूल	पुलिया	6	97.03	42.27
3	जिला पंचायत राजगढ़	पुलिया	2	10.00	4.9
4	जिला पंचायत अनूपपुर	पुलिया	11	94.97	88.49
5	जिला पंचायत बड़वानी	पुलिया	11	172.91	115.94
6	जिला पंचायत छतरपुर	पुलिया	15	177.75	154.84
7	जिला पंचायत गुना	पुलिया	4	60.00	30.00
8	जिला पंचायत रतलाम	पुलिया	3	33.50	24.80
9	जिला पंचायत सीधी	पुलिया	12	113.76	93.76
10	जनपद पंचायत बड़ा मलेहरा	पुलिया	11	67.81	65.52
11	जनपद पंचायत भीमपुर	पुलिया	4	40.00	34.10
12	जनपद पंचायत घोड़ा डोंगरी	पुलिया	7	77.84	67.70
13	जनपद पंचायत गुना	पुलिया	12	61.50	55.97
14	जनपद पंचायत करहल	पुलिया	6	49.00	40.00
15	जनपद पंचायत कटंगी	पुलिया	1	1.50	0.75
16	जनपद पंचायत राजगढ़	पुलिया	7	75.00	51.61
17	जनपद पंचायत राजनगर	पुलिया	5	34.00	17.96
18	जनपद पंचायत रामपुर नैकिन	पुलिया	1	11.99	7.92
19	जनपद पंचायत बाजना	पुलिया	2	21.00	15.89
20	जनपद पंचायत बिजयपुर	पुलिया	5	60.80	30.00
21	जनपद पंचायत जैतहरी	पुलिया	10	87.14	67.25
22	जनपद पंचायत पानसेमल	पुलिया	2	22.87	22.83
23	जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़	पुलिया	10	95.00	80.81
<b>योग</b>			<b>155</b>	<b>1,554.68</b>	<b>1171.39</b>

परिशिष्ट-2.6 ए

(संदर्भ कंडिका 2.6.2.1 पृष्ठ क्रमांक 23)

ग्राम पंचायतों के लेबर बजट तैयार करने एवं ग्राम सभा मीटिंग में पास कराने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
					ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन
1	अनूपपुर	जैतहरी	दुधमनियां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
2	अनूपपुर	जैतहरी	गोबरी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
3	अनूपपुर	जैतहरी	जमुड़ी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
4	अनूपपुर	जैतहरी	पोड़ी-1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
5	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	बिजौरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
6	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	धुराधर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
7	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	कछराटोला	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
8	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	रोसरखार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
9	बड़वानी	पानसेमल	बलझिरी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
10	बड़वानी	पानसेमल	जहूर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
11	बड़वानी	पानसेमल	सकराली बुजुर्ग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
12	बड़वानी	पानसेमल	टेमला	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
13	बड़वानी	ठिकरी	अभाली	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
14	बड़वानी	ठिकरी	बघाड़ी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
15	बड़वानी	ठिकरी	मदरान्या	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं
16	बड़वानी	ठिकरी	विश्वनाथखेड़ा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन नहीं

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
				ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन
17	बैतूल	भीमपुर	चंदू	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
18	बैतूल	भीमपुर	गड़ाखार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
19	बैतूल	भीमपुर	कमोद	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	बैतूल	भीमपुर	खैरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
21	बैतूल	घोड़ा डोंगरी	बंजारीदाल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	बैतूल	घोड़ा डोंगरी	झाड़कुंड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23	बैतूल	घोड़ा डोंगरी	महेन्द्रवाड़ी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
24	बैतूल	घोड़ा डोंगरी	सतलदेही	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
25	गुना	गुना	चुराई	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
26	गुना	गुना	गोपालपुरटकटैया	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
27	गुना	गुना	पुरापोसर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
28	गुना	गुना	सिरसी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
29	गुना	राघोगढ़	बापचा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
30	गुना	राघोगढ़	इमनाखेड़ी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	गुना	राघोगढ़	खैरखेड़ा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
32	गुना	राघोगढ़	नसीरपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
33	राजगढ़	राजगढ़	धनवास कलां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
34	राजगढ़	राजगढ़	दिनोती	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
35	राजगढ़	राजगढ़	हिरनखेड़ा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
				ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन
36	राजगढ़	राजगढ़	समेली	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	राजगढ़	ब्यावरा	अमरगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
38	राजगढ़	ब्यावरा	अमलियाहाट	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
39	राजगढ़	ब्यावरा	गोरधानपुरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
40	राजगढ़	ब्यावरा	सुन्दरपुरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
41	रतलाम	बाजना	छावनी झोड़िया	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
42	रतलाम	बाजना	करवल खोरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
43	रतलाम	बाजना	खेरदा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
44	रतलाम	बाजना	रानीसिंह	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
45	रतलाम	जावरा	राजा खंड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
46	शयोपुर	बिजयपुर	बड़ौदाकलां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
47	शयोपुर	बिजयपुर	गोहर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
48	शयोपुर	बिजयपुर	हुल्लपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
49	शयोपुर	बिजयपुर	जमुडी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
50	शयोपुर	करहल	बाढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
51	शयोपुर	करहल	डोभ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
52	शयोपुर	करहल	झाड़कुंड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
53	शयोपुर	करहल	कलमी ककरदा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
54	सीधी	कुमुमी	दुआरी	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
				ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया	ग्राम सभा मीटिंग में लेबर बजट का अनुमोदन
55	सीधी	कुसुमी	धुपखाड़	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
56	सीधी	कुसुमी	कतरवार	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
57	सीधी	कुसुमी	कोटा	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
58	सीधी	रामपुर नैकिन	भेलकी 822	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
59	सीधी	रामपुर नैकिन	घुघटा	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
60	सीधी	रामपुर नैकिन	ममदार	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
61	सीधी	रामपुर नैकिन	रतवार	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं

परिशिष्ट-2.6 बी

(संदर्भ: कंडिका 2.6.2.1 पृष्ठ क्रमांक 23)

लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित ग्राम पंचायत का नाम	2019-20				2020-21				2021-22			
			लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)
1	जैतहरी	दुधमनियां	0	0	0	27,170	35,575	8,405	31	0	0	0	0	0
2	जैतहरी	गोबरी	0	0	0	18,975	37,868	18,893	100	0	0	0	0	0
3	जैतहरी	जमुड़ी	0	0	0	23,088	35,808	12,720	55	0	0	0	0	0
4	जैतहरी	पोड़ी-I	0	0	0	18,240	37,484	19,244	106	0	0	0	0	0
5	पुष्पराजगढ़	बिजौरा	0	0	0	13,280	29,612	16,332	123	0	0	0	0	0
6	पुष्पराजगढ़	धुराधर	0	0	0	19,000	57,258	38,258	201	0	0	0	0	0
7	पुष्पराजगढ़	कछराटोला	0	0	0	13,600	30,725	17,125	126	0	0	0	0	0
8	पुष्पराजगढ़	रोसरखार	0	0	0	19,600	42,402	20,905	107	0	0	0	0	0
9	पानसेमल	बलझिरी	0	0	0	17,739	18,236	497	3	21,470	4,624	-16,846	-78	
10	पानसेमल	जहूर	0	0	0	29,244	21,029	-8,215	-28	32,975	9,762	-23,213	-70	
11	पानसेमल	सकराली बुजुर्ग	0	0	0	24,038	17,253	-6,785	-28	27,769	12,289	-15,480	-56	
12	पानसेमल	टेमला	0	0	0	29,243	27,249	-1,994	-7	32,987	8,654	-24,333	-74	

क्र.सं.	चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित गाम पंचायत का नाम	2019-20				2020-21				2021-22			
			लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में
13	ठिकरी	अभाली	0	0	0	0	8,676	20,411	11,735	135	18,850	22,689	3,839	20
14	ठिकरी	बघाड़ी	0	0	0	0	30,943	20,574	-10,369	-34	35,632	7,945	-27,687	-78
15	ठिकरी	मदरान्या	0	0	0	0	9,906	10,104	198	2	18,486	8,894	-9,592	-52
16	ठिकरी	विश्वनाथखेड़ा	0	0	0	0	14,114	4,856	-9,258	-66	15,516	3,555	-11,961	-77
17	भीमपुर	चंदू	0	13,679	0	0	15,658	28,475	12,817	82	14,658	14,386	-272	-2
18	भीमपुर	गड़ाखार	0	26,628	0	0	16,466	37,127	20,661	125	16,466	22,388	5,922	36
19	भीमपुर	कमोद	0	7,866	0	0	13,692	14,383	691	5	13,695	8,856	-4,839	-35
20	भीमपुर	खैरा	0	10,245	0	0	11,865	22,108	10,243	86	11,867	13,301	1,434	12
21	घोड़ा डोंगरी	बंजरीढाल		14,205	0	0	7,927	17,828	9,901	125	16,650	13,530	-3,120	-19
22	घोड़ा डोंगरी	झाड़कुंड		12,335	0	0	6,135	10,699	4,564	74	12,900	10,410	-2,490	-19
23	घोड़ा डोंगरी	महेन्द्रवाडी		9,525	0	0	6,589	17,342	10,753	163	14,500	13,374	-1,126	-8
24	घोड़ा डोंगरी	सतलदेही		14,801	0	0	9,543	18,972	9,429	99	19,850	13,437	-6,413	-32
25	गुना	चुराई	9888	8,368	-15	-15	8,050	34,804	26,754	332	14,876	27,293	12,417	83
26	गुना	गोपालपुरकटैया	5824	9,983	71	71	5,211	12,757	7,546	145	6,450	8,188	1,738	27
27	गुना	पुरापोसर	7,648	17,567	130	130	6,345	26,647	20,302	320	13,215	42,003	28,788	218

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित गाम पंचायत का नाम	2019-20				2020-21				2021-22			
			लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)
28	गुना	सिरसी	9,312	7,286	-2,026	-22	16,800	45,359	28,559	170	18,105	30,419	12,314	68
29	राघोगढ़	बापचा	6,393	15,871	9,478	148	6,885	31,857	24,972	363	15,670	26,823	11,153	71
30	राघोगढ़	इमनाखेड़ी	6,385	7,644	1,259	20	4,860	13,632	8,772	180	7,878	10,341	2,463	31
31	राघोगढ़	खैरखेड़ा	6,383	8,109	-1,946	-19	5,130	13,803	8,592	165	10,055	1,633	-8,422	-84
32	राघोगढ़	नसीरपुर	6,393	4,951	-1442	-23	4,627	19,973	15,346	332	11,491	12,537	1,046	9
33	राजगढ़	धनवास कलां	0	25,753	25,753	0	15,094	30,770	15,676	104	35,562	41,672	6,110	17
34	राजगढ़	हिनोती	0	19,530	19,530	0	12,482	24,593	12,111	97	31,163	19,452	-11,711	-38
35	राजगढ़	हिरनखेड़ा	0	9,192	9,192	0	9,107	17,065	7,958	87	21,578	12,373	-9,205	-43
36	राजगढ़	समेली	0	12,802	12,802	0	6,888	24,865	17,977	261	0	30,613	30,613	0
37	ब्यावरा	अमरगढ़	0	24,092	24,092	0	12,862	29,480	16,618	129	0	32,277	32,277	0
38	ब्यावरा	अमलियाहाट	0	6,491	6,491	0	8,366	6,580	-1,786	-21	0	6,537	6,537	0
39	ब्यावरा	गोरधानपुरा	0	7,054	7,054	0	3,870	8,090	4,220	109	0	7,993	7,993	0
40	ब्यावरा	सुन्दरपुरा	0	5,722	5,722	0	6,595	6,245	-350	-5	0	6,333	6,333	0
41	बाजना	छावनी झोड़िया	0	17,240	17,240	0	15,721	15,978	257	2	14,118	6,675	-7,443	-53
42	बाजना	करवल खोरा	0	11,905	11,905	0	12,659	16,892	4,233	33	0	14,422	14,422	0

क्र.सं.	चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित गाम पंचायत का नाम	2019-20				2020-21				2021-22			
			लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)
43	बाजना	खेरदा	0	9538	0	7,430	16,097	8,667	117	0	13,308	13,308	0	
44	बाजना	रानीसिंह	0	18,241	0	13,622	50,101	36,479	268	0	42,085	42,085	0	
45	जावरा	राजा खेड़	0	5,509	0	6,400	6,138	-262	-4	6,332	1,741	-45,91	-73	
46	बिजयपुर	बड़ौदाकलां	0	39,813	0	42,000	37,204	-4,796	-11	37,644	24,734	-12,910	-34	
47	बिजयपुर	गोहर	0	15,674	0	15,000	34,311	19,311	129	37,674	26,352	-11,322	-30	
48	बिजयपुर	हुल्लपुर	0	17,445	0	12,000	20,305	8,305	69	21,119	26,687	5,568	26	
49	बिजयपुर	जमुड़ी	0	15,188	0	15,000	31,332	16,332	109	27,021	19,618	-7,403	-27	
50	करहल	बाढ़	0	13,349	0	12,000	17,386	5,386	45	19,693	17,192	9,830	134	
51	करहल	डोभ	0	11,469	0	7,500	18,262	10,762	143	12,308	15,894	3,586	29	
52	करहल	झाखादी	0	6,023	0	4,500	12,184	7,684	171	7,385	11,578	4,193	57	
53	करहल	कलमी ककरदा	0	7,362	0	14,700	16,930	2,230	15	24,123	12,113	-12,010	-50	
54	कुसुमी	दुआरी	6,936	7,051	2	8,892	13,023	4,131	46	14,208	15,997	1,789	13	
55	कुसुमी	धुपखाड़	8,855	14,006	58	11,684	20,984	9,300	80	21,916	19,012	-2,904	-13	
56	कुसुमी	कटरवार	4,822	20,161	318	11,244	58,362	47,118	419	26,632	41,218	14,586	55	
57	कुसुमी	कोटा	9,510	12,525	32	10,607	22,648	12,041	114	17,630	23,981	6,351	36	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित गाम पंचायत का नाम	2019-20				2020-21				2021-22			
			लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	लेबर बजट में अनुमानित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में सृजित मानव दिवसों में भिन्नता (प्रतिशत में)
58	रामपुर नैकिन	भेलकी 822	12,781	11,609	-1,172	-9	15,340	16,269	929	6	16,538	15,518	-1,020	-6
59	रामपुर नैकिन	घुघटा	10,991	11,682	691	6	20,399	12,605	-7,794	-38	17,454	20,954	3,500	20
60	रामपुर नैकिन	ममदार	7,851	7,070	-781	-10	15,299	10,349	-4,950	-32	16,494	12,406	-4,088	-25
61	रामपुर नैकिन	रतवार	9,515	6,600	-2,915	-31	13,761	9,047	-4,714	-34	14,836	10,932	-3,904	-26

## परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.6.2.6 पृष्ठ क्रमांक 27)

## सामग्री शीर्ष पर ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	कुल व्यय (₹ लाख में)	सामग्री शीर्ष पर व्यय (₹ लाख में)	कुल व्यय का प्रतिशत
1.	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	कछराटोला	2021-22	110.96	44.6	40.19
2.	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	बिजौरा	2021-22	73.24	30.49	41.64
3.	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	बिजौरा	2019-20	23.2	10.31	44.44
4.	अनूपपुर	जैतहरी	दुधमनियां	2021-22	70.63	30.34	42.96
5.	अनूपपुर	जैतहरी	पोड़ी-1	2021-22	54.71	5.14	45.13
6.	अनूपपुर	जैतहरी	गोबरी	2021-22	127.14	71.1	55.92
7.	अनूपपुर	जैतहरी	दुधमनियां	2020-21	231.99	164.89	71.08
8.	बालाघाट	बालाघाट	टकबर्वा	2019-20	69.22	29.24	42.24
9.	बालाघाट	बालाघाट	टकबर्वा	2020-21	97.27	41.2	42.36
10.	बालाघाट	बालाघाट	लोहारा	2019-20	25.27	11.02	43.61
11.	बालाघाट	कटंगी	कुड़वा	2019-20	49.99	28.37	56.75
12.	बड़वानी	पानसेमल	सकराली बुजुर्ग	2021-22	56.8	29.34	51.65
13.	छतरपुर	बड़ा मलेहरा	कयान	2020-21	37.14	15.07	40.59
14.	छतरपुर	बड़ा मलेहरा	पनपा	2020-21	29.35	13.59	46.30
15.	छतरपुर	राजनगर	इमलाहा	2021-22	104.68	56.39	53.87
16.	छतरपुर	बड़ा मलेहरा	बमनीघाट	2021-22	78.78	39.89	50.63
17.	छतरपुर	राजनगर	मझगुवां	2020-21	27.12	14.2	52.34
18.	छतरपुर	राजनगर	मझगुवां	2019-20	34.45	20.63	59.90
19.	छतरपुर	बड़ा मलेहरा	बमनीघाट	2019-20	27.09	17.08	62.84
20.	छतरपुर	राजनगर	नहदोरा	2019-20	68.88	43.54	63.21
21.	गुना	राघोगढ़	इमनाखेड़ी	2020-21	106.57	45.02	42.24
22.	गुना	गुना	सिरसी	2021-22	115.55	52.67	45.58
23.	गुना	गुना	चुराई	2019-20	29.51	13.88	47.02
24.	गुना	राघोगढ़	खैरखेड़ा	2020-21	49.02	22.98	46.88
25.	गुना	राघोगढ़	नसीरपुर	2020-21	71.86	34.15	47.52
26.	गुना	गुना	चुराई	2021-22	103.35	50.79	49.14
27.	गुना	राघोगढ़	नसीरपुर	2021-22	49.61	24.69	49.76
28.	गुना	राघोगढ़	खैरखेड़ा	2019-20	30.08	15.41	51.21
29.	गुना	गुना	गोपालपुरटकटैया	2020-21	52.70	28.01	53.14
30.	गुना	राघोगढ़	बापचा	2019-20	30.50	16.99	55.72
31.	गुना	गुना	पुरापोसर	2021-22	186.14	106.41	57.17
32.	गुना	राघोगढ़	इमनाखेड़ी	2019-20	70.67	40.13	56.78

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	कुल व्यय (₹ लाख में)	सामग्री शीर्ष पर व्यय (₹ लाख में)	कुल व्यय का प्रतिशत
33.	गुना	गुना	सिरसी	2019-20	40.05	26.79	66.89
34.	राजगढ़	राजगढ़	धनवासकलां	2019-20	59.51	26.74	44.93
35.	राजगढ़	ब्यावरा	अमलिहाट	2020-21	22.69	6.54	28.82
36.	राजगढ़	राजगढ़	समेली	2020-21	85.01	36.61	43.07
37.	राजगढ़	ब्यावरा	अमलिहाट	2021-22	23.6	8.76	37.12
38.	राजगढ़	ब्यावरा	अमरगढ़	2019-20	57.64	34.42	59.72
39.	राजगढ़	राजगढ़	हिनोती	2019-20	57.83	24.42	42.23
40.	रतलाम	बाजना	रानीसिंह	2021-22	145.33	64.25	44.21
41.	रतलाम	जावरा	राजा खेड़ी	2020-21	21.13	8.6	40.72
42.	रतलाम	जावरा	राजा खेड़ी	2019-20	18.98	9.25	48.74
43.	श्यापुर	बिजयपुर	हुल्लपुर	2020-21	128.14	53.86	42.03
44.	श्यापुर	बिजयपुर	जमुडी	2021-22	66.74	28.91	43.32
45.	श्यापुर	बिजयपुर	हुल्लपुर	2019-20	89.19	42.01	47.10
46.	श्यापुर	करहल	कलमी ककरदा	2019-20	25.25	11.97	47.39
47.	श्यापुर	बिजयपुर	बड़ोदाकलां	2019-20	154.82	74.42	48.07
48.	श्यापुर	करहल	बाढ़	2019-20	46.32	22.32	48.19
49.	श्यापुर	करहल	जखरदा	2020-21	44.72	21.57	48.23
50.	श्यापुर	बिजयपुर	बड़ोदाकलां	2020-21	153.22	75.17	49.06
51.	श्यापुर	बिजयपुर	गोहर	2020-21	130.07	66.72	51.30
52.	श्यापुर	बिजयपुर	बड़ोदाकलां	2021-22	92.77	43.64	47.04
53.	श्यापुर	करहल	कलमी ककरदा	2021-22	54.65	22.37	40.93
54.	श्यापुर	करहल	जखरदा	2021-22	50.03	27.74	55.45
55.	श्यापुर	करहल	डोभ	2021-22	74.52	37.99	50.97
56.	श्यापुर	बिजयपुर	गोहर	2019-20	100.6	60.78	60.42
57.	श्यापुर	करहल	बाढ़	2021-22	90.17	50.83	56.37
58.	सीधी	कुसुमी	दुआरी	2021-22	60.06	25.25	42.04
59.	सीधी	रामपुर नैकिन	रतवार	2019-20	11.42	4.95	43.35
60.	सीधी	कुसुमी	दुआरी	2020-21	26.76	12.25	45.79
61.	सीधी	रामपुर नैकिन	भेलकी-822	2019-20	43.23	20.31	46.98
62.	सीधी	कुसुमी	कोटा	2021-22	161.12	82.68	51.32
63.	सीधी	रामपुर नैकिन	भेलकी-822	2020-21	135.48	88.22	65.12
64.	सीधी	रामपुर नैकिन	भेलकी-822	2020-21	163.20	118.58	72.66
<b>योग</b>					<b>4,727.72</b>	<b>2,397.73</b>	

## परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.6.2.10 पृष्ठ क्रमांक 31)

## चयनित ग्राम पंचायतों में अपूर्ण सामुदायिक संपत्तियाँ दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अपूर्ण अवसंरचना कार्य वाले सामुदायिक संपत्तियों के नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लागत (लाख में)	वास्तविक व्यय (लाख में)
1	अनूपपुर	जैतहरी	दुधमनियां	शांतीधाम दुधमनियां	मई-18	3.35	0.97
2	अनूपपुर	जैतहरी	दुधमनियां	शांतीधाम केकरपानी	जून-18	3.35	1.02
3	अनूपपुर	जैतहरी	पोड़ी-1	सुदूर सड़क बारटोल	मई-17	14.88	8.67
4	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	धुराधर	ग्राम पंचायत भवन	अगस्त-13	12.85	6.33
5	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	रोसरखार	ग्रेवल सड़क रोसरखार	मई-16	18.33	6
6	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	रोसरखार	शांतीधाम रोसरखार	अप्रैल-17	2.63	1.18
7	बड़वानी	ठिकरी	मदरान्या	आंगनवाड़ी भवन देवड़ा	दिसम्बर-18	7.8	1.37
8	बड़वानी	ठिकरी	मदरान्या	आंगनवाड़ी भवन जुलवान्या	दिसम्बर-18	7.8	0.93
9	छतरपुर	राजनगर	इमलाहा	आंगनवाड़ी भवन	जनवरी-19	7.8	0.08
10	राजगढ़	राजगढ़	हिरनखेड़ा	आंगनवाड़ी भवन पंचायत भवन के पास	मार्च-17	1.8	0.02
11	रतलाम	बाजना	करबलखोरा	आंगनवाड़ी भवन	मई-17	7.8	1.09
12	रतलाम	बाजना	करबलखोरा	भारत निर्माण सेवा केन्द्र	मई-17	14.98	7.61
13	श्योपुर	विजयपुर	गोहर	तालाब निर्माण	फरवरी-19	14.66	12.26
14	श्योपुर	विजयपुर	गोहर	रपटा निर्माण	फरवरी-19	12.5	11.38
15	श्योपुर	करहल	बाढ़	आंगनवाड़ी भवन राम नगर	अक्टूबर-18	7.8	0.03
<b>योग</b>						<b>138.33</b>	<b>58.94</b>

**परिशिष्ट-2.9**

(संदर्भ कंडिका 2.6.2.11 पृष्ठ क्रमांक 32)

**चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की लागत का अधिक अनुमान दर्शाने वाला विवरण**

(राशि लाख में)

क्र.सं.	जिला/जिला पंचायत का नाम	कार्य स्वीकृत किया गया जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत	दरों की अनुसूची का आधार	जिला पंचायत स्तर से कराये गये कुल कार्य	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जिनमें कार्य कराये गये	ठेकेदार का 10 प्रतिशत लाख सहित कार्य की कुल स्वीकृत लागत	10 प्रतिशत अधिक आंकी गई लागत राशि
1	अनूपपुर	जिला पंचायत स्तर	आरईएस 16.09.2015	18	14	152.05	13.82
2		जिला पंचायत स्तर	आरईएस 04.01.2019	8	8	87.49	7.95
3		जनपद पंचायत स्तर (जैतहरी)	आरईएस 16.09.2015	20	18	163.39	14.85
4		जनपद पंचायत स्तर (पुष्पराजगढ़)	आरईएस 16.09.2015	2	1	16.29	1.48
5		जनपद पंचायत स्तर (पुष्पराजगढ़)	आरईएस 04.01.2019	1	1	6	0.55
6		ग्राम पंचायत (जमुड़ी)	आरईएस 16.09.2015	1	1	2	0.18
7		ग्राम पंचायत (बिजौरा)	आरईएस 16.09.2015	1	1	5.05	0.46
8		ग्राम पंचायत (रोसरखार)	आरईएस 16.09.2015	2	1	12.04	1.09
9	बड़वानी	जिला पंचायत स्तर	आरईएस 11.06.2015	6	6	90	8.18
10		जिला पंचायत स्तर	आरईएस 04.01.2019	7	7	133.00	12.09
11		जिला पंचायत स्तर	आरईएस 11.06.2016	1	1	15.00	1.36
12		जनपद पंचायत स्तर (ठिकरी)	आरईएस 11.06.2015	5	5	50.00	4.55
13		जनपद पंचायत स्तर (पानसेमल)	आरईएस 11.06.2015	2	2	17.87	1.62
14		जनपद पंचायत स्तर (पानसेमल)	आरईएस 11.06.2016	1	1	14.92	1.36

क्र.सं.	जिला/जिला पंचायत का नाम	कार्य स्वीकृत किया गया जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत	दरों की अनुसूची का आधार	जिला पंचायत स्तर से कराये गये कुल कार्य	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जिनमें कार्य कराये गये	ठेकेदार का 10 प्रतिशत लाख सहित कार्य की कुल स्वीकृत लागत	10 प्रतिशत अधिक आंकी गई लागत राशि
15		जनपद पंचायत स्तर (पानसेमल)	आरईएस 04.01.2019	5	5	52.05	4.73
16		ग्राम पंचायत (मदरान्या)	आरईएस 01.11.2017	1	1	1.16	0.11
17		ग्राम पंचायत (विश्वनाथखेड़ा)	आरईएस 11.06.2015	2	1	15.49	1.41
18	बैतूल	जिला पंचायत स्तर	पीआरडीडीसीएसआर 04.01.2019	3	3	45.00	4.09
19		जिला पंचायत स्तर	पीआरडीडीएसओआर 04.01.2019	5	5	75.00	6.82
20		ग्राम पंचायत (खैरा)	पीआरडीडीसीएसआर 01.10.2015	2	1	7.63	0.69
21		ग्राम पंचायत (चन्द्रू)	पीआरडीडीसीएसआर 01.10.2015	1	1	5.28	0.48
22	गुना	जिला पंचायत स्तर	आरईएस 04.01.2019	19	14	286.45	26.04
23		जिला पंचायत स्तर	आरईएस 01.04.2020	3	3	45	4.09
24		जनपद पंचायत स्तर (गुना)	आरईएस 04.01.2019	20	9	156.52	14.23
25		जनपद पंचायत स्तर (गुना)	एसओआर 04.01.2016	1	1	6	0.55
26		जनपद पंचायत स्तर (राघोगढ़)	एसओआर 09.07.2015	38	18	109.15	9.92
27		जनपद पंचायत स्तर (राघोगढ़)	एसओआर 04.01.2019	9	8	69.25	6.30
28	रतलाम	जिला पंचायत स्तर	आरईएस 04.01.2019	27	27	346.83	31.53
29		जिला पंचायत स्तर	आरईएस 09.07.2015	2	2	20.00	1.82
30		जिला पंचायत स्तर	आरईएस 04.01.2021	3	3	39.96	3.63
31		जनपद पंचायत स्तर (बाजना)	आरईएस 04.01.2019	9	8	79.47	7.22

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	जिला/जिला पंचायत का नाम	कार्य स्वीकृत किया गया जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत	दरों की अनुसूची का आधार	जिला पंचायत स्तर से कराये गये कुल कार्य	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जिनमें कार्य कराये गये	ठेकेदार का 10 प्रतिशत लाख सहित कार्य की कुल स्वीकृत लागत	10 प्रतिशत अधिक आंकी गई लागत राशि
32		जनपद पंचायत स्तर (जावरा)	आरईएस 01.04.2021	1	1	15.00	1.36
33		ग्राम पंचायत (पिपलियासर)	आरईएस 09.07.2015	2	1	6.38	0.58
34		ग्राम पंचायत (खजुरिया)	आरईएस 09.07.2015	1	1	1.50	0.14
35		ग्राम पंचायत (छावनी जोड़िया)	आरईएस 04.01.2019	1	1	2.40	0.22
<b>योग</b>				<b>230</b>	<b>181</b>	<b>2,150.62</b>	<b>195.50</b>

## परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.6.2.12 पृष्ठ क्रमांक 33)

## चयनित ग्राम पंचायतों में क्षतिग्रस्त स्थिति में सम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्पत्ति का नाम	
1	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	बिजौरा	प्राथमिक स्कूल ऊपर टोला बिजौरा	
2		जैतहरी	दुधमनियां	आंगनवाड़ी केन्द्र दुधमनियां	
3		जैतहरी		प्राथमिक स्कूल चारदीवारी दुधमनियां	
4		जैतहरी		प्राथमिक स्कूल प्रवेश द्वार केकरपानी	
5		जैतहरी		माध्यमिक विद्यालय डिडवापानी	
6		जैतहरी		पोड़ी-1	माध्यमिक विद्यालय पोड़ी
7		जैतहरी	पोड़ी-1	बालक छात्रावास अधीक्षक आवास	
8		पुष्पराजगढ़	धुराधर	सामुदायिक भवन	
9		पुष्पराजगढ़	रोसरखार	पंचायत भवन	
10		पुष्पराजगढ़		हाईस्कूल भवन रोसरखार	
11		पुष्पराजगढ़		चारदीवारी	
12		पुष्पराजगढ़		सामुदायिक भवन	
13		पुष्पराजगढ़		प्राथमिक शाला भवन घाटा	
14		पुष्पराजगढ़		प्राथमिक शाला भवन रोसरखार	
15		पुष्पराजगढ़		ई-कक्ष ग्राम पंचायत	
16		पुष्पराजगढ़		कछराटोला	पंचायत भवन
17		पुष्पराजगढ़			ई-प्रणाली
18		पुष्पराजगढ़	बालक प्राथमिक शाला पीपरटोला		
19		पुष्पराजगढ़	बालिका प्राथमिक शाला पीपरटोला		
20		पुष्पराजगढ़	प्राथमिक शाला दीवानटोला		
21		पुष्पराजगढ़	प्राथमिक शाला कछराटोला		
22		पुष्पराजगढ़	माध्यमिक विद्यालय पिपरटोला		
23		पुष्पराजगढ़	उप स्वास्थ्य केन्द्र पिपरटोला		
24		पुष्पराजगढ़	आंगनवाड़ी पिपरटोला		
25		पुष्पराजगढ़	आंगनवाड़ी दीवानटोला		
26		पुष्पराजगढ़	आंगनवाड़ी कछराटोला		
27		पुष्पराजगढ़	अतिरिक्त कक्ष दीवानटोला		
28	रतलाम	जावरा	आक्याबेनी	अतिरिक्त कक्ष, प्राथमिक स्कूल, आक्याबेनी	
29		बाजना	छावनी झोडीया	पशु चिकित्सालय	
30		बाजना		सामुदायिक धर्मशाला	
31		बाजना		प्राथमिक स्कूल	
32		बाजना		सामुदायिक धर्मशाला, खेरियापाडा	
33		बाजना	करबलखोरा	आंगनवाड़ी भवन क्र-1	
34		बाजना		शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्पत्ति का नाम
35		बाजना		प्राथमिक स्कूल भवन
36		बाजना		अतिरिक्त कक्ष, प्राथमिक शाला
37		बाजना	खेरदा	शासकीय प्राथमिक स्कूल मझोडिया
38		बाजना		अतिरिक्त कक्ष, शासकीय प्राथमिक स्कूल मझोडिया
39		बाजना		शासकीय माध्यमिक विद्यालय, मझोडिया
40		बाजना		शासकीय माध्यमिक विद्यालय, खेरदा
41		बाजना		शासकीय प्राथमिक स्कूल, चोटियाबावड़ी
42		बाजना		प्राथमिक स्कूल, चोटियाबावड़ी
43		बाजना	रानीसिंह	माध्यमिक विद्यालय, रानीसिंह
44		बाजना		माध्यमिक विद्यालय, लम्बीसाद
45		बाजना		प्राथमिक स्कूल भवन, लम्बीसाद
46		बाजना		आंगनवाड़ी भवन गरवाड़ा
47		जावरा		आंगनवाड़ी भवन
48		जावरा	खजुरिया	यात्री प्रतीक्षालय कक्ष
49		जावरा		सामुदायिक भवन
50		जावरा		बालक प्राथमिक स्कूल में शौचालय
51		जावरा	पिपलियासिर	ग्राम पंचायत भवन पिपलियासिर के पास अतिरिक्त कक्ष
52		जावरा		उन्नत प्राथमिक स्कूल, पिपलियासिर
53		जावरा		प्राथमिक स्कूल, पिपलियासिर
54		जावरा		पुराना प्राथमिक स्कूल, पिपलियासिर
55		जावरा		पुराना प्राथमिक स्कूल, ककरावा
56		जावरा		अतिरिक्त कक्ष प्राथमिक स्कूल, ककरावा
57		जावरा	राजाखेड़ी	स्कूल भवन उखेडिया
58		जावरा		स्कूल भवन कंजरबस्ती
59		जावरा		स्कूल भवन कंजरबस्ती, उखेडिया
60	बड़वानी	ठिकरी	अभाली	आंगनवाड़ी क्र.-1
61		ठिकरी		आंगनवाड़ी क्र.-3
62		ठिकरी		आंगनवाड़ी क्र.-4
63		ठिकरी		माध्यमिक स्कूल करमतपुर
64		ठिकरी		किचेन शेड
65		ठिकरी	बघाड़ी	अतिरिक्त कक्ष आंगनवाड़ी, डोगरीपुरा
66		ठिकरी		प्राथमिक शाला भवन जमनयापुरा
67		ठिकरी		उप स्वास्थ्य केन्द्र पटेलपुरा
68		ठिकरी	मदरान्या	शासकीय उचित मूल्य दुकान
69		ठिकरी		पंचायत भवन
70		ठिकरी		आंगनवाड़ी भवन रेवदा मोड़पुरा

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्पत्ति का नाम
71		ठिकरी	विश्वनाथखेड़ा	अतिरिक्त पंचायत भवन
72		पानसेमल	टेमला	शासकीय उचित मूल्य दुकान
73		पानसेमल	सकराली बुजुर्ग	शासकीय प्राथमिक स्कूल सकराली खुर्द
74		पानसेमल		किचेन शेड चान्यू फल्या
75		पानसेमल		सामुदायिक भवन
76		पानसेमल	जहूर	शासकीय प्राथमिक स्कूल भमरथा
77		पानसेमल		अतिरिक्त कक्ष भमरथा
78		पानसेमल		शासकीय प्राथमिक स्कूल पठार
79		पानसेमल		आंगनवाड़ी भवन भमरथा
80	बालाघाट	बालाघाट	नाहरवानी	चाचन मेटा में सभा मंच
81		बालाघाट		ग्राम पंचायत भवन
82		बालाघाट		किचेन शेड
83		बालाघाट		सभा मंच
84		बालाघाट		अतिरिक्त कक्ष प्राथमिक स्कूल
85		बालाघाट		अतिरिक्त कक्ष प्राथमिक स्कूल
86		बालाघाट	टक्काबरी	खेल मैदान
87		बालाघाट		पहुँच मार्ग भटोला बाई के घर से मटान के घर तक
88		बालाघाट		पहुँच मार्ग बासुदेव के घर से रामेश्वर के घर तक
89		बालाघाट		शांतीधाम
90		बालाघाट		शांतीधाम
91		बालाघाट		पहुँच मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क से तालाब तक
92		कटंगी	छाकाहेती	पंचायत भवन
93		कटंगी		कांजी हाउस
94		कटंगी	कुडवा	पंचायत भवन
95		कटंगी		किचेन शेड
96		कटंगी	उमरी	प्राथमिक शाला भवन उमरी
97	बैतूल	घोड़ा झोंगरी	महेन्द्रवाड़ी	आंगनवाड़ी भवन 2
98		घोड़ा झोंगरी		ग्राम आरोग्य केन्द्र
99		घोड़ा झोंगरी		चौपाल निर्माण सड़कवाड़ा
100		घोड़ा झोंगरी	बंजारीढाल	शौचालय बटकाधाना (शौचालय प्रा.शा.बटकाधाना)
101		घोड़ा झोंगरी		सामुदायिक भवन प्राथमिक शाला चिचडोल
102		घोड़ा झोंगरी		आंगनवाड़ी भवन-1
103		घोड़ा झोंगरी		माध्यमिक शाला बंजारीढाल
104		घोड़ा झोंगरी	सतलदेही	पुराना किचेन शेड पुंजी
105		घोड़ा झोंगरी		ग्राम पंचायत भवन
106		घोड़ा झोंगरी	झरकुण्ड	सामुदायिक भवन झरकुण्ड

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्पत्ति का नाम
107		घोड़ा डोंगरी		शौचालय प्राथमिक शाला टांडा
108		घोड़ा डोंगरी		शौचालय माध्यमिक शाला झरकुण्ड
109		भीमपुर	चंदू	प्राथमिक शाला कोका धाना
110		भीमपुर		किचेन शेड भूरादाना
111		भीमपुर		प्राथमिक शाला भूरादाना
112		भीमपुर		प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्ष भूरादाना
113		भीमपुर		आदर्श आंगनवाड़ी चंदू-2
114		भीमपुर	कमोद	आंगनवाड़ी केंद्र भवन कमोद
115		भीमपुर		प्राथमिक शाला कमोद
116		भीमपुर		किचेन शेड प्राथमिक शाला कमोद
117		भीमपुर		आंगनवाड़ी केन्द्र धारागोहन कमोद
118		भीमपुर	खैरा	प्राथमिक शाला इमलीधाना खैरा
119		भीमपुर		प्राथमिक शाला अथावा खैरा
120	गुना	गुना	सिरसी	शासकीय प्राथमिक शाला,सिरसी
121		राघोगढ़	नसीरपुर	ग्राम पंचायत भवन नसीरपुर
122	सीधी	रामपुर नैकिन	भैलकी-823	आंगनवाड़ी केन्द्र, गन्नोद 234
123		रामपुर नैकिन	रतवार	पंचायत भवन

## परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.6.5.3 पृष्ठ क्रमांक 40)

## चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
				आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण	आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण	आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण
1	अनूपपुर	जैतहरी	दुधमनिया	2	1	2	1	2	0
2			गोबरी	2	1	2	1	2	0
3			जमुर्दी	2	1	2	1	2	0
4			पोड़ी-1	2	1	2	1	2	0
5			बिजौरा	2	1	2	1	2	0
6			धुराधार	2	1	2	1	2	0
7			कछराटोला	2	1	2	1	2	0
8			रोसरखार	2	1	2	1	2	0
9	बालाघाट	बालाघाट	लमटा	2	1	2	1	2	0
10			लोहारा	2	1	2	1	2	0
11			नाहरवानी	2	1	2	1	2	0
12			टक्काबर्वा	2	1	2	1	2	0
13			बरूद	2	1	2	1	2	0
14			छाकाहेती	2	1	2	1	2	0
15			कुडवा	2	1	2	1	2	0
16	बड़वानी	पानसेमल	उमरी	2	1	2	1	2	0
17			बलझिरी	2	1	2	1	2	0
18			जहूर	2	1	2	1	2	0

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
				आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण	आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण	आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण
19			सकराली बुजुर्ग	2	1	2	1	2	0
20			टेमला	2	1	2	1	2	0
21		ठिकरी	अभाली	2	1	2	1	2	0
22			बघाडी	2	1	2	1	2	0
23			मदरान्या	2	1	2	1	2	0
24			विश्वनाथखेड़ा	2	1	2	1	2	0
25		भीमपुर	चंदू	2	1	2	1	2	0
26			गड़ाखार	2	1	2	1	2	0
27			कमोद	2	1	2	1	2	0
28			खैरा	2	1	2	1	2	0
29		घोड़ा डोंगरी	बंजारीढाल	2	1	2	1	2	0
30			झरकुण्ड	2	1	2	1	2	0
31			महेन्द्रवाडी	2	1	2	1	2	0
32			सतलदेही	2	1	2	1	2	0
33		बड़ा मलेहरा	बमनीघाट	2	1	2	1	2	0
34			कायन	2	1	2	1	2	0
35			पनपा	2	1	2	1	2	0
36			सेरोरा	2	1	2	1	2	0
37		राजनगर	इमलाहा	2	1	2	1	2	0
38			मझगुवां	2	1	2	1	2	0
39			नहदौरा	2	1	2	1	2	0

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
				आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण	आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण	आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण
40				2	1	2	1	2	0
41	गुना	गुना	चुराई	2	1	2	1	2	0
42			गोपालपुरटकटैया	2	1	2	1	2	0
43			पुरापोसर	2	1	2	1	2	0
44			सिरसी	2	1	2	1	2	0
45		राघोगढ़	अमनाखड़ी	2	1	2	1	2	0
46			बापचा	2	1	2	1	2	0
47			खैरखेड़ा	2	1	2	1	2	0
48			नसीरपुर	2	1	2	1	2	0
49	राजगढ़	राजगढ़	धनवास कलां	2	1	2	1	2	0
50			हिनोती	2	1	2	1	2	0
51			हिरनखेड़ा	2	1	2	1	2	0
52			समेली	2	1	2	1	2	0
53		ब्यावरा	अमरगढ़	2	1	2	1	2	0
54			अमलियाहाट	2	1	2	1	2	0
55			गोरधानपुरा	2	1	2	1	2	0
56			सुन्दरपुरा	2	1	2	1	2	0
57	रतलाम	बाजना	छावनी जोडिया	2	1	2	1	2	0
58			करवल खोरा	2	1	2	1	2	0
59			खेरदा	2	1	2	1	2	0
60			रानीसिंह	2	1	2	1	2	0

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
				आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण	आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण	आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण	किये गये सामाजिक अंकेक्षण
61		जावरा	आक्याबेनी	2	1	2	1	2	0
62			खजुरिया	2	1	2	1	2	0
63			पिपरियासिर	2	1	2	1	2	0
64			राजा खेड़ी	2	1	2	1	2	0
65	श्योंपुर	बिजयपुर	बड़ौदाकलां	2	1	2	1	2	0
66			गोहर	2	1	2	1	2	0
67			हुल्लपुर	2	1	2	1	2	0
68			जमुर्डी	2	1	2	1	2	0
69		कराहल	बाढ़	2	1	2	1	2	0
70			डोभ	2	1	2	1	2	0
71			जखर्दा	2	1	2	1	2	0
72			कलमी ककरदा	2	1	2	1	2	0
73	सीधी	कुसुमी	दुआरी	2	1	2	1	2	0
74			धुपखाड़	2	1	2	1	2	0
75			कोटा	2	1	2	1	2	0
76			कतरवार	2	1	2	1	2	0
77		रामपुर नैकिन	घुघटा	2	1	2	1	2	0
78			ममदार	2	1	2	1	2	0
79			भेलकी 822	2	1	2	1	2	0
80			रतवार	2	1	2	1	2	0
			योग	160	80	160	80	160	0

## परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.3 पृष्ठ क्रमांक 43)

## नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	कार्यों का नाम
1	नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन
2	भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना
4	सड़कें एवं सेतु
5	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति
6	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता मल सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7	अग्निशमन सेवाएँ
8	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना
9	विकलांगों और मानसिक रूप से अशक्तों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना
10	मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	नगरीय गरीबी उन्मूलन
12	शहरी सुख सुविधाओं और पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसी सुविधाओं और का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना
14	कब्र एवं कब्रिस्तान; दाह संस्कार, श्मशान घाट और विद्युत शवदाह गृह
15	काँजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
16	जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख सुविधाएँ
18	बूचड़खानों एवं चर्मशोधन कारखानों का विनियमन

**परिशिष्ट-3.2**

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1 पृष्ठ क्रमांक 45)

**नगरीय स्थानीय निकायों को दर्शाने वाला विवरण जिनमें कार्यरत पद स्वीकृत पद से अधिक है**

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय के नाम	पद	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक	अतिरिक्त कर्मचारी
1	नगरपालिका परिषद आष्टा	भृत्य	8	10	2
		सहा. राजस्व निरीक्षक	7	8	1
		सफाई संरक्षक	35	39	4
		चालक (हल्के वाहन )	3	4	1
		उप अभियंता (ईएम)	1	2	1
		फिल्टर/पंप सहायक	1	2	1
		बागवान	1	2	1
		सफाईकर्मी	1	2	1
2	नगर परिषद अंजड़	फिल्टर/पंप सहायक	1	2	1
3	नगरपालिका परिषद बालाघाट	प्लंबर और फिटर	1	2	1
4	नगरपालिका परिषद बैतूल	सहायक राजस्व निरीक्षक	16	18	2
		उप अभियंता (सिविल)	4	5	1
5	नगर परिषद बुढ़ार	स्वच्छता उप पर्यवेक्षक	1	2	1
6	नगरपालिका परिषद दमोह	सहायक राजस्व निरीक्षक	16	21	5
		प्रत्वर श्रेणी लिपिक	0	1	1
		व्यायाम शिक्षक	0	1	1
		ग्रंथपाल	0	1	1
		सर्वेक्षक	0	1	1
		मैकेनिक सह फिटर	0	1	1
		स्टोर कीपर	0	1	1
		इलेक्ट्रिक लाइनमैन	0	2	2
		जल आपूर्ति लाइनमैन	0	4	4
		पंपकुली	0	1	1
		फिल्टरकुली	0	2	2
		जमादार	0	5	5
7	नगरपालिका परिषद गंजबसौदा	फिल्टर/पंप सहायक	3	7	4
		सफाई संरक्षक	52	55	3
8	नगर निगम ग्वालियर	अपर आयुक्त	2	3	1
		आशुलिपिक ग्रेड 3	7	8	1
		चौकीदार	25	40	15
		चालक (हल्के वाहन)	11	24	13

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय के नाम	पद	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक	अतिरिक्त कर्मचारी
9	नगर परिषद इछावर	सहा. राजस्व निरीक्षक	4	6	2
10	नगर निगम इंदौर	अपर आयुक्त	4	5	1
		चौकीदार	36	92	56
		चालक (हल्के वाहन)	20	55	35
		चालक (भारी वाहन)			
11	नगरपालिका परिषद जावरा	भृत्य	24	37	13
		सहायक राजस्व निरीक्षक	11	14	3
		उप अभियंता (सिविल)	1	2	1
12	नगर निगम खंडवा	उप आयुक्त	1	3	2
		भृत्य	24	25	1
13	नगर परिषद कुक्षी	सहायक राजस्व निरीक्षक	5	8	3
		फिल्टर/पंप सहायक	1	2	1
		अध्यापक	0	1	1
		लाइन मैन	0	1	1
		पंपकुली	0	6	6
		वायर मैन	0	9	9
14	नगरपालिका परिषद महाराजपुर	सहायक राजस्व निरीक्षक	5	6	1
15	नगरपालिका परिषद मैहर	फिल्टर/पंप सहायक	1	3	2
16	नगरपालिका मंदसौर	सहायक राजस्व निरीक्षक	17	19	2
		सफाई मित्र	126	144	18
17	नगरपालिका निगम मुरैना	सहायक ग्रेड III	3	4	1
		आशुलिपिक श्रेणी 3	2	3	1
		भृत्य	20	25	5
18	नगरपालिका परिषद मुलताई	सहायक राजस्व निरीक्षक	5	10	5
		फिल्टर/पंप सहायक	1	11	10
		लाइन मैन	0	4	4
		भृत्य	8	13	5
		प्रधान लिपिक	0	1	1
		उप स्वच्छता पर्यवेक्षक	0	1	1
		समुदायिक संघटक	0	1	1
19	नगरपालिका परिषद नरसिंहगढ़	सहायक राजस्व निरीक्षक	5	6	1
20	नगरपालिका परिषद नीमच	चौकीदार	6	9	3
		प्रधान लिपिक सह लेखाकार	0	1	1
		कंप्यूटर प्रचालक	0	1	1

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय के नाम	पद	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक	अतिरिक्त कर्मचारी
		चालक सहायक	0	1	1
		वायर मैन	0	1	1
		सफाईकर्मि	0	4	4
		आयल मैन	0	1	1
		वॉलमैन	0	1	1
		पंपकुली	0	3	3
		खल्लासी	0	5	5
		लाइन मैन	0	1	1
		केमिस्ट	0	1	1
21	नगर परिषद निवाड़ी	उप अभियंता	1	2	1
22	नगर परिषद ओरछा	उप अभियंता	1	2	1
		अनुरेखक	0	1	1
		पंप चालक	1	2	1
		माली	1	2	1
		भृत्य	4	6	2
		चौकीदार	3	6	3
23	नगर परिषद रामपुर नैकिन	भृत्य	1	4	3
24	नगरपालिक निगम सागर	सहायक राजस्व निरीक्षक	32	40	8
		चालक (हल्के वाहन)	3	6	3
		सफाई संरक्षक	181	282	101
25	नगरपालिका परिषद सिवनी मालवा	सफाई जमादार	0	1	1
26	नगरपालिका परिषद शहडोल	सहायक राजस्व निरीक्षक	3	9	6
27	नगरपालिका परिषद विदिशा	भृत्य	16	29	13
		सफाईकर्मि	0	1	1
		रीडर	0	1	1
		सफाई संरक्षक	111	115	4
		भिशती	0	4	4
	<b>योग</b>		<b>884</b>	<b>1,335</b>	<b>451</b>

## परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.10 पृष्ठ क्रमांक 52)

## मार्च 2022 तक बकाया अस्थायी अग्रिम दिखाने वाला विवरण

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकायों के नाम	मार्च 2022 तक बकाया अग्रिमों का शेष (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे अग्रिम संबंधित है
1	भिंड	2.83	1985-86 से 2021-22
2	छिंदवाड़ा	28.43	2017-18 से 2021-22
3	जबलपुर	386.43	2012-13 से 2021-22
4	जावरा	65.28	2016-17 से 2021-22
5	खंडवा	157.94	1961-62 से 2021-22
6	कुक्षी	3.96	1972-73 से 2016-17
7	महाराजपुर	3.4	2012-13 से 2021-22
8	नरसिंहगढ़	2.68	2017-18 से 2021-22
9	नीमच	25.23	1973-74 से 2016-17
10	रतलाम	1.05	2014-15 से 2015-16
11	सागर	26.55	2008-09 से 2021-22
12	तैदूखेड़ा	1.15	2019-20 से 2021-22
<b>योग</b>		<b>704.93</b>	

**परिशिष्ट-3.4**

(संदर्भ: कंडिका 3.11 पृष्ठ क्रमांक 53)

**नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जमा नहीं किए गए नगरीय विकास उपकर का राज्यांश दर्शाने वाला विवरण**

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	से लंबित	वसूल किया गया नगरीय विकास उपकर	शासकीय खाते में जमा किए जाने योग्य राशि (नगरीय विकास उपकर का 40 प्रतिशत)	वास्तव में जमा की गई राशि	बकाया /शेष
1	जावरा	2019-20 से 2021-22	35,30,576	14,12,230	0	14,12,230
2	आगर मालवा	2017-18 से 2021-22	26,05,770	10,42,308	0	10,42,308
3	झाबुआ	2018-19 से 2021-22	57,37,532	22,95,013	0	22,95,013
4	बिजुरी	2019-20 से 2021-22	1,46,900	58,760	0	58,760
5	राजपुर	2019-20 से 2021-22	3,20,585	1,28,234	0	1,28,234
6	मंडलेशवर	2017-18 से 2021-22	6,67,203	2,66,881	0	2,66,881
7	ओंकारेश्वर	2016-17 से 2021-22	6,04,728	2,41,891	0	2,41,891
8	ब्यौहारी	2018-19 से 2021-22	7,13,106	2,85,242	0	2,85,242
9	शहडोल	2017-18 से 2021-22	39,95,344	15,98,138	0	15,98,138
10	अंजड़	2017-18 से 2021-22	17,69,180	7,07,672	0	7,07,672
11	बालाघाट	2016-17 से 2021-22	2,79,20,000	1,11,68,000	0	1,11,68,000

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	से लंबित	वसूल किया गया नगरीय विकास उपकर	शासकीय खाते में जमा किए जाने योग्य राशि (नगरीय विकास उपकर का 40 प्रतिशत)	वास्तव में जमा की गई राशि	बकाया /शेष
12	बरघाट	2018-19 से 2021-22	5,99,072	2,39,629	0	2,39,629
13	मुलताई	2017-18 से 2021-22	50,92,758	20,37,103	0	20,37,103
14	सिवनी मालवा	2019-20 से 2021-22	14,54,435	5,81,774	0	5,81,774
15	छिंदवाड़ा	2021-22	1,19,57,422	47,82,969	0	47,82,969
16	धार	2017-18 से 2021-22	1,21,24,000	48,49,600	0	48,49,600
17	बुधनी	2015-16 से 2021-22	36,19,118	14,47,647	0	14,47,647
18	बुढ़ार	2015-16 से 2021-22	12,56,502	5,02,601	0	5,02,601
19	विदिशा	2021-22	58,01,785	23,20,714	0	23,20,714
20	सागर	2021-22	96,66,000	38,66,400	0	38,66,400
21	मंदसौर	2019-20 से 2021-22	1,49,27,378	59,70,951	0	59,70,951
22	रतलाम	2019-20 से 2021-22	3,03,95,163	1,21,58,065	0	1,21,58,065
23	मुरैना	2019-20 से 2021-22	96,85,748	38,74,299	0	38,74,299
24	सतना	2019-20 से 2021-22	5,91,25,669	2,36,50,268	0	2,36,50,268
25	आष्टा	2019-20 से	10,82,232	4,32,893	0	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	से लंबित	वसूल किया गया नगरीय विकास उपकर	शासकीय खाते में जमा किए जाने योग्य राशि (नगरीय विकास उपकर का 40 प्रतिशत)	वास्तव में जमा की गई राशि	बकाया /शेष
		2021-22				4,32,893
26	शिवपुरी	2019-20 से 2021-22	83,21,142	33,28,457	0	33,28,457
27	भोपाल	2019-20 से 2021-22	23,30,97,000	9,32,38,800	0	9,32,38,800
28	पिछोर	2019-20 से 2021-22	30,500	12,200	0	12,200
29	खंडवा	2019-20 से 2021-22	2,82,46,816	1,12,98,726	0	1,12,98,726
30	सीहोर	2016-17 से 2021-22	1,94,49,640	77,79,856	0	77,79,856
31	करेली	2019-20 से 2021-22	15,87,338	6,34,935	0	6,34,935
32	महाराजपुर	2016-17 से 2021-22	1,74,355	69,742	0	69,742
33	भिंड	2019-20 से 2021-22	14,52,435	5,80,974	0	5,80,974
34	साँची	2019-20 से 2021-22	5,93,905	2,37,562	0	2,37,562
35	कुक्षी	2014-15 से 2021-22	29,85,313	11,94,125	0	11,94,125
<b>योग</b>			<b>51,07,36,650</b>	<b>20,42,94,659</b>	<b>0</b>	<b>20,42,94,659</b>

## परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.12 पृष्ठ क्रमांक 54)

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा शिक्षा उपकर का उपयोग न किए जाने को दर्शाने वाला  
विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकायों का नाम	से लंबित	वसूल किया गया शिक्षा उपकर	स्कूली शिक्षा के विकास और रखरखाव के लिए उपयोग की गयी वास्तविक राशि	बकाया /शेष
1	आगर मालवा	2017-18 से 2021-22	52,08,678	0	52,08,678
2	झाबुआ	2018-19 से 2021-22	90,66,339	0	90,66,339
3	राजपुर	2017-18 से 2021-22	5,54,478	0	5,54,478
4	मंडलेश्वर	2017-18 से 2021-22	5,81,506	0	5,81,506
5	ओंकारेश्वर	2016-17 से 2021-22	5,61,321	0	5,61,321
6	ब्यौहारी	2018-19 से 2021-22	7,47,420	2,94,990	4,52,430
7	शहडोल	2017-18 से 2021-22	44,93,318	0	44,93,318
8	अंजड़	2017-18 से 2021-22	17,20,970	0	17,20,970
9	बालाघाट	2016-17 से 2021-22	2,39,22,000	0	2,39,22,000
10	बरघाट	2018-19 से 2021-22	4,85,108	0	4,85,108
11	मुलताई	2017-18 से 2021-22	56,45,930	0	56,45,930
12	सिवनी मालवा	2019-20 से 2021-22	24,40,695	1,40,263	23,00,432
13	छिंदवाड़ा	2019-20 से 2021-22	2,66,24,607	2,26,52,898	39,71,709
14	धार	2017-18 से 2021-22	1,14,55,000	0	1,14,55,000
15	बुधनी	2015-16 से 2021-22	41,20,270	4,17,290	37,02,980
16	बुढ़ार	2015-16 से 2021-22	12,56,502	0	12,56,502
17	सागर	2021-22	82,67,119	67,781	81,99,338

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकायों का नाम	से लंबित	वसूल किया गया शिक्षा उपकर	स्कूली शिक्षा के विकास और रखरखाव के लिए उपयोग की गयी वास्तविक राशि	बकाया /शेष
18	मंदसौर	2019-20 से 2021-22	82,42,035	0	82,42,035
19	विदिशा	2021-22	91,81,777	43,44,896	48,36,881
20	मुरैना	2018-19 से 2021-22	86,49,301	0	86,49,301
21	रतलाम	2018-19 से 2021-22	4,83,58,000	0	4,83,58,000
22	सतना	2019-20 से 2021-22	12,91,25,296	2,29,57,698	10,61,67,598
23	बिजुरी	2021-22	11,275	62,783	(-)51,508
24	शिवपुरी	2019-20 से 2021-22	18,75,754	17,48,600	1,27,154
25	भोपाल	2019-20 से 2021-22	57,72,30,000	63,60,34,000	(-) 5,88,04,000
26	पिछोर	2019-20 से 2021-22	14,000	-	14,000
27	खंडवा	2019-20 से 2021-22	4,21,53,586	57,21,344	3,64,32,242
28	करेली	2019-20 से 2021-22	21,32,950	-	21,32,950
29	दमोह	2016-17 से 2020-21	1,27,95,388	34,11,240	93,84,148
30	महाराजपुर	2016-17 से 2021-22	33,516	-	33,516
31	साँची	2019-20 से 2021-22	8,57,759	-	8,57,759
32	कुक्षी	2014-15 से 2021-22	2,17,867	-	2,17,867
33	भिंड	2019-20 से 2021-22	3,67,852	-	3,67,852
<b>योग</b>			<b>94,83,97,617</b>	<b>69,78,53,783</b>	<b>25,05,43,834</b>

## परिशिष्ट-4.1

(सन्दर्भ: कंडिका 4.1.6.7 पृष्ठ क्रमांक 70)

जल आपूर्ति व्याप्ति का एसएलबी हासिल नहीं किया गया

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	जनसंख्या	घरों की कुल संख्या	जल कनेक्शन की कुल संख्या	कनेक्शन का प्रतिशत (%)	एसएलबी अधिसूचना के अनुसार व्याप्ति (%)
1	खंडवा	2021-22	2,25,000	40,755	26,046	63.91	94
2	सतना	2021-22	3,27,832	52,602	30,375	57.74	100
3	रतलाम	2021-22	3,27,000	42,810	36,933	86.27	86
4	आष्टा	2021-22	64,058	10,895	8,512	78.13	88
5	गंज बासौदा	2021-22	91,169	16,772	8,510	50.74	80
6	मंदसौर	2021-22	1,78,151	40,049	26,891	67.15	75
7	नीमच	2021-22	1,41,433	23,430	19,450	83.01	अनुपलब्ध
8	नरसिंहगढ़	2021-22	35,562	6,785	3,280	48.34	अनुपलब्ध
9	महाराजपुर	2021-22	29,211	5,353	1,273	23.78	20
10	बिछिया	2021-22	13,880	3,005	1,100	36.61	90
11	इछावर	2021-22	18,685	3,049	1,741	57.1	80
12	लोहारदा	2021-22	10,500	2,771	854	30.82	55
13	रामपुर नैकिन	2021-22	14,068	2,800	1,152	41.14	अनुपलब्ध
14	तेंदूखेड़ा	2021-22	14,388	3,106	1,477	47.55	95
	<b>योग</b>		<b>14,90,937</b>	<b>2,54,182</b>	<b>1,67,594</b>	<b>65.93</b>	

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट-4.2

(सन्दर्भ: कंडिका 4.1.8.2 पृष्ठ क्रमांक 80)

बैकवॉश के लिए प्रति वर्ष आवश्यक पानी दर्शाने वाला विवरण

(लीटर में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	शोधन संयंत्रों की क्षमता (एमएलडी)	फिल्टर बेड की संख्या	फिल्टर बेड के लिए प्रति दिन धुलाई चक्र	1 फिल्टर बेड के बैकवाश के लिए पानी की आवश्यकता	धुलाई की आवृत्ति के अनुसार प्रतिदिन पानी की आवश्यकता	बैकवॉश के लिए प्रति वर्ष पानी की आवश्यकता
1	खंडवा	अ. 45	6	1	4,16,666	25,00,000	91,25,00,000
		ब. 13	3	1	3,33,333	10,00,000	36,50,00,000
2	सतना	अ. 40	6	3	25,000	4,50,000	16,42,50,000
		ब. 18	3	3	25,000	2,25,000	82125,000
3	रतलाम	अ. 24.50	5	0.6	2,35,000	7,05,000	25,7325,000
		ब. 22.50	6	0.5	1,85,000	5,55,000	20,25,75,000
4	आष्टा	अ. 3	8	1	18,750	1,50,000	5,47,50,000
		ब. 4					
5	गंज बासौदा	अ. 18	4	0.5	2,50,000	5,00,000	18,25,00,000
6	मंदसौर	अ. 13.5	4	1	25,000	1,00,000	3,65,00,000
		ब. 15.25	8	1	25,000	2,00,000	7,30,00,000
7	नीमच	अ. 27	10	1	1,00,000	10,00,000	36,50,00,000
8	नरसिंहगढ़	अ. 7	3	0.33	10,000	10,000	36,50,000
9	महाराजपुर	शोधन संयंत्र नहीं					0
10	बिछिया	अ. 1.8	2	2	25,000	1,00,000	3,65,00,000
11	इछावर	शोधन संयंत्र नहीं					0
12	लोहारदा	शोधन संयंत्र नहीं					0

क्र. सं.	इकाई का नाम	शोधन संयंत्रों की क्षमता (एमएलडी)	फिल्टर बेड की संख्या	फिल्टर बेड के लिए प्रति दिन धुलाई चक्र	1 फिल्टर बेड के बैकवाश के लिए पानी की आवश्यकता	धुलाई की आवृत्ति के अनुसार प्रतिदिन पानी की आवश्यकता	बैकवॉश के लिए प्रति वर्ष पानी की आवश्यकता
13	रामपुर नैकिन	शोधन संयंत्र नहीं					0
14	तेंदूखेड़ा	अ. 3.30	2	0.067	50,000	6,700	24,45,500
योग							2,73,81,20,500
							मिलियन लीटर में
							2738.12
तीन वर्षों के दौरान मिलियन लीटर							8,214.36

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय)

**परिशिष्ट-4.3**

(सन्दर्भ: कंडिका 4.1.9.1 पृष्ठ क्रमांक 81)

**जल आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	संचालन एवं रखरखाव व्यय 2019-22	तीन साल में कुल कनेक्शन	प्रति वर्ष निश्चित उपयोगकर्ता शुल्क	कुल मांग (स्तंभ 4 x स्तंभ 5)	कमी	कमी का प्रतिशत
1	खंडवा	3,648.60	75,274	2,400	1,806.58	1,842.02	50.49
2	सतना	2,195.87	84,862	1,800	1,527.52	668.35	30.44
3	रतलाम	4,772.58	1,10,187	1,800	1,983.37	2,789.21	58.44
4	आष्टा	655.69	24,657	960	236.71	418.98	63.90
5	गंज बासौदा	694.39	22,530	720	162.22	532.17	76.64
6	मंदसौर	5,943.18	78,627	1,500	1,179.41	4,763.78	80.16
7	नीमच	1,229.86	54,525	480	261.72	968.14	78.72
8	नरसिंहगढ़	240.90	9,380	2,400	225.12	15.78	6.55
9	महाराजपुर	324.80	3,744	600	22.46	302.34	93.08
10	बिछिया	60.30	3,075	1,200	36.90	23.40	38.81
11	इछावर	388.30	4,740	840	39.82	348.48	89.75
12	लोहारदा	63.07	2,280	480	10.94	52.13	82.65
13	रामपुर नैकिन	311.84	3,362	1,200	40.34	271.50	87.06
14	तैदूखेड़ा	172.68	4,309	1,440	62.05	110.63	64.07
<b>योग</b>		<b>20,702.06</b>	<b>4,81,552</b>		<b>7,595.14</b>	<b>13,106.92</b>	<b>63.31</b>
<b>करोड़ में</b>		<b>207.02</b>			<b>75.95</b>		

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय)

## परिशिष्ट-4.4

(सन्दर्भ: कंडिका 4.1.9.1 पृष्ठ क्रमांक 82)

## जल शुल्क की कम वसूली दक्षता

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	मांग	वसूली	मार्च 2022 की स्थिति में लंबित
1	खंडवा	17,14,09,991	6,05,61,261	11,08,48,730
2	सतना	32,66,72,575	3,08,22,431	29,58,50,144
3	रतलाम	15,88,72,795	6,30,05,795	9,58,67,000
4	आष्टा	1,58,96,275	41,02,868	1,17,93,407
5	गंज बासौदा	2,24,36,151	36,87,361	1,87,48,790
6	मंदसौर	9,13,01,988	2,84,17,858	6,28,84,130
7	नीमच	1,91,08,682	62,01,615	1,29,07,067
8	नरसिंहगढ़	1,52,90,403	69,69,112	83,21,291
9	महाराजपुर	19,90,820	11,97,876	7,92,944
10	बिछिया	34,88,129	6,51,125	28,37,004
11	इछावर	41,96,142	6,09,192	35,86,950
12	लोहारदा	9,46,390	1,95,956	7,50,434
13	रामपुर नैकिन	25,16,480	9,73,845	15,42,635
14	तेंदूखेड़ा	24,85,578	13,45,944	11,39,634
योग		83,66,12,399	20,87,42,239	62,78,70,160
राशि करोड़ में				62.79

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय)

## संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली

### पंचायती राज संस्थाएँ

क्र.सं.	संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
1	मनरेगा/मनरेगाओ	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम/योजना
2	एनआर एम	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
3	डब्ल्यू सी एवं डब्ल्यू एच	जल संरक्षण एवं जल संचयन
4	एस सी	मृदा संरक्षण
5	आर आई	ग्रामीण बुनियादी ढांचा
6	जीओ एम पी	मध्य प्रदेश शासन
7	सी एफ सी	केंद्रीय वित्त आयोग
8	पी आर आई स	पंचायत राज संस्थाएँ
9	जि.प.	जिला पंचायतें
10	ज.प.	जनपद पंचायतें
11	गा.प.	ग्राम पंचायतें
12	डी. पी. आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
13	बी.सी.	काला कपास
14	भा.स.	भारत सरकार
15	वि.आ.	14वाँ वित्त आयोग
16	प.रा.वि.	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
17	सी ई ओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
18	एसईजीसी	राज्य रोजगार गारंटी परिषद
19	पी.पी.एस.डब्ल्यू. ओ. आर.	प्रतिस्थापन के बिना आकार का संभाव्यता अनुपात
20	पी एच ई	सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग
21	के.भू.ब.	केंद्रीय भूजल बोर्ड
22	एई	सहायक यंत्री
23	सी ई	सब इंजीनियर
24	डी पी डी पी	जिला पंचायत विकास योजना
25	सी सी रोड	सीमेंट कंक्रीट सड़क
26	जेजेएम	जल जीवन मिशन
27	एल बी	श्रम बजट
28	एम आई सी	प्रबंधन सूचना प्रणाली
29	जी आर एस	ग्राम रोजगार सहायक

क्र.सं.	संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
30	एफ टी ओ	फंड ट्रांसफर ऑर्डर
31	एम आर	मस्टर रोल
32	आर ई एस	ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएँ
33	जी एस बी	दानेदार उप आधार
34	पी डब्लू डी	लोक निर्माण विभाग
35	एस ओ आर	कीमतों की सूची
36	सी बी आर	कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात

नगरीय स्थानीय निकाय

क्र.सं.	संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
1	बी आई एस	भारतीय मानक ब्यूरो
2	सी एम ओ	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
3	सी पी एच ई ई ओ	केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन
4	ई ई	अधिशाषी अभियंता
5	भा.स.	भारत सरकार
6	जीओ एम पी	मध्य प्रदेश सरकार
7	आई आर	निरीक्षण रिपोर्ट
8	एल बी पी ए सी	स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति
9	एल पी सी डी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर
10	ओ & एम	संचालन और रखरखाव
11	ओ एच टी	ओवर हेड टैंक
12	एस एफ सी	राज्य वित्त आयोग
13	सी एल बी	सेवा स्तर बेंचमार्क
14	यू ए डी डी	नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय
15	यू ए डी डी	नगर विकास एवं आवास विभाग
16	यू एल बी	शहरी स्थानीय निकाय





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi>